

Seventeenth Series, Vol. XXVIII No. 2

Tuesday, December 05, 2023

Agrahayana 14, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Fourteenth Session

(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXVIII contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

**Secretary-General
Lok Sabha**

Mamta Kemwal

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Kamala Subramanian

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXVIII, Fourteenth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 2, Tuesday, December 05, 2023/ Agrahayana 14, 1945 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 21 to 27	10-37
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 28 to 40	38-112
Unstarred Question Nos. 231 to 460	113-716

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	717-722
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	
And	
BILL, AS PASSED BY RAJYA SABHA	723
ASSENT TO BILL	724
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 3112 DATED 08.08.2023 REGARDING VIBRANT VILLAGE PROGRAMME ALONGWITH REASONS FOR DELAY	725-725D
MATTERS UNDER RULE 377	758-786
(i) Need to operationalise Railway yard in Mahesana, Gujarat	
Shrimati Sharda Anil Patel	758
(ii) Regarding renovation and widening of Railway overbridge in Wardha City, Maharashtra	
Shri Ramdas Tadas	759
(iii) Regarding setting up of Solar Power Plant at Chakulia, Jharkhand	
Shri Bidyut Baran Mahato	760
(iv) Regarding establishment of an AIIMS in Raichur	
Shri Raja Amareshwara Naik	761
(v) Regarding discrepancy in levy of road tax on vehicles in various states	
Shri Rajendra Agrawal	762
(vi) Regarding transfer policy of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)	
Dr. Jayanta Kumar Roy	763

- (vii) Regarding establishment of a Kendriya Vidyalaya in Bilara and Bhopalgarh in Pali Parliamentary Constituency
Shri P. P. Chaudhary 764
- (viii) Need to provide reservation for Maratha Community
Shri Prataprao Patil Chikhlikar 765
- (ix) Need to relax the criteria for extension of CGHS in cities not having the minimum specified number of Central Government employees
Kunwar Pushpendra Singh Chandel 766
- (x) Need to permit health checkup facilities at Rajkot for person going abroad from Saurashtra region of Gujarat
Shri Mohanbhai Kundariya 767
- (xi) Need to set up maize-based bio-refinery for production of Ethanol in Guna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh
Shri Krishnapalsingh Yadav 768
- (xii) Regarding power supply for irrigation in Madhya Pradesh
Dr. Dhal Singh Bisen 769
- (xiii) Need to set up an Academic Film Training School and a National Film Studio in Bhawanipatna, Odisha
Shri Basanta Kumar Panda 770
- (xiv) Need to implement 'One Nation One Election'
Shri Tejasvi Surya 771
- (xv) Regarding introduction of new trains in Maharashtra
Shri Manoj Kotak 772

- (xvi) Regarding construction of new bridge over Doodh River in Kanker
Shri Mohan Mandavi 773
- (xvii) Regarding completion of projects by National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited
Shri Gaurav Gogoi 774
- (xviii) Need to sanction flyover in NH 544 at Koratty Signal Junction, Koratty, Kerala
Shri Benny Behanan 775
- (xix) Need to provide sufficient funds under MNREGA Scheme
Shri Vijaykumar *alias* Vijay Vasanth 776
- (xx) Need to increase the MPLADS funds and to waive off GST on it
Dr. T. R. Paarivendhar 777-778
- (xxi) Need to restore the Railway concession for Senior Citizens
Dr. Pon Gautham Sigamani 779
- (xxii) Regarding inclusion of roads from Dakshin Barasat Railway Station PWD road to Dhurbachand Halder College under the Railway maintenance map
Shrimati Pratima Mondal 780
- (xxiii) Regarding safety audit of tunnels in view of recent tunnel accident in Uttarkashi in Uttarakhand
Shrimati Aparupa Poddar 781

(xxiv) Regarding expansion of Post Office Passport Seva Kendra (PoPSK) at Dombivali, Maharashtra Dr. Shrikant Eknath Shinde	782
(xxv) Regarding extension of Gorakhpur Hamsafar Express via Thawe to Chhapra Junction by providing one additional rake Dr. Alok Kumar Suman	783
(xxvi) Regarding dust pollution caused by Mahanadi Coalfields of Talcher in Odisha Shri Mahesh Sahoo	784
(xxvii) Regarding power situation in Jammu and Kashmir Shri Hasnain Masoodi	785
(xviii) Regarding development of Immigration and Plant Quarantine facilities at Kollam Port Shri N.K. Premachandran	786
Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023	788-905
Motion to Consider	788
Shri Amit Shah	788, 803
Dr. Amar Singh	789-793
Shri Jugal Kishore Sharma	793-795
Prof. Sougata Ray	796-801
Dr. Beesetti Venkata Satyavathi	804-807

Dr. DNV Senthilkumar S.	807-811
Shri Kaushlendra Kumar	812-813
Shri Mahesh Sahoo	814
Shri Malook Nagar	815-816
Shrimati Supriya Sadanand Sule	816-823
Shri Hasnain Masoodi	823-847
Shri Anurag Singh Thakur	847-849
Shri Jamyang Tsering Namgyal	849-860
Shri Manish Tewari	860-866
Dr. Jitendra Singh	866-882
Shri Shrirang Appa Barne	882-884
Adv. A. M. Ariff	885-888
Shri N.K. Premachandran	888-893
Shri Asaduddin Owaisi	894-899
Shri Jasbir Singh Gill	900-902
Shri Jagdambika Pal	902-905

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	843
Member-wise Index to Unstarred Questions	844-849

*** ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	850
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	851

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, December 5, 2023/ Agrahayana 14, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(Q. 21)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल - प्रश्न संख्या - 21

डॉ. रामशंकर कठेरिया जी।

डॉ. रामशंकर कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद पहली बार, सहकारिता मंत्रालय का जो गठन हुआ है, वह एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। यह निश्चित रूप से लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा कार्य प्रारम्भ हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्र, विशेष रूप से छोटे किसानों को संगठित कर, उनको संस्थागत विकास के आधार पर और आम जन को शोषण से मुक्ति दिला कर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आगे ले जाने में सहायता प्रदान करता है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी किसानों की आय को दो गुना बढ़ाने की दिशा में संकल्प लिया है और उसी आधार पर कृषि, आर्थिक नीति और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम मंत्रालय कर रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो समितियां हैं और बड़ी संख्या में जो समितियां किसानों और आम जनो के हितों में काम कर रही हैं, उन समितियों का राष्ट्रीय बैंकों की तरह विकास होना चाहिए। सहकारी बैंकों का सुदृढीकरण और आर्थिक रूप से वे और अधिक लोन छोटे किसानों को दे सकें, इसी के साथ-साथ समिति के सदस्यों को इससे क्या लाभ होगा? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री बी. एल. वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सांसद महोदय ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के विज्ञान पर जिस तरह से लगातार इन दो-ढाई सालों में काम किए गए हैं और 57 इनिशिएटिव्स लिए हैं, उनमें किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और खास तौर से उनके लिए हर तरह से कैसे सुदृढ किया जाए, इसके लिए माननीय सहकारिता मंत्री जी ने एक मल्टी स्टे कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी का गठन किया है। साथ ही साथ एक मल्टी-स्टेट सीड्स सोसाइटी का भी गठन किया

है, जिससे हमारे लघु और सीमांत किसान भी बीज उत्पन्न कर सकें। इसके साथ ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए माननीय मंत्री जी ने कदम उठाया है।

जहां तक किसानों के ऋण का प्रश्न है, हमने वह सुविधा भी दोगुनी करने का काम किया है।

डॉ. रामशंकर कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, इसी के साथ-साथ मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में मंत्रालय विचार कर रहा है तो उसमें मल्टी-कोऑपरेटिव एकीकृत सामूहिक खेती का जो मॉडल बनाने का लक्ष्य है, उस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

इसी के साथ-साथ, जो लाख रुपये का ऋण अभी तक उपलब्ध करवाया जाता है, क्या उसको बढ़ाने की दिशा में सरकार आगे विचार कर रही है?

श्री बी. एल. वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमने राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय बनाने का जो निर्णय लिया है, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं।

जहां तक ऋण की सीमा का प्रश्न है, पिछली बार ही इसको 2 लाख रुपये तक बढ़ाने का काम किसानों के लिए किया गया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आवश्यकतानुसार जितना भी हमको लगेगा, हम इसको उतना करेंगे।

इसके साथ ही, प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पैकाड्स द्वारा नगद ऋण की राशि पहले केवल 20,000 रुपये हुआ करती थी, उसको 2 लाख रुपये करने का काम किया है।

श्री महाबली सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक सहकारी समितियों को पारदर्शी और आर्थिक रूप से जीवंत बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। पंचायत में पैक्स के माध्यम से जन वितरण प्रणाली, एलपीजी गैस, पेट्रोल पंप और पंचायत में गोदाम आदि जैसे करीब 15-20 बिंदुओं के लिए सरकार ने पहल की है, ताकि पंचायत और ग्रामीण स्तर पर किसान और बेरोजगारों की समस्या का हल हो सके।

महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ कि आज यह स्थिति है कि करीब एक साल पहले मंत्रालय ने इस बारे में निर्णय लिया, लेकिन जमीन पर पंचायत में पैक्सों के द्वारा अभी तक काम नगण्य स्थिति

में है। उस पर अभी तक पहल नहीं की जा रही है। इसीलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार सहकारी समितियों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए कोई कारगर और पारदर्शी योजना बना रही है, जिससे देश के सभी पैक्सों को वह सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जा सके?

श्री बी. एल. वर्मा: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को बताना चाहता हूँ कि माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पैक्स 98 हजार थे, जिसमें से 63 हजार पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का काम चल रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2,516 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसको कॉमन सॉफ्टवेयर से जोड़ कर उन पैक्स को हम कैसे पारदर्शी बनाए, कैसे बहुदेशीय बनाए, इसके लिए मॉडल बाय-लॉज लागू करने का काम भी किया गया है। हमारे अधिकांश स्टेट्स और यूटीज ने उसे अपना लिया है। शेष राज्यों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वहां भी यह काम किया जाए। इससे करीब 25 प्रकार की सेवाएं पैक्स दे सकती हैं। पैक्स हमारे किसानों का एक सशक्त माध्यम है। उनको मजबूत करने के लिए आज सीएससी केंद्र है। सीएससी केंद्र पर 300 प्रकार की सेवाएं होती हैं। अब पैक्स भी सीएससी की सेवाएं दे सकती हैं। उसी प्रकार से उसको बहुदेशीय बनाते हुए, पैक्स को पेट्रोल और डीजल का रिटेल आउटलेट में बदलने के लिए भी हम काम कर रहे हैं।

महोदय, पैक्स को उर्वरक के खुदरा दुकान का लाइसेंस और पीएमकेएसके के रूप में भी संचालित करने का काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में अब तक 10 हजार जन औषधि केंद्र खोलने का काम किया है। इसमें से पैक्स के लिए 2000 जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कहा गया है। इसी दिसंबर महीने तक 1000 जन औषधि केंद्र खोलने के लिए हमारा लक्ष्य था। इसे भी हम पूरा करने जा रहे हैं। इसमें हमने काफी हद तक सफलता पाई है।

महोदय, साथ ही साथ हर घर नल से जल के वितरण के लिए भी हमने पैक्स में लागू करने का काम किया है। इसी तरह से पैक्स स्तर पर हमने पीएम-कुसुम योजना भी लागू की है। साथ ही साथ हमारे जो पैक्स एफपीओ का काम नहीं कर सकते थे, अब वे पैक्स एफपीओ का भी काम कर

सकेंगे। इस प्रकार से हमने पैक्स के माध्यम से 25 प्रकार की सेवाएं देकर किसानों के लिए एक सशक्त माध्यम बनाया है। इससे हमारे पैक्स मजबूत भी होंगे। साथ ही साथ जिस तरह से मैंने अभी कहा कि तीन मल्टी स्टेट सोसाइटीज का निर्माण भी हुआ है। उनमें बीज का, खासतौर से ऑर्गेनिक व्यवस्था की गई है। इससे हमारे किसानों को सीधे-सीधे फायदा मिलने वाला है। पैक्स के माध्यम से हमारे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।

महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि माननीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में इस क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। अभी तक हमने न केवल 57 तरह की पहल की है, बल्कि उनको धरातल पर भी लाने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में हम पैक्स को और मजबूत करने का काम करेंगे।

जहां तक सहकारिता क्षेत्र का सवाल है, मैं माननीय सांसद महोदय से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, ऐसी ग्राम पंचायतें थी, जहां पर हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार ही 2 लाख पैक्स और मत्स्य डेयरी सोसाइटी खोलने का निर्णय लिया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत न बचे, जिसमें ऐसी पैक्स सोसाइटी न हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट न हो। इसलिए पूरे देश में सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने का विधान माननीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। हम माननीय प्रधान मंत्री का सहकार से समृद्धि का विजन निश्चित रूप से पूरा करेंगे और सहकारिता आंदोलन को जमीनी स्तर तक चलाने का काम करेंगे।

SHRI FRANCISCO SARDINHA: Sir, in our State, many of the cooperative banks and societies have gone into liquidation. People who have invested their hard-earned money are scared that they will not get back the amount that they have invested. So, I would like to request the hon. Minister to give us the assurance that they will interfere and see that people get back their hard-earned money.

श्री बी. एल. वर्मा: महोदय, सहाकारिता के क्षेत्र में जो मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ थीं, उनकी शिकायतें जगजाहिर हैं। वर्ष 2013 से करोड़ों इन्वेस्टर्स भटक रहे थे और निराशा के भाव में डूबे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका पैसा उन्हें नहीं मिलेगा। माननीय सहाकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में हमने उनको पैसा लौटाने का पूरी तरीके से निर्णय ही नहीं किया, बल्कि पैसा वापस देना भी शुरू कर दिया है। अगर मैं रिकार्ड के अनुसार कहूं तो 3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने लगभग 80 हजार करोड़ रुपये के दावे हमारे यहां पेश किये थे। 18 जुलाई को पोर्टल के माध्यम से माननीय सहाकारिता मंत्री जी ने इसका शुभारम्भ किया और 45 दिन में विधिवित उनका पैसा मिलना भी शुरू हो जाता है। अब तक हम काफी इन्वेस्टर्स को पैसे वापस कर चुके हैं और पैसे वापसी की प्रक्रिया चल रही है। माननीय सहाकारिता मंत्री जी का एक-एक पैसे वापस करने का लक्ष्य है। कोई भी इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं होगा जिसको उसका पैसा न मिले। हमने पांच हजार करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लेने का काम किया है, वितरण चालू कर दिया है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें आगे जायेंगे। पारदर्शी तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस काम को हम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या – 22, श्री कोडिकुन्नील सुरेश।

(Q.22)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Hon. Speaker Sir, the Union Ministry of Social Justice and Empowerment had launched a scholarship scheme to help M.Phil. and PhD scholars from OBC groups in 2014. But there is an increasing delay in stipends, and the students have alleged that their complaints to the Ministry have failed to solve the problem.

The UGC was initially the nodal agency for NF-OBC fellowship, but ever since the National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC), which operates under the Ministry, took over in October last year under a revised procedure, the arrears have increased and the situation has grown worse.

It is also shocking to note that nearly 70 per cent of the 223 scholars in over 100 universities had allegedly faced delays in fund transfers for varying periods this year.

Sir, in this regard, I would further like to ask whether the Government intends to rectify the delay in fellowship disbursement and investigate the complaints raised by the students.

Sir, through you, I would also like to ask the hon. Minister whether the Government will reconsider handing over the charge of distribution of fellowship to the UGC, considering the experience the UGC holds in terms of higher-educational institutions.

कुमारी प्रतिमा भौमिक: माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद, हमारे जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं, उनको एमफिल और पीएचडी की

पढ़ाई करने, रिसर्च करने और उच्च शिक्षा के लिए पहली बार किसी प्रधान मंत्री ने सिद्धांत लिया है। जो एमफिल और पीएचडी की फेलोशिप है, वर्ष 2014-15 में उनकी फेलोशिप की व्यवस्था माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में फर्स्ट टाइम ओबीसी के लिए की गई है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि इसमें लेट होता है। मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। उसके अंदर हमारा एक हजार का स्लॉट है और इसके अलावा यूजीसी का 4 हजार का अलग से स्लॉट है।

उसमें इस साल भी 57 करोड़ रुपये एलाटमेंट किया है। अभी 51 करोड़ रुपये की राशि आबंटित हो गई है, इसमें कोई लेट नहीं होता है। हम लोग यूजीसी के माध्यम से नेशनल बैकवार्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नोडल एजेंसी है, तीन दिन के भीतर-भीतर उस फंड को रिलीज करने की व्यवस्था विभाग की तरफ से है। इसमें कोई लेट नहीं होता है, समयबद्ध तरीके से हम इसे करते हैं। इसके अलावा, फेलोशिप वर्ष 2014-15 में जेआरएफ के लिए पहले 35 हजार रुपये था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 37 हजार रुपये किये हैं, 35 हजार को अब 42 हजार रुपये कर दिया है, इसे समयबद्ध तरीके से डिस्बर्स करते हैं। इस साल 57 करोड़ रुपये में से अभी तक 51 करोड़ रुपये डिस्बर्स हो गया है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: The stipend and fellowship amount is very meagre. So, with this meagre amount of scholarship and stipend, the students are facing serious problems. So, I would like to ask the hon. Member, through you, Sir, whether the Government would consider enhancing the amount of stipend and fellowship to the OBC students.

Also, will the Government further consider extending the amount of fellowship to the economically weaker sections of the general category students?

कुमारी प्रतिमा भौमिक: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 से एमपी लैड पीएचडी के लिए फेलोशिप की शुरुआत हुई है, इसमें पहले 31 हजार रुपये था, उसे 2022-23 में 37 हजार रुपये कर दिया

है, जो पहले 35 हजार रुपये था, उसे अब बढ़ाकर 42 हजार रुपये कर दिया है। इसमें समय-समय पर वृद्धि होती है।

SHRI T. R. BAALU: The number of OBC faculties in respect of technical and scientific universities, especially in the case of Assistant Professors, Associate Professors, and Professors, is very meagre. It is not even 10 per cent as of now.

Sir, 30 years ago we had brought an Act to introduce 27 per cent reservation. But so far, we have provided only 10 per cent. Equally, everybody is responsible.

I want to know the reason for that. The reason is because of shortage of Ph.D. degree holders or for want of Ph.D., the shortage is still existing. I want to know whether the stipend to the candidates will be increased according to the latest economic data or not.

कुमारी प्रतिमा भौमिक: अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में पहले ही डाटा बता दिया है कि कितना इन्क्रीज किया है। फैकल्टी के बारे में क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है। पिछले नौ सालों में 8 हजार 251 लोगों को फेलोशिप मिला है, लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, उससे रिलेटेड नहीं है, वह फेलोशिप से रिलेटेड है। हम लोगों ने फेलोशिप में वर्ष 2014 से 2023 में वृद्धि की है।

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे: माननीय अध्यक्ष, वर्ष 2019 में सरकार ने ओबीसी के अलावा दस परसेंट रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने का निर्णय लिया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस के स्कॉलर्स को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन्स में एमफील और पीएचडी के लिए क्या स्कॉलरशिप की सुविधा मिल रही है? अगर मिल रही है तो कितने स्कॉलर्स को यह सुविधा मिली है और अगर नहीं मिली है तो क्या सरकार ईडब्ल्यूएस के स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप देने के लिए सोच रही है?

कुमारी प्रतिमा भौमिक: माननीय सदस्य को तथ्य उपलब्ध करवाकर भिजवा देंगे।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, it is a state assembly question. How can it be placed in the Parliament?(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 23, श्री श्याम सिंह यादवा

... (व्यवधान)

(Q. 23)

श्री श्याम सिंह यादव: माननीय मंत्री जी, इस प्रश्न का जवाब दें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पहले आप प्रश्न 23 बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव: क्वेश्चन 23 ... (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभापटल पर रख दिया गया है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव: माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों की तरफ से एक दरखास्त करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें और दरखास्त बाद में करें।

... (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव : यह रिलेवेंट सवाल है जो प्रश्न अपलोड दस बजे अपलोड किया जाता है, वह एक दिन पहले हो। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप यह विषय चैम्बर में बताएं, यहां नहीं बताएं। अब आप प्रश्न पूछें।

श्री श्याम सिंह यादव: माननीय अध्यक्ष जी, शायद आप मुझे बधाई देंगे कि साढ़े चार साल में पहली बार स्टार्ड क्वेश्चन पूछने का मौका आया है। जैसे लोगों को ... * उसी तरह से मुझे भी ...
(व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसी बात नहीं बोलते। इसे रिकॉर्ड में मत लीजिए और ऐसे कभी मत बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट आप बैठिए। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि कभी इस पर सवाल न उठे, इस तरह के विषयों को सदन में नहीं उठाना चाहिए। यह आपका सदन है।

... (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बड़ी मुश्किल से हम लोग एक-दूसरे से तारतम्य बिठा कर सड़कें स्वीकृत करवाते हैं, लेकिन जौनपुर के एक मंत्री, एक विधायक हैं, जो जाकर इसका उद्घाटन पहले ही कर देते हैं, जबकि एक शासनादेश है कि इन सड़कों का उद्घाटन निर्विवाद रूप से माननीय सांसद करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे विद्वान मंत्री, जिन्हें कानून और नियमों का ज्ञान नहीं है, क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से अनुरोध करेंगे कि उनको नियम और कानून का पाठ पढ़ाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों क्योंकि वह जाकर खुद सड़क का उद्घाटन कर देते हैं और जनता को गुमराह करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

... (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव : यही प्रश्न है।

साध्वी निरंजन ज्योति: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न संबंधित नहीं है, प्रश्न दूसरा है।

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए गाइडलाइन जारी है और इस गाइडलाइन की सब पालना करते हैं।

... (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Thank you, Sir. Since this question is related to rural unemployment, I would just like to ask, given the fact that the average number of days of employment provided per household in the MGNREGA scheme is less than 50 days. What are the measures that the Government is taking to ensure that 100 days of employment is provided. The entire scheme was intended to give minimum 100 days of employment and they are not even able to reach 50 days what is the Government doing to ensure that at least 100 days of employment is given, and also the wages are given on time to the people working under MGNREGA scheme because it is being delayed by a few months in most of the States? Is the Government planning to give them delay allowance because that is also part of the scheme? If payment of wages is delayed, the Government is expected to give delay allowance. Thank you.

साध्वी निरंजन ज्योति: माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित बेरोजगारी भत्ता से है, मनरेगा में काम करने वाले लोगों से संबंधित है। माननीय सांसद ने प्रश्न पूछा उनको जानकारी भिजवा देंगे।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : उत्तर प्रदेश के लिए ही पूछा है। ... (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: Sir, actually I will have the same problem with the Minister.

Mr. Speaker, Sir, the question is headlined 'unemployment allowance' and that is what we are asking about. The specific Question may have been about UP, but we can ask about the principle because according to Section 7.1 of the MGNREGA Rules, "if an applicant for employment under the scheme is

not provided such employment within 15 days of receipt of his application seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with this section”.

Sir, I can tell you from my experience in the State of Kerala that this is not being done and to the best of my knowledge, in many States, we are not finding the Government actually compensating MGNREGA applicants. In my own State, the number of applicants is more than twice the number of jobs offered and only a handful of people are getting the full 100 days of employment. So, if the Government has a rule like this, that means that if somebody does not get the requested employment within 100 days under MGNREGA, they should be paid unemployment allowance. Now, where is the Government doing this, I would like the hon. Minister to explain this, in UP and every other State?

Certainly, in my State of Kerala, this is a genuine problem for our rural workers. In Kerala, 92 per cent of MGNREGA workers are women because they are running women-run households. We really need to ensure that this protection is given. Given this, can the hon. Minister tell us what mechanisms they have in place to ensure that the States are paying the money they are supposed to pay? Is the Central Government giving the States the money to enable them to pay it?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): महोदय, एक तो यह प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन मेरे विद्वान मित्र ने जिस ढंग से प्रश्न को उठाया है, उस हेतु मैं एक

मिनट आपके सामने देश का चित्र रखना चाहता हूं जहां वर्ष 2014 तक केवल 1 हजार 660 श्रम दिवस ही बन पाए थे, वहीं अब तक 2700 श्रम दिवस बन चुके हैं और जहां तक पैसे का सवाल है ... (व्यवधान) मैं वही बता रहा हूं। यहां चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमें भी चिल्लाना आता है। ... (व्यवधान) हम ज्यादा चिल्लाना जानते हैं। इन्होंने 2 लाख 13 हजार खर्च किए और 6 लाख 74 हजार हमने खर्च किए। लेबर बजट राज्य सरकार लेकर आती है। लेबर बजट की स्वीकृति हम करते हैं। मैं तो यह भी कहता हूं कि जो अधिकारी काम नहीं दे रहे हैं, राज्य सरकार उनसे पूछे। भारत सरकार की ओर से कोई दिक्कत नहीं है। न पैसे की दिक्कत है, न लेबर की दिक्कत है। ... (व्यवधान)

डॉ. शशि थरूर: सर, आप बजट बढ़ाइए। इनको पैसे दे दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या – 24, डॉ. पोन गौतम सिगामणि।

(Q.24)

DR. PON GAUTHAM SIGAMANI: Sir, in the reply given by the hon. Minister, it has been stated that most of the works, which are pending under the said programme in certain States, are in hilly States. The very purpose of PMGSY is to make road connectivity in rural as well as hilly-terrain areas. Kalvarayan Hills and Yercaud Hills fall in my Kallakurichi parliamentary constituency which need better road connectivity. What are the steps the Government propose to take to remove the bottlenecks to complete the road projects in those States where the work is still pending despite many extensions?

साध्वी निरंजन ज्योति: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना लागू करने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करना चाहती हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूँ कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जो अलग गांव थे, उनको जोड़ने के लिए थी। यह बात सही है कि जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां सड़क बनाने में कहीं न कहीं दिक्कत आती है, पानी बरसता है। उसके बावजूद मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का काम बहुत तेज गति से हुआ है। हमने सड़कों के फेज-1, फेज-2 और फेज-3 के सड़कों के लिए राज्यों का समय बढ़ाया है। जहां यह समय वर्ष 2019 तक था, उसको हमने वर्ष 2022 तक किया है और वर्ष 2022 के बाद हमने फेज-2 के लिए वर्ष 2024 तक समय बढ़ाया है तथा फेज-3 के लिए वर्ष 2025 तक कर दिया है। इन सड़कों का काम राज्यों को पूरा करना है।

DR. PON GAUTHAM SIGAMANI: I would like to state that there is a difference in allocating funds for districts in Tamil Nadu in rural areas. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering to sanction further road projects and sanction funds equally for all districts in Tamil Nadu.

साध्वी निरंजन ज्योति: माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क एक सतत प्रक्रिया है। जब वह पूरी होती तो उसके लिए निधि जारी की जाती है। फेज-1, फेज-2 और इस समय फेज-3 काम चल रहा है। लेकिन, कई राज्य फेज-1 और फेज-2 का काम पूरा नहीं कर पाए हैं इसलिए, जिन राज्यों से सदस्य आते हैं, वे अपने राज्य को प्रेरित करें कि वे पहले फेज-1 और फेज-2 का काम पूरा करें। पैसे की कमी नहीं है, हमारी ओर से पूरा पैसा जा रहा है। अभी फेज-1 और फेज-2 की सड़कें नहीं बन पाई हैं, जबकि हम फेज-3 में पहुंच चुके हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लगभग पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार देश में पहली सरकार है, जिसने सड़कों का काम पूरा किया है। ... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए अनुमति प्रदान की है। अभी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। उन्होंने इस काम को एक कंसेप्ट के साथ प्रारंभ किया था और पूरे देश में गाँवों को सड़कों से जोड़ने का एक नया उदाहरण पेश करने का काम किया था। वर्तमान में मोदी जी की सरकार ने इसको बहुत बड़ी गति देने का काम किया है।

सर, मैं आपके माध्यम से अपने राज्य बिहार के संदर्भ में जानना चाहूँगा, जैसे हमें पता है कि फेज-1, फेज-2 और फेज-3 की सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बिहार में फेज-1 और फेज-2 सड़कों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, वे पूरे हुए कि नहीं? फेज-3 में आपने कितने किलोमीटर सड़कों के निर्माण की अनुमति प्रदान की है? अब तक उसकी क्या प्रगति है? बिहार के संदर्भ में इस बारे में मैं खास तौर से जानना चाहूँगा। धन्यवाद।

श्री गिरिराज सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है, वैसे तो यह नहीं था। फेज-1 और फेज-2 में वैसी सड़कें बची हैं, जो उग्रवादी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। फेज-3 में 6,162 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया है, जिनमें से 5,605 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हो गई हैं। फेज-3 में अभी 267 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की जानी बाकी हैं।

SHRI K. MURALEEDHARAN: The main problem of the PMGSY is the direction from the Central Government which states that the width of the road will be eight meters. But in the State of Kerala most of the roads are only six meters wide. So, I would like to know from the Government whether the Government should adopt a State-specific road width for this purpose. Then only the State of Kerala will get benefit. We want an exemption or a State-specific Road width.

साध्वी निरंजन ज्योति: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केरल से संबंधित प्रश्न पूछा है। मैं उनका उत्तर लिखित में जरूर भेजूंगी, लेकिन अभी तक जो सड़कें पूर्ण हुई हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगी। वर्ष 2006 से मार्च, 2014 तक 411 किलोमीटर सड़कें और अप्रैल, 2014 से अब तक 8000 किलोमीटर लंबित सड़कें पूरी की गई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' एक सतत प्रक्रिया है। अगर किसी भी राज्य में कहीं कोई कमी है, तो हम उसको पूरा करेंगे। हमारा मंत्रालय एक खुला दरबार है। जब तक फेज 1, 2 और 3 का काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : सुदीप बन्दोपाध्याय जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : महोदय, मेरा प्रश्न 23 से संबंधित सवाल है...(व्यवधान)

सुश्री महुआ मोइत्रा : महोदय, प्रश्न 24 के लिए मैंने नोटिस दिया है...(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : महोदय, गिरिराज सिंह जी को देखकर मुझे प्रश्न पूछने का मन करता है। मैं आपसे बार-बार बोलता हूँ। हम लोग आपसे मिले थे। आप लोगों ने जवाब दिया था कि मंत्री जी को भेजिए, मंत्री जी से बात करिए। हम लोग आपसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन आप नहीं थे। हम राज्य मंत्री जी के घर पर गए थे। हमने वहां ढाई घंटे इंतजार किया था।

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय कल आ गया था।

... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : महोदय, मेरा प्रश्न है कि चाहे 100 दिन कामगार या आवास योजना हो, इसके लिए आप लोग करप्शन की बात उठाते हैं। पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है। वहां 38,000 गांव हैं। जिस गांव में ऐसी स्थिति है, वहां का पेमेंट रोक दीजिए। आप पूरे राज्य का पैसा क्यों रोक देते हैं? दो साल से फंड नहीं मिला है। यह बहुत ही दुख की बात है। गिरिराज जी, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ...(व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका जवाब दूंगी, यद्यपि यह सवाल इस सदन से संबंधित नहीं है। जिस तरह से मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है, इन्होंने 5 लोगों के लिए आधे घंटे का समय मांगा था, मैंने कहा कि 5 लोग आ जाइए। फिर 10 मिनट के बाद कहते हैं कि हम 10 लोग आएं, तब मैंने कहा कि 10 लोग आ जाइए। फिर कहा कि जनता से मिलिए, तब मैंने कहा कि आपका प्रतिनिधि मंडल जिस मुद्दे को लेकर आया है, पहले उस पर बात करिए...(व्यवधान) पहले मेरी बात सुनिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ढाई घंटे तक अपने ऑफिस में बैठी रही, जबकि मुझे आधे घंटे बैठना था। फिर कहा कि हम सभी सांसद आएं, मैंने कहा कि सभी सांसद आ जाइए। मैं अकेली नहीं मिलूंगी। आपका डेलिगेशन आया है, मैं उनसे मिलूंगी। आप जिस मुद्दे को लेकर आए हैं, उस संबंध में बात करिए। अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि ये मिलने के लिए तैयार नहीं थे, इन्हें प्रोपेगंडा करना था। मेरे ऑफिस में धरना देना था...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ढाई घंटे तक बैठी रही। शाम को 6 बजे से लेकर 8.30 बजे तक बैठी रही थी। मुझे कहा गया कि पीछे वाले गेट से निकल गईं। मैं 4 नंबर गेट से जाती हूँ, 4 नंबर गेट से आती हूँ और 4 नंबर गेट से ही गई थी। इन्हें बात नहीं करनी थी। इन्हें पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता नहीं है। इन्हें सिर्फ राजनैतिक रोटियां सेकनी है। इन्होंने राजनैतिक रोटियां सेकने के लिए इस भवन में आकर धरना दिया। मैं ढाई घंटे तक बैठी रही। मैं चाहूंगी कि वे इस तरह का

झूठा बयान न दें। मुझे झूठा बोला। मुझे महुआ मोइत्रा ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति जैसा पापी हो, तो पाप की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संत हूँ और उसका परिणाम इनको मिल गया है...(व्यवधान)

श्री तापिर गाव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो बार मिला हूँ। हमारे अरुणाचल प्रदेश में तीन जिले हैं, जहां उग्रवादियों की वजह से डिस्टर्बेंस होता है। पीएमजीएसवाई फेज 1 और फेज 2 का काम बचा है। मंत्री जी ने कहा है कि मैंने परमीशन दे दी है। परमीशन तो दी है, लेकिन फंड नहीं दिया है, तो राज्य सरकार कैसे पीएमजीएसवाई का फेज 1 और फेज 2 का काम पूरा करेगी? मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूँ। फेज 1 और फेज 2 का फंड कब रिलीज करेंगे, मंत्री जी यह बताइए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इनका जवाब दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री गिरिराज सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे पास आए थे और मैंने इनके कहने पर समय अवधि को बढ़ाया है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि वह इसे पूरा कर दे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या – 25, डॉ. मनोज राजोरिया ।

(Q.25)

डॉ. मनोज राजोरिया : माननीय स्पीकर महोदय, जिस तरीके से देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए, किसानों की उन्नति के लिए पिछले लंबे समय से काम किया है, उसी कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों को सम्मान देने के लिए 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' की घोषणा की थी। ... (व्यवधान) आज उस घोषणा से मेरे संसदीय क्षेत्र करौली के 1 लाख 46 हजार 953 और धौलपुर के 1 लाख 52 हजार 271 किसानों सहित राजस्थान के 80 लाख से अधिक तथा पूरे देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' का फायदा मिला है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।... (व्यवधान)

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों के हित के लिए इस प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लाए हैं, इसमें बचे हुए किसानों या शत-प्रतिशत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री जी आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ऐसे क्या प्रयास कर रही है कि शत प्रतिशत किसानों तक 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' का लाभ पहुंच सके? ... (व्यवधान)

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2018 में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसान सम्मान योजना शुरू की थी। तब से अभी तक 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों के लिए 2.81 लाख करोड़ रुपये डीबीटी के तहत हमने पहुंचाए हैं। ... (व्यवधान)

11.43 hrs

At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members left the House.

अब यह योजना विश्व की अत्यंत बड़ी योजना है। यह योजना डीबीटी के तहत जारी की गई थी। इसकी तारीफ विदेश में भी हो रही है। इस योजना को देते समय हमने राज्य सरकार से आंकड़ा मांगा था। उस समय हमें 11 करोड़ का आंकड़ा मिला था, इसमें 2 करोड़ किसान फर्जी

निकले। उसके बाद हमने किसानों में जागृति की है, मोबाइल ऐप बनाए हैं और वेबसाइट पर खुद ऐप्लीकेशन डालने के लिए मौका दिया है। अभी-अभी हमने ई-केवाईसी के तहत फेस आइडेंटिफिकेशन करने का भी प्रावधान इसमें किया है। इसलिए हमारी सरकार की इच्छा किसान सम्मान योजना को सेचुरेशन पॉइंट पर लाना है और सब किसानों को देना है। हमने इस तरह से अपना काम शुरू किया है, इसलिए इस बड़ी योजना की विदेश में भी तारीफ हो रही है।

डॉ. मनोज राजोरिया : माननीय मंत्री महोदया जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में किसानों को आर्थिक संबल और उन्नति करने के लिए उनकी फसल को समर्थन मूल्य देने के लिए एमएसपी का जो मूल्य बढ़ाया है, किसानों को अधिकतम फसलों पर एमएसपी दी और अधिक से अधिक फसलों की खरीद की घोषणा की। इसमें कुछ फसलें ऐसी भी रहीं, जिसमें प्रधान मंत्री जी ने एमएसपी को डेढ़ गुना से भी अधिक मूल्य पर उन फसलों की खरीद की।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि पिछले 9 वर्षों में किन-किन फसलों को डेढ़ गुना से अधिक एमएसपी पर उन्होंने खरीदने का काम किया? इसमें अलावा 9 वर्षों में कितनी फसलों की किसानों से खरीद की और किसानों को लाभ दिया तथा उनकी आर्थिक उन्नति में उनके सम्मान को बढ़ाने में सहयोग किया?

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को उनके उत्पाद में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 22 मैडेटेड कृषि फसलों के लिए एमएसपी दे रहे हैं।

हमारी सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में कहा था कि उत्पादन की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी में देने की घोषणा की है। उसके आधार पर वर्ष 2018-19 में मैडेटेड खरीफ, रबी और अन्य बागवानी फसलों के लिए एमएसपी ऑल इंडिया वैटेड एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन का लागत पर कम से कम 50 परसेंट मुनाफे के साथ निर्धारित की जाती है। वर्ष 2014-15 में खाद्यान्नों की खरीद में 759.44 लाख मीट्रिक टन था अब यह बढ़कर पिछले साल वर्ष 2022-23 में 1062.69

लाख मीट्रिक टन की खरीदी की गयी है। जिसमें 1.6 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ हुआ है।
The expenditure incurred on procurement of food grains has increased. In 2014, it was 1.06 lakh crore, अभी वह बढ़कर 2.2 लाख करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। हर साल यह संख्या बढ़ रही है और एमएसपी के तहत अब ज्यादा खरीद हो रही है। दलहन और तिलहन में हमने इसकी सीलिंग को निकाल दिया है। हम सौ प्रतिशत दलहन की खरीदी कर रहे हैं, इसलिए हर साल वह खरीद ज्यादा हो रही है और उसका मूल्य भी ज्यादा दिया जा रहा है।

श्रीमती रंजीता कोली : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि सरकार ने चेहरे के अथॉन्टिकेशन के साथ ई-केवाईसी की सुविधा शुरू की है। क्या किसानों ने इसका उपयोग किया है? यदि किया है तो उसकी क्या स्थिति है?

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : माननीय अध्यक्ष जी, आरम्भ में हम राज्यों पर निर्भर थे। राज्यों को किसानों का आंकड़ा देना था और फिजिकल वैरिफिकेशन करना था, जिसमें काफी गड़बड़ी हुई। उसके बाद 13वीं इंस्टॉलमेंट के बाद हमने आधार लिंकड केवाईसी के माध्यम से किसान सम्मान निधि देने के बारे में तय किया। उसके बाद 15वीं इंस्टॉलमेंट में, जो अभी-अभी दी गयी है, उसमें ई-केवाईसी की है। ई-केवाईसी के तहत फेस आईडेंटिफिकेशन करने की घोषणा की गयी है। इससे ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़ रहे हैं। सौ प्रतिशत अथॉन्टिकेशन के साथ वह हो रहा है। It is an example of good governance; it is an example of transparency; and it is an example of digital governance in India. इसलिए ई-केवाईसी में सब अच्छा हो रहा है और सब किसान इसके साथ जुड़ रहे हैं। यह बहुत ईजी है। इसमें मोबाईल में गूगल के प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करके कोई भी किसान खेत में खड़ा होकर ई-केवाईसी कर सकता है, ऐसी सुविधा हमारी सरकार ने ई-केवाईसी के लिए शुरू की है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हम सब जानते हैं कि इस सरकार ने तीन कृषि कानूनों को लागू किया था, जिसके कारण देश के सारे किसान इकट्ठा हो गए और इसके खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। उसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि उनकी तपस्या में कोई गलती हुई

थी। अब, शायद वह तपस्या भी ठीक हो गयी है। उस समय किसानों ने यह मांग की थी कि एमएसपी को लीगल राइट का दर्जा दिया जाए। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि एमएसपी को लीगल राइट का दर्जा देने के बारे में क्या सरकार ने कोई फैसला लिया है? तोमर साहब, आप जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान में रोज़ाना 35 किसान गरीबी के चलते खुदखुशी भी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय मंत्री जी, आप एमएसपी को लीगल राइट देने के बारे में अपने जवाब में बताएं।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): अध्यक्ष महोदय, आज स्वामीनाथन साहब जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी एम.एस.पी. की बात होती है तो स्वामीनाथन साहब को याद करना ही चाहिए। उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी। कृषि सुधारों की दृष्टि से स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और वाजपेयी जी की सरकार के समय पर वह रिपोर्ट नहीं आ पाई थी।

वर्ष 2004 में सरकार बदल गई थी। वर्ष 2007 में माननीय मनमोहन सिंह साहब प्रधान मंत्री थे। उस समय उनके समक्ष यह रिकमेंडेशन प्रस्तुत की गई। तदुपरांत सरकार ने रिकमेंडेशन पर विचार करने के लिए कृषि मंत्री और बाकी लोगों का एक ग्रुप बनाया। उस समय स्वामीनाथन साहब ने 201 रिकमेंडेशन्स की थीं, जिनमें से एनडीए सरकार 200 रिकमेंडेशन्स पर काम कर रही है। उनमें से प्रमुख रिकमेंडेशन एम.एस.पी. की थी, जिस पर स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर एम.एस.पी. घोषित करनी चाहिए... (व्यवधान)

वर्ष 2007 के बाद वर्ष 2014 तक यू.पी.ए. की गवर्नमेंट रही और यू.पी.ए. की गवर्नमेंट के समय इस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। यह नेशनल सूची में ही रही। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जब नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने, उसके बाद इस रिकमेंडेशन पर काम हुआ और आज एम.एस.पी. 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर लागत पर घोषित की जाती है।

मंत्री जी ने जैसा बताया कि अभी तक लगातार प्रोग्रेस है। उस समय एक लाख करोड़ रुपये खरीद पर खर्च होते थे। आज 2 लाख 28 हजार करोड़ रुपये खरीद पर खर्च होते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अभी किसान आन्दोलन की बात की गई है तो उस समय जो समिति बनाई गई थी, उस समिति में तीन-चार विषय थे, जिनमें प्राकृतिक खेती भी थी, बाकी सुधार भी थे और एम.एस.पी. को और ठीक प्रकार से किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके मैकेनिज्म पर विचार-विमर्श करने की बात थी। उस कमेटी की लगभग 30 से 35 बैठकें हुई हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी उसकी रिक्मेंडेशन नहीं आई है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 26, श्री संजय काका पाटील।

... (व्यवधान)

(Q. 26)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 27, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू ।

(Q. 27)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, Andhra Pradesh is going through a severe drought. There is rainfall deficit ranging from 21 per cent to 51 per cent across different districts of Andhra Pradesh. Specifically coming to my districts of Guntur and Palnadu, there is a drastic reduction in sowing area of cotton and chilly. It has gone down by 48 per cent in cotton and 45 per cent in chilly. Crop insurance should come as a major relief for farmers against erratic rainfall and climate change.

Chilli crop comes under yield-based category, whereas it is sowed under irrigated based category. It is classified as yield-based under crop insurance. So, my question to the Government is whether chilli crop can be moved from yield-based category to irrigated, weather-based category.

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यह देश भर में किसानों को एक कवरेज प्रदान करता है। अगर किसानों को किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो फसल बीमा के माध्यम से वह कवर होता है। आपने आंध्र प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछा है। आपने मिर्ची और वेदर बेस्ड खेती करने के बारे में पूछा है। राज्य सरकार को पूर्ण रूप से फसल बीमा के लिए कौन-सी पैटर्न को अपनानी है, इसके लिए हमने

उनको मॉड्यूल दे रखा है, उस मॉड्यूल के आधार पर वे कार्य करते हैं। उसमें राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि कौन-से नोटिफिकेशन के अंदर किस तरह से करना है। वहां राज्य सरकार जिस प्रकार से उसे करना चाहे, वह कर सकती है। अगर वे वेदर बेस्ड मॉड्यूल को अपनाना चाहते हैं, तो राज्य सरकार उसको निर्धारित कर सकती है। क्योंकि इसके अंदर राज्य सरकार को दोनों मॉड्यूल्स दिए गए हैं।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Hon. Speaker, Sir, during difficult times like drought situations, Krishi Vigyan Kendras play a major role in encouraging and handholding farmers to go for crop insurance, for crop diversification.

Now, I come to my constituency. In Palnadu, we had proposed for the establishment of a Krishi Vigyan Kendra three years back in the village of Jangamaheswara Puram, Gurazala Mandal. When we asked for a Krishi Vigyan Kendra three years back, they said that as it was corona time, they were not deciding on the matter with regard to Krishi Vigyan Kendra. For the last three years, we have been following it up with various offices. But still there is no response from them. So, I would like to ask the hon. Minister whether there is any policy of the Union Government to not sanction any KVK. Or, if the Government is going to sanction any KVK, will the Government do it before the 2024 elections?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनके प्रश्न के आधार पर यह कह सकता हूँ कि यह प्रश्न इनके विषय से संबंधित नहीं है। आपको इसका जवाब भेज दिया जाएगा।

श्री हसनैन मसूदी : अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सेब उत्पादन जम्मू-कश्मीर के लिए मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जम्मू-कश्मीर

में सेब की पैदावार करीब 30 मिलियन टन होती है। क्या उसको पीएमएफबीवाई के दायरे में लाना चाहती है, ताकी ये भी कंसेशन रेट्स, प्रीमियम रेट्स पर बेचे जा सकें। सेब की सनअत, फूड इन्डस्ट्री को भी उसके दायरे में लाया जाए। यह उम्मीद है कि सरकार अवेयर होगी कि हिल्स कारणों की वजह से, कहीं-कहीं आफाती होती है, तो फसल के ट्रांसपोर्टेशन में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर सेब को इसके दायरे में लाया जाए और कंसेशन रेट्स, प्रीमियम रेट्स अप्लाई हो तो वहां के किसानों और एप्पल ग्रोवर्स के लिए यह एक बड़ा अच्छा इनसेंटिव होगा।

[جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): شکر یہ اسپیکر صاحب، آپ کا بہت بہت شکر یہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیب کی پیداوار جموں کشمیر کی معیشت کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جموں کشمیر میں سیب کی پیداوار قریب 30 ملین ٹن ہوتی ہے۔ کیا اس کو پی۔ایم۔ایف۔بی۔وائی۔ کے دائرے میں لانا چاہتی ہے تاکہ یہ بھی کنسیشن ریٹس، پریمیم ریٹس پر بیچے جا سکیں۔ سیب کی صنعت فوڈ انڈسٹری کو بھی اس کے دائرے میں لایا جائے۔ یہ امید ہے کہ سرکار اوپنر ہوگی۔ بلس کی وجہ سے کہیں کہیں پریشانی ہوتی ہے، تو فصل کے ٹرانسپورٹیشن میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر سیب کو اس کے دائرے میں لایا جائے اور کنسیشن ریٹس، پریمیم ریٹس اپلائی ہوں تو وہاں کے کسانوں اور سیب کی پیداوار کرنے والوں کے لئے یہ ایک اچھا قدم ہوگا۔]

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी रही है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। कोरोना के समय में जम्मू-कश्मीर में सेब का भाव कम हुआ था, तो उस समय भारत सरकार ने उसकी खरीद की थी। आपको यह अच्छी तरह से ध्यान में है। निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि जम्मू-कश्मीर के

अंदर भी इसको कवर करने के लिए निर्णय राज्य सरकार लेती है। इसमें राज्य सरकार का पूर्ण अधिकार है। मैं यही कह सकता हूँ कि भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई विषय आएगा तो निश्चित रूप से गंभीरता से विचार किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos. 28 to 40
Unstarred Question Nos. 231 to 460)
(Page No. 38 to 716)

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 – श्री कृष्ण पाल।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10104/17/23]

- (2) (एक) सेंट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[Placed in Library, See No. LT 10105/17/23]

12.01 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10106/17/23]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 25 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 683(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10107/17/23]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10108/17/23]

(3) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10109/17/23]

(4) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10110/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE): Sir, I beg to lay on

the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions)

under Section 4(d) of the Destructive Insects & Pests Act, 1914:-

- (1) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fifth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3246(E) in Gazette of India dated 20th July, 2023.
- (2) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Sixth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3682(E) in Gazette of India dated 17th August, 2023.
- (3) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Seventh Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3945(E) in Gazette of India dated 5th September, 2023.
- (4) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Eighth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4082(E) in Gazette of India dated 15th September, 2023.
- (5) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Ninth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4228(E) in Gazette of India dated 26th September, 2023.
- (6) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Tenth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4366(E) in Gazette of India dated 6th October, 2023.
- (7) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Eleventh Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4552(E) in Gazette of India dated 17th October, 2023.

- (8) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Twelfth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4640(E) in Gazette of India dated 25th October, 2023.
- (9) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Thirteenth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4739(E) in Gazette of India dated 30th October, 2023.
- (10) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fourteenth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4764(E) in Gazette of India dated 2nd November, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10111/17/23]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10112/17/23]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3744 (अ), जो 22 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक), और गुवाहाटी (असम) में स्थापित परिसर राष्ट्रीय

न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों के रूप में शामिल होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) सुधार प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 10113/17/23]

12.01½ hrs

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL, AS PASSED BY RAJYA SABHA***

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Post Office Bill, 2023 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 4th December, 2023.”

2. Sir, I lay on the Table the Post Office Bill, 2023, as passed by Rajya Sabha on the 4th December, 2023.

* Laid on the Table.

12.02 hrs

ASSENT TO BILL

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table a copy, duly authenticated by the Secretary General, Rajya Sabha, of the Constitution (One Hundred and Twenty-eighth Amendment) Bill, 2023, passed by the Houses of Parliament and assented to by the President as the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, since a report was made to the House on the 19th September, 2023.

12.02½ hrs


**STATEMENT CORRECTING REPLY TO USTARRED QUESTION NO. 3112
DATED 08.08.2023 REGARDING 'VIBRANT VILLAGE PROGRAMME'
ALONGWITH REASONS FOR DELAY***

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): महोदय, मैं (एक) "वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम" के बारे में श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के 08.08.2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य (अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10103/17/23.

772 (A)

Authenticated


 (Nisith Pramanik)
 Minister of State (Home)
 (NISITH PRAMANIK)
 Minister of State for Home Affairs
 Govt. of India
 North Block, New Delhi

Statement to be made by the Minister of State for Home Affairs correcting the reply (English Version) given on 8th August, 2023 to Unstarred Question No. 3112 asked by Shri Sushil Kumar, Hon'ble MP, regarding Vibrant Village Programme.

I request that the following corrections be made in the reply given to Unstarred Question No. 3112 (English version) in the Lok Sabha on 8th August, 2023 regarding 'Vibrant Village Programme'.

Rega- rding	For	Read
(a) to (c)	<p>Vibrant Villages Programme (VVP) approved on 15th February, 2003, as a Centrally Sponsored Scheme, envisages comprehensive development of identified villages in 46 blocks abutting northern border in 19 districts of Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand and UT of Ladakh.</p> <p>The programme includes both components of Central Sector Schemes (CS) as well as Centrally Sponsored Schemes (CSSs) in the identified focused areas of intervention for creation of opportunities for livelihood generation through promotion of tourism & cultural heritage, skill development & entrepreneurship and development of cooperative societies including agriculture/ horticulture, cultivation of medicinal plants/ herbs etc. The interventions also include providing road connectivity to unconnected villages, housing & village infrastructure, energy including renewable energy, television & telecom connectivity.</p> <p>The objective of the programme is to finance the funding gap in the coverage of existing schemes and 100% saturation of Central Sector, Centrally Sponsored and State Government Schemes exclusively for the focus areas of interventions in the identified villages so that there are sufficient incentives for the people to stay on in the border areas villages.</p>	<p>Vibrant Villages Programme (VVP) approved on 15th February, 2023, as a Centrally Sponsored Scheme, envisages comprehensive development of identified villages in 46 blocks abutting northern border in 19 districts of Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand and UT of Ladakh.</p> <p>The programme includes both components of Central Sector Schemes (CS) as well as Centrally Sponsored Schemes (CSSs) in the identified focused areas of intervention for creation of opportunities for livelihood generation through promotion of tourism & cultural heritage, skill development & entrepreneurship and development of cooperative societies including agriculture/ horticulture, cultivation of medicinal plants/ herbs etc. The interventions also include providing road connectivity to unconnected villages, housing & village infrastructure, energy including renewable energy, television & telecom connectivity.</p> <p>The objective of the programme is to finance the funding gap in the coverage of existing schemes and 100% saturation of Central Sector, Centrally Sponsored and State Government Schemes exclusively for the focus areas of interventions in the identified villages so that there are sufficient incentives for the people to stay on in the border areas villages.</p>

722(B)

The financial allocations approved for the VVP from financial years 2022-23 to 2025-26 is as follows:					The financial allocations approved for the VVP from financial years 2022-23 to 2025-26 is as follows:				
(Rs.in crore)					(Rs.in crore)				
FY 2022-23	FY 2023-2024	FY 2024-25	FY 2025-26	Total	FY 2022-23	FY 2023-2024	FY 2024-25	FY 2025-26	Total
50.00	1200.00	1750.00	1800.00	4800.00	50.00	1200.00	1750.00	1800.00	4800.00

Reason for delay:

The reply to the question was given on 8th August, 2023 and the session was prorogued on 11th August, 2023. Since, the time was very short, therefore, the correction could not be made.

722(A)

722(C)

Correct Reply

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 3112
TO BE ANSWERED ON THE 8TH AUGUST, 2023/SRAVANA 17, 1945 (SAKA)

VIBRANT VILLAGE PROGRAMME

†3112. SHRI SUSHIL KUMAR SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- the manner in which the Vibrant Villages Programme (VVP) is helpful in the development of border area villages;
- whether the Government has released any special budget for the development of border area villages under the said programme; and
- if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NISITH PRAMANIK)

(a) to (c): Vibrant Villages Programme (VVP) approved on 15th February, 2023, as a Centrally Sponsored Scheme, envisages comprehensive development of identified villages in 46 blocks abutting northern border in 19 districts of Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand and UT of Ladakh.

The programme includes both components of Central Sector Schemes (CS) as well as Centrally Sponsored Schemes (CSSs) in the identified focused areas of intervention for creation of opportunities for livelihood generation through promotion of tourism & cultural heritage, skill development & entrepreneurship and development of cooperative societies including agriculture/horticulture, cultivation of medicinal plants/herbs etc. The interventions also include providing road connectivity to unconnected villages, housing & village infrastructure, energy including renewable energy, television & telecom connectivity.

The objective of the programme is to finance the funding gap in the coverage of existing schemes and 100% saturation of Central Sector, Centrally Sponsored and State Government Schemes exclusively for the focus areas of interventions in the identified villages so that there are sufficient incentives for the people to stay on in the border areas villages.

The financial allocations approved for the VVP from financial years 2022-23 to 2025-26 is as follows:

				(Rs.in crore)
FY	FY	FY	FY	Total
2022-23	2023-2024	2024-25	2025-26	
50.00	1200.00	1750.00	1800.00	4800.00

722(D)

Original Reply

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 3112
TO BE ANSWERED ON THE 8TH AUGUST, 2023/SRAVANA 17, 1945 (SAKA)

VIBRANT VILLAGE PROGRAMME

†3112. SHRI SUSHIL KUMAR SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) the manner in which the Vibrant Villages Programme (VVP) is helpful in the development of border area villages;
- (b) whether the Government has released any special budget for the development of border area villages under the said programme; and
- (c) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NISITH PRAMANIK)

(a) to (c): Vibrant Villages Programme (VVP) approved on 15th February, 2003, as a Centrally Sponsored Scheme, envisages comprehensive development of identified villages in 46 blocks abutting northern border in 19 districts of Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand and UT of Ladakh.

The programme includes both components of Central Sector Schemes (CS) as well as Centrally Sponsored Schemes (CSSs) in the identified focused areas of intervention for creation of opportunities for livelihood generation through promotion of tourism & cultural heritage, skill development & entrepreneurship and development of cooperative societies including agriculture/horticulture, cultivation of medicinal plants/herbs etc. The interventions also include providing road connectivity to unconnected villages, housing & village infrastructure, energy including renewable energy, television & telecom connectivity.

The objective of the programme is to finance the funding gap in the coverage of existing schemes and 100% saturation of Central Sector, Centrally Sponsored and State Government Schemes exclusively for the focus areas of interventions in the identified villages so that there are sufficient incentives for the people to stay on in the border areas villages.

The financial allocations approved for the VVP from financial years 2022-23 to 2025-26 is as follows:

(Rs.in crore)				
FY	FY	FY	FY	Total
2022-23	2023-2024	2024-25	2025-26	
50.00	1200.00	1750.00	1800.00	4800.00

—

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHICODE): Sir, I wish to draw attention to the grave disparity shown to the State of Kerala.

The Government of Kerala had, in advance, identified in Kinalur in my constituency Kozhikode, sufficient land for establishing this prestigious medical institute. I have also repeatedly followed this for the last very many years. Yet, it is a dream come true.

The availability of AIIMS at Kozhikode, a region, which is deprived of advanced specialized medical centres, will be a major boom to the people of seven districts in the Malabar region of Kerala and some regions of the nearby States like Karnataka and Tamil Nadu.

The district is notorious for frequent Nipah and other virological outbreaks. The entire region is also prone to various lifestyle diseases including cancer, cardiac issues, diabetes, respiratory ailments, atherosclerosis and others.

The setting of the AIIMS in Kozhikode will enhance the healthcare as well as research facilities to address common diseases apart from helping people get treatment at door step.

Hence, I strongly request both the Health Minister and Finance Minister to include the setting up of the proposed AIIMS for Kerala at Kozhikode in the next budget proposal positively.

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): Sir, I would like to register my grave concern and urge upon the related Departments of the Government of India, especially, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Health and the Ministry of Social Justice to take urgent action because the use of drugs and substance abuses are on the rise in this country.

You will be surprised to know that in the northeastern region, in certain remote areas of Manipur, Arunachal Pradesh, Assam and Mizoram, extensive poppy cultivation is expanding. Their processing plants have also been set up, thereby, there has been a rise of different types of drugs in the valleys of Assam and they are spreading throughout the country.

As per the report of NDDTC and AIIMS of 2019-20, over half of the total drug users of India come mainly from eight States, four of which are in the northeast itself. They are Assam, Manipur, Sikkim and Mizoram. My State, Assam, is reported to have over four lakh drug users with eight vulnerable districts including my constituency, Nawgong. Nawgong has become a conduit district. A large quantity of drugs is everyday coming out from that area and spreading to the rest of the country.

My request to the Government of India is to take urgent action to stop this menace. The Ministry should also establish rehabilitation centres and counselling centres so that the drug users can be put at bay and counselling can be done.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, thank you very much for providing me this opportunity. The matter is pertaining to greenfield National Highway 744 starting from my constituency, Kadampattukonam Parippally, Edamon, Shenkottai, Aryankavu, Thenmala to Tirumangalam. It has been declared as a greenfield highway by the Government of India.

It is quite unfortunate that the process of land acquisition has not been completed so far. 3A notification is there. 3D notification has been completed. But so far, land acquisition has not been completed. Therefore, people who have already given their consent for land acquisition are in big trouble and they are not able to transact any business on their land as it is under acquisition.

Once the State Government had agreed that they will pay 25 per cent of the total cost of land acquisition. That was the assurance given by the State Government. Unfortunately, the State Government has not kept their promise and they are not willing to pay 25 per cent of the total cost of land acquisition.

The Minister of Road Transport, Shri Nitin Gadkari has suggested that if 25 per cent of the total cost of land acquisition is not paid, GST exemption may be given for the materials for construction and royalty for the rock blasting has to be given. The Central Government and the State Government had a serious discussion on this issue. But so far, no decision has been taken.

The acquisition process had been started two years back. People are suffering. They are ready and willing to surrender their land. Notification is there. But people are not getting the compensation. They are in big difficulty.

So, my submission to the Government of India is to please bear the total cost of construction of the highway and expediate the steps of the acquisition; complete the acquisition process at the earliest; and the compensation be provided to the people belonging to that area. The proceedings have to be initiated at the earliest.

Thank you very much, Sir.

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट) : माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सर, पश्चिम बंगाल की सरकार ने हमेशा अपनी जनता को पॉलिटिकल कारणों से सुविधाओं से वंचित किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने वर्ष 2020 में कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो केंद्र द्वारा चलाए जाते हैं, उनको बंद करने का डिसीजन लिया। ... (व्यवधान) आप सोचिए, कॉमन सर्विस सेंटर्स केंद्र द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से, जो साधारण लोग हैं, जो जनता है, उसको तरह-तरह की हैल्प मिलती है। जो केंद्रीय प्रकल्प हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी हैल्प मिलती है। ... (व्यवधान) उसके साथ-साथ वहां से उनको आधार कार्ड के संबंध में भी हैल्प मिल सकती है।

सर, सीएससी के द्वारा और भी बहुत से काम हो सकते हैं। ... (व्यवधान) सीएससी बंद करने के कारण जो 40 हजार युवा इन सेंटर्स के साथ जुड़े हुए थे, जिनकी इनसे इनकम होती थी, वे सीएससी चलाते थे, उनको पंचायत के ऑफिसों से गुंडों द्वारा धमका कर बाहर निकाल दिया गया कि आप यहां सीएससी नहीं चला सकते, आपको सीएससी बंद करना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

ऐसी सरकार, जो सरकार अपनी जनता की नहीं सुनती, जो सरकार अपनी जनता को प्रताड़ित करती है, उस सरकार की जनता अपने आंसू बहाती है। ... (व्यवधान) ऐसी नौबत आ गई कि उस सरकार ने यह डिसीजन लिया कि जो इकोनॉमिक सेंसेस है, वह पश्चिम बंगाल में नहीं किया जाएगा।

चेयरमैन सर, आप बताइए कि अगर इकोनॉमिक सेंसेस नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में कौन आदमी गरीब है, कौन अमीर है? अगर इकोनॉमिक सेंसेस नहीं हुआ, तो आप लोगों को कैसे सुविधाएं देंगे? ... (व्यवधान) अगर आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आप गरीबों के लिए डेटा कैसे बनाएंगे? इस विषय के ऊपर, जनता की डिमांड के कारण हमने कोलकाता हाई कोर्ट में पीआईएल भी लगाई। कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बोला है कि आप इसके ऊपर अपना एफिडेविट दाखिल कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार डिले कर रही है, अपना एफिडेविट भी दाखिल नहीं कर पा रही है। ... (व्यवधान) उनको 12 तारीख तक का टाइम दिया गया है। ... (व्यवधान) यदि 12 तारीख तक एफिडेविट दाखिल नहीं हुआ, तो पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ... (व्यवधान)

अतः इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशंस और पोस्ट ऑफिसों में सीएसएसी को फिर से चालू किया जाए, ताकि पश्चिम बंगाल की जनता सीएससी से लाभ ले पाए ... (व्यवधान) पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल की जनता को प्रताड़ित कर रही है। ... (व्यवधान)

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR): Thank you, Sir. This is regarding my State Odisha. There are 34 Government and 124 private polytechnics including 22 new polytechnics. There is one among them in my Parliamentary constituency Behrampur under the Sub-Mission on Polytechnics under the Coordinated Action for Skill Development covering all 30 districts with, at least, one Government polytechnic in Odisha.

I thank the Union Government for providing Central Financial Assistance for the implementation of the schemes relating to upgradation of 11 existing polytechnics and construction of women's hostel for 13 polytechnics. However, there has been a critical issue before the State and that is the shortage of trained

faculty required for these polytechnics in Odisha. There is a Government Polytechnic in Bhubaneswar which has an extension centre, that is, the National Institute for Technical Teachers' Training and Research, Kolkata under the Ministry of HRD providing only short-term training without any practical skill training facility. Odisha State does not have any Board of Practical Training due to which technicians and graduate apprenticeship programmes are hampered.

Sir, through you, I request the hon. Minister for Education to consider setting up of a Technical Teachers Training Institute on the pattern of the National Institute for Technical Teachers Training and Research with practical training facilities to enable the State of Odisha to create a pool of trained teachers for the polytechnics to maintain quality of teaching in Government and private polytechnics at Behrampur, Odisha.

Thank you, Sir.

*** SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD):** Hon'ble Chairman Sir, I would draw the attention of central Government towards a burning issue of my State Maharashtra.

Sir, Maratha and Dhangar community are protesting on roads for the demands of reservation in Maharashtra. Around 100 Maratha youths have committed suicide for Maratha reservation. On 15/11/2018, on the basis of Gaikwad Commission's recommendations, 13% reservation was given to Marathas in education and jobs. A petition was filed against it in High Court but that was rejected. Subsequently, a new petition was filed in the Supreme Court. On 20/9/2020, I had raised the same issue and demanded that the Central Government should intervene in this matter for the restoration of reservation as it was restored in the case of Tamil Nadu even after barring the 50% cap.

But, unfortunately, my demand was ignored and on 9/11/2020, this Maratha reservation was quashed by Hon'ble Supreme Court. Later, on 18/3/2021 and 14/12/2022, the Supreme Court of India rejected the plea for Maratha reservation as it had crossed the 50% Cap. I have been repeatedly demanding that a constitutional Amendment Bill should be brought to remove this cap of 50% to extend the benefits of reservations to this community.

I had also pressed for this demand through Private Member's Bill in November 2023. Sir, Members of our party Shivsena (UBT) had also met Hon'ble President of India and requested her kind intervention in this matter. Due to this, a law and order situation could arise in Maharashtra. The State Government is not

* English translation of the Speech originally delivered in Marathi.

ready to fulfill its promise and sentiments of Maratha and Dhangar Community are very strong. So, I am requesting the Central Government to bring a constitutional Amendment bill to remove 50% cap on reservations. Thank you.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महोदय, मैं माननीय सदस्य के विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध कर रहा हूँ।

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me an opportunity to raise an important issue which relates to speedy implementation of the Women's Reservation Bill, named the '*Nari Shakti Vandan Adhiniyam*', which was passed in Parliament on 20th September, 2023 during the Special Session.

The said Bill has many special features like one-third of all the seats in the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies will be reserved. It is including the reservation for the SCs and STs. Further, the seats reserved for women will be rotated after each delimitation exercise as determined by a law to be made by the Parliament through which the Government made all women more powerful and self-empowered in the decision-making bodies.

In this context, I would like to emphasise here that even though the hon. Union Home Minister has clarified during the discussion on the Bill that the reservation for women will not be implemented in the upcoming 2024 elections, the reservation will be effective after the Census to be conducted after the commencement and publication of the law.

In view of the above, I urge upon the Union Government to take an early action to conduct the Census and to constitute the Delimitation Commission to decide which seat will go to the women after the delimitation exercise.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): सभापति जी, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दो जिले पलामू और गढ़वा आते हैं। ये दोनों

जिले आकांक्षी जिलों की सूची में हैं और यहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये दोनों जिले रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि हर वर्ष या तो अतिवृष्टि होती है या अनावृष्टि होती है और फसलें खराब हो जाती हैं। इस वजह से लोग बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं तथा पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहां किसी प्रकार का कोई उद्योग-धंधा नहीं है जबकि उद्योग-धंधा स्थापित करने के लिए यहां सारी सुविधाएं जैसे जमीन, खनिज, पानी, बिजली वगैरह मौजूद हैं। उद्योग-धंधे के नाम पर एकमात्र कार्स्टिक सोडा फैक्टरी है, जिसकी उत्पादन क्षमता बहुत सीमित है और रोजगार देने की क्षमता और भी ज्यादा सीमित है। ऐसी परिस्थिति में लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और प्रति वर्ष जब भी रोजगार के लिए झारखंड से बाहर जाते हैं, तो उनकी लाशें वापस आती हैं, जो कि बहुत हृदय विदारक सीन उत्पन्न करती हैं।

सभापति जी, ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से माननीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां खाद का कारखाना स्थापित करने की कृपा करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और कृषि की उपज में वृद्धि हो सके तथा पलायन की समस्या भी समाप्त हो सके।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you Chairperson, Sir, for giving me this opportunity.

This is a very serious and a long-pending issue which is impacting the people in Jeypore from my constituency. This is about the transfer of EPF past accumulations of employees of the erstwhile Bilt Graphic Paper Products Limited (BGPPL) Unit Sewa which comes under OR/BAM/2910. They are now reporting compliance to the RPFC, Berhampur being employees of M/s Mother Earth Resources Private Limited (MERPL) SEWA which comes under OR/BAM/2468945. In this, the problem is, the SEWA unit was sold by BGPPL to MERPL in the month of February, 2020. But after that, the accumulated EPF

amount under the RPFC, Kolkata needed to be transferred to the RPFC, Berhampur. On this, we have been told that all the permissions are now available. The Trust is ready with the requisite fund towards payment of the past accumulations. It is also confirmed by the concern that the entire fund is generated from the accretions of the Trust and not from sale of any securities or otherwise.

The retired/legal heirs of the expired employees have been approaching multiple times to get their pending dues. Whenever I go there, they approach me on the pending dues. As the matter is pending for more than a year and a half, this has put the concerned employees under unexplainable difficulties.

The District Administration has also written a letter to the Chairman, Central Board of Trustees on 10th April, 2023 but there has been no response.

We have been following with the Regional Provident Fund Commissioner, EPFO, Kolkata, but there is no response. KCT PF Trust, Kolkata has written to RPFC, Kolkata to resolve the issue of PF transfer, but there is no response. Some officers of RPFC, Berhampur had also visited Jeypore. They are saying that they are helpless unless and until RPFC, Kolkata transfers the funds to RPFC, Berhampur.

Sir, through you, I would like to request the hon. Minister of Labour and Employment to take up the issue and instruct the transfer of Provident Fund of retired/ expired employees of M/s Mother Earth Resources Pvt Ltd, Jeypore from the KCT PF Trust, Kolkata to RPFC Berhampur, Odisha in the larger interest of the employees of M/s Mother Earth Resources Pvt Ltd, Jeypore, Koraput, Odisha.

Sir, I would appreciate if the Ministry could take cognizance of the situation and the ground reality, and do the things at the earliest.

Thank you, Sir.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, with a heavy heart, I would like to draw the kind attention of this august House as well as the hon. Minister of Home Affairs on the sad plight of people of Tamil Nadu. The recent flood has affected the life of more than one crore people in the city of Chennai and districts of Tiruvallur, Kanchipuram, Chengalpattu and Ranipet. The situation is very grim, and the people have been bound to stay inside their homes for past three days. There is a continuous torrential rain for last three days. The furious cyclone is unleashing fury on the people of Tamil Nadu. The rains are so heavy that movement of trains and flights is at halt and people are stranding elsewhere. Thousands and thousands of people are not able to get the food supplied by the Government of Tamil Nadu. The Ministers of the State Government are moving from one shelter to another but are not able to extend the helping hand to the poor public because flood water is flowing in the streets like river.

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu is trying his best to approach the people day in and day out. Even early in the morning today he went out to see the people of Chennai but could not reach many people. So, a very sorry state of affairs is prevailing there. The Government of India should come forward to help the people of Tamil Nadu and the State Government in this tragic situation. In fact, the hon. Home Minister has spoken with the hon. Chief Minister of Tamil Nadu which is very good. At the same time, the State of Tamil Nadu has sent

three financial memorandums to the Government of India for an amount of Rs.6230 crore. But today the hon. Chief Minister has asked for an amount of at least Rs.5000 crore for the stopgap arrangement. This matter should be considered by the Government immediately without fail. They should extend a helping hand in time. 'In time' means, they have to do it quickly, and the Central teams should be sent to the affected districts immediately to assess the damage caused by cyclone at one go. More than eight people have died so far, and we do not know what the exact death toll is.

Sir, the situation is very bad, and hence this is a very important matter. Even yesterday when I discussed this issue in the BAC meeting, both the Ministers – the hon. Parliamentary Affairs Minister and the other Minister –agreed that it should be given top most priority. But what is happening here? You are allowing me to speak at the fag end of the Zero Hour. This is not good. I thought that this would be given priority over all other issues. I do not think that other issues are not important. They are also very important and valid issues. But, at the same time, priority should be given to the lives of human beings who are badly affected by cyclone in Tamil Nadu.

माननीय सभापति: आपकी बातों से सम्पूर्ण सदन सहमत है।

SHRI T. R. BAALU: Sir, through you, I would like to request the Government of India to come forward to help the people of Tamil Nadu. The hon. Home Minister should specifically take care to see that the amount is dispatched along with the men and machinery quickly to help the State Government of Tamil Nadu. Thank you, Sir.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, we are all supporting Baalu ji's argument. It is a valid and legitimate demand. ...*(Interruptions)* The Government should do immediately whatever needs to be done. ... *(Interruptions)*

माननीय सभापति: ठीक है, आप एसोसिएट करने के लिए अपने नाम भेज दीजिए।
... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी तो बैठ जाइए। उनको तो बोलने दीजिए।
... (व्यवधान)

माननीय सभापति : बालू साहब, प्लीज़ बैठिए।
... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके विषय से निश्चित रूप से सभी सहमत हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार पहले से भी संज्ञान ले रही है, अब और भी अधिक सक्रिय हो कर संज्ञान लेगी।
... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The Government should respond to the problem. It is a national disaster. ... *(Interruptions)*

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, as the hon. Member Shri T.R. Baalu has mentioned about the cyclone, we also have the same problem in lower coastal Andhra Pradesh. There has been very heavy rain over the last two days due to the cyclone over the West-Central Bay of Bengal of Southern Andhra Pradesh. The Indian Meteorological Department announced the landfall of Michaung today somewhere between Bapatla and Machilipatnam in lower coastal Andhra Pradesh. Heavy rains have devastated the standing crops in tens of thousands of hectares in coastal and other districts of Andhra Pradesh. This

cyclone has brought tears to the farmers as the crop which is ready for harvest is lost before their very eyes. The State Government is still in the process of identifying and assessing the damage, and it may take some time to come to a conclusion about the damage to crop, life and property. Due to the heavy rains, roads have been damaged, supply of electricity is disturbed and people are not able to fetch essentials apart from other problems being faced by them.

In view of the above, I appeal to the hon. Prime Minister Shri Modi ji for immediately sending a Central team, once the rain recedes, for assessing the damage caused to the standing crop, roads, buildings, electricity supply and other infrastructure facilities and submitting its report to the Government for release of Central assistance.

Pending the report of the Central team, I request the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister to release Rs. 5,000 crore to Andhra Pradesh as an interim relief immediately to deal with the relief and rehabilitation work due to cyclone Michaung.

Thank you very much.

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सौराष्ट्र क्षेत्र के विद्यार्थियों और उद्योगों के लिए वीजा सुविधा अहमदाबाद में होने के कारण उनको 250 से 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ... (व्यवधान) राजकोट एक औद्योगिक सेंटर है। ... (व्यवधान) यहां पर एम्स हॉस्पिटल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। ... (व्यवधान) इसलिए वीजा फैसिलिटी सेंटर राजकोट में खोलने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record.

... (Interruptions) ... *

****SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Mappudugai highway is situated just 100 metres away from Mayiladuthurai railway junction.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please stop. Right now, the arrangement of interpretation is not available. I will call you later. You may please sit down now.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : इसमें कोई खास बात नहीं है। नोटिस थोड़ा देर में आया है।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please cooperate. You all know the issues and the problems about the system.

* Not recorded.

** English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Respected Chairman, Bharat Earth Movers Limited is a profit-making company with orders worth more than Rs. 10,000 crore won through mostly global tenders. The company had made a profit of Rs. 278 crore in 2022-23 and the Government so far got Rs. 400 crore in the form of dividends. A unit of BEML at Kanjikode in my parliamentary constituency has already delivered 1,500 heavy military trucks, 300 railway coaches, and 500 metro bogies. The Government had to abandon a move of disinvestment in BEML in 2016 due to stiff opposition. The privatization move again is not in the interest of our nation's security.

Therefore, I urge upon the Government not to privatize BEML and withdraw such a move immediately. Thank you, Sir.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Thank you, hon. Chairman, Sir.

This is regarding Gram Swaraj, which was initiated by Mahatma Gandhi and was followed by Governments later on. During the Government of Narendra Modi ji, a lot of priority has been given to all the Gram Panchayats and a lot of funds are also being released. In this case, last year, Rs. 569 crore got released to Gram Panchayats of Andhra Pradesh but not even a single penny has been credited to the accounts of the Gram Panchayats which was given under the 15th Finance Commission. In the 14th Finance Commission starting during 2019 to 2023, around Rs. 8,629 crore got released but nothing has been credited to the accounts. We all have met the Andhra Pradesh Sarpanches' Association where all Party Members are there predominantly dominated by my present Party. We

all have met hon. Minister, Giriraj Singh ji and gave a representation. He was kind enough to give a note to the State Government to give back the money within ten days but in the last three months nothing has happened. Now, with all this going on, the villagers are greatly suffering and the dream of the hon. Government of India led by Narendra Modi ji is not getting honoured.

So, through you, hon. Chairman, Sir, I once again request the hon. Minister, Giriraj Singh ji, who is here till now and had already briefed this morning also, to take it up immediately on priority.

There has been a new system known as volunteer system, which has totally replaced the Sarpanches and the Ward Member system wherein the village system has got totally dysfunctional. I request the hon. Minister of Panchayati Raj as far as the village development is concerned, it should be left with only the Panchayat Sarpanch and the Ward Members, not with the volunteers. Thank you, Sir.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान युग डिजिटल का है और इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता होती है।

महोदय, आपको विदित है कि वर्तमान में सारे काम ऑनलाइन होते हैं, चाहे वह ऑफिस का काम हो, किसानों का काम हो, पढ़ाई-लिखाई का काम हो, विभागीय कार्य हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम हो, ऑनलाइन बैंकिंग का काम हो, इन सब कामों के लिए मोबाइल नेटवर्क अति आवश्यक है... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप तो पहले से परिचित हैं।

डॉ. ढालसिंह बिसेन: महोदय, आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके कारण हमारे छात्र-छात्राओं को भी परेशानी होती है। नेटवर्क की उपलब्धता ठीक से नहीं होने के कारण सारे विभागीय कार्य भी प्रभावित होते हैं। विशेषकर बीएसएनएल प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में अपने नाम के लिए जाना जाता है।

सभापति महोदय, अभी भी मेरे लोक सभा क्षेत्र में बीएसएनएल टू जी सेवाओं से आगे नहीं बढ़ पाया है। जो अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाएँ हैं, वे थ्री जी, फोर जी और फाइव जी तक चली गई हैं। नेटवर्क स्पीड नहीं मिलने के कारण छात्र-छात्राएँ और सारे लोग परेशान हैं। जो गांव में काम करने वाले और पढ़ने वाले छात्र हैं, वे भी इससे परेशान हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में भी बीएसएनएल की सुविधाएँ अधिक सुदृढ़ और अच्छी हों। इसके अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाओं का नेटवर्क भी अच्छा चले, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, सारे आफिसेज को काम करने में अच्छी सुविधा मिल सके। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Thank you, Chairman Sir.

The people living near oil and gas drilling sites in Andhra Pradesh's East Godavari District face the risk of being exposed to oil or natural gas leakages from the plants located in the vicinity, especially in the Dr. B.R. Ambedkar Konaseema District, which has been witness to such incidents in the past.

According to reports, GAIL operates pipelines extending to a length of 430 kms, ONGC operates 120 kms of pipelines and Reliance operates a 36 kms pipelines in the Konaseema region. Though the officials of the said companies have been asked to replace old pipelines in the region to ensure the safety of the local communities, prevent mishaps and prevent frequent gas leakage from the existing pipelines, there is an immediate need to establish a Crisis Management Facility in the District considering the operation of numerous oil and natural gas producing companies in the said region to effectively handle emergencies or crises.

I would, therefore, request the Government to take immediate steps to include a comprehensive risk assessment for the oil and natural gas operations in Konaseema District and ensure establishment of a Crisis Management Facility at the earliest. Thank you, Sir.

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity to speak on Railway issues of Kurnool Parliamentary Constituency.

Kurnool Parliamentary Constituency, which I represent, deserves additional Railway facilities in view of its overall backwardness. Andhra Pradesh has three regions with diverse culture and dialect. Rayalaseema region is one of them and Kurnool is the gateway of Rayalaseema.

Kurnool, the erstwhile capital of Andhra State, is a backward District in all respects. The demographic indicators stand testimony to this fact. Kurnool was capital of Andhra State from 1953 to 1956, and the capital was shifted from Kurnool to Hyderabad when States were re-organized on linguistic basis. There is a strong feeling in Kurnool region that a serious historical mistake was done when the capital was surrendered in favour of Hyderabad. The region was neglected for seven decades by the successive Governments. This injustice should be relieved.

Kurnool region is very backward as per the report of Sivaramakrishnan Committee, an Expert Committee that was constituted under Section 6 of the AP Reorganisation Act, 2014. Kurnool region has challenges of high dependency ratio of 55 per cent, low literacy rate of 65 per cent, low urbanisation of 29 per cent, and has a young growing workforce.

These problems need to be addressed with a humane touch, and every investment in public utility cannot be seen from a commercial angle. Following the principles of natural justice, all regions of India should be developed equally. All of

us should agree that injustice was meted out to Andhra Pradesh with unfair State bifurcation. We need a helping hand from the Union Government.

Economic growth, employment, income generation and equitable distribution of growth are essential for all regions of Andhra Pradesh. It is distressing to note that domicile migration or distress migration from this area is in lakhs every year. Nearly three lakh people migrate to different areas from Kurnool Parliamentary Constituency. The area has problems of water supply. Though Tungabhadra River traverses 95 kms in Kurnool District, only 60 per cent of the cultivable land receives water supply. People hardly cultivate one crop per year. People travel hundreds of kilometres in search of jobs. People are asking for a better connectivity with cities like Vijayawada and Visakhapatnam, which are the two cities of Andhra Pradesh.

National Highway connecting Kurnool and Vijayawada, which traverses through reserve forest needs upgradation. The road journey is tedious. There is no express train connecting Kurnool with Vijayawada and Visakhapatnam. At least, a good connectivity is needed for this region. We are not asking for a new railway track. We are just asking for a train service on the existing railway tracks.

As a representative of 22 lakh people of Kurnool region, I have been requesting the Railway authorities for some facilities, like train halts at Maddikera, Kosigi and Adoni, direct train service from Kurnool to Mumbai to help thousands of North Indian families doing businesses in Kurnool, and speeding up the construction of Railway rehabilitation coach workshop. I made fifteen representations to the Railway Ministry in the past four years but the response

has not been encouraging. I take this opportunity to request the hon. Minister of Railways to start a daily train service from Kurnool to Visakhapatnam via Vijayawada. A tri-weekly train '07237' was running on ad-hoc basis but that too was withdrawn recently for reasons which are better known to the officials. Passenger services cannot be viewed from a commercial angle. The occupancy of the service was good enough, and would have improved further had it been a daily service. I request the Minister of Railways to restart the train service on a daily basis. And I hope this facility can bring solace to the injured hearts of people who feel that many historical blunders were committed against the region. There should be equitable development of all the regions of the country.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the plight and agony of cashew sector workers in Kollam and Alappuzha who are striking work for want of renewed wages and decent benefits from their vocation portrays a grim and unfortunate picture of the crisis engulfing the cashew sector in Kerala. Cashew sector provides livelihood to more than three and a half lakh workers, majority of them being women from backward communities.

The minimum wages of cashew workers have not been revised even after 10 years since the then Oommen Chandy's Government, which was the last Government to have increased the wages of cashew workers. The present State Government under the Chief Minister Pinarayi Vijayan has ignored the plight of cashew workers and their wages have not been revised. The present wages are even lower than the wages of MGNREGS workers. The strike by cashew workers is taking place in various cashew factories in Karimulackal, Nooranadu, and adjacent constituency, Kayamkulam, including in my Parliamentary Constituency. All the factories come under Cashew Development Corporation. The demand to raise the minimum wages is not limited to Kollam district alone but other districts like Alleppey, Pathanamthitta, and Thiruvananthapuram are also facing this crisis.

The benefits of cashew workers including ESI and PF benefits are also denied to the cashew workers because the working hours and days are not proper. That is why ESI and PF benefits should be given to cashew workers. The women cashew workers used to earn Rs. 500 per day but now workers are paid Rs. 735 for shelling one kilogram of raw cashews and Rs. 745 for peeling the kernel. The meagre sum they get once in a while does not

even cover their food expenses or medical emergencies. Many women cashew workers are now working as household helps and do other sundry jobs to sustain themselves.

There was a time when more than 780 licensed cashew factories functioned in Kerala, but their number is now reduced to less than 80. In the 1980s and 1990s, cashew export peaked at 125,000 metric tonnes, which has scaled down to less than 20,000 metric tonnes. This situation indicates the alarming crisis of the entire industry as banks have wound up numerous cashew factories.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. It is Zero Hour.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: More than ten owners of small-scale cashew factories have committed suicide in Kerala.

Therefore, the plight of the cashew workers must be addressed by declaring a special package for welfare of cashew workers with umbrella welfare options including ex-gratia, ... (*Interruptions*) financial support during the period of unemployment ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप अधिक समय लेंगे तो अन्य माननीय सदस्यों को समय नहीं मिलेगा।

... (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am just completing.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude immediately.

... (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am making my last point.

I demand financial support during the period of unemployment, free medical treatment at ESIC hospitals and soft loans. The cashew workers must be given their fair share of outstanding bonuses ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please come straight to the demand.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I am coming to that point.

माननीय सभापति: अब आप समाप्त करें।

... (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNILSURESH: They must be given other benefits that were denied to them due to closing down of cashew factories like additional benefits, loan waivers, medical facilities for all cashew workers irrespective of the last status of employment and premium payment.

माननीय सभापति: हम सभी को जीरो आवर की समय मर्यादा का सबको ध्यान रखना चाहिए। 15-20 सेकंड समय ऊपर हो सकता है, लेकिन मिनट्स में नहीं होना चाहिए।

... (व्यवधान)

***SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI):** As there is no Rail Over Bridge in this area, emergency service ambulances, fire-fighting vehicles find difficulty to ply on this road during extreme emergency situations. Therefore, I urge that an over bridge should be constructed across Level Crossing No 229. A large number of people living in the surrounding areas of Mayiladuthurai Junction held a demonstration and a road blockade on 24.11.2023. The District Collector intervened and gave assurance for forwarding a recommendation in this regard. Till now no work has been started. In every half-an-hour, hundreds of vehicles get

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

stranded on this route due to this level crossing and absence of a Rail over bridge across this railway line. Moreover, I have time and again urged for doubling of the railway line between Mayiladuthurai and Viluppuram. This request is yet to be fulfilled. There is a difficulty in reaching Platform No 3 from Platform No 1 of Mayiladuthurai railway station as there is no escalator facility. I have allocated Rs 3.25 Crore from the MPLAD fund for providing this escalator facility but till now no progress is shown by the Railway Department in this regard. The Railway authorities had also assured to go for renovation of this Mayiladuthurai Railway station with a total cost of Rs 24 Crore but no work has been started since last 2 years. Therefore, I urge that the construction of a Railway over bridge across Level Crossing 229 is an urgent need. Once constructed, this will definitely provide a better connectivity to several tourist places in and around Mayiladuthurai. I therefore urge the Union Government and the Railway Ministry to construct a Railway over bridge across Level Crossing 229 at the earliest.

Thank you.

श्री संजय सेठ (राँची): माननीय सभापति, मेरे लोकसभा क्षेत्र राँची में हटिया विधान सभा में नगड़ी नामक स्थान है, जहाँ से स्वर्णरेखा पवित्र नदी निकलती है और राँची शहर से गुजरते हुए जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 474 किलोमीटर लंबी यह नदी झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, राँची की लाइफलाइन कही जाती है। झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। राँची में चुटिया नामक स्थान में स्वर्णरेखा एक सहायक नदी हरमू से आकर मिलती है। इस संगम पर करीब 500 वर्ष पुराने नागवंशीकालीन 21 शिवलिंग नदी की चट्टानों में उत्कीर्ण हैं। नागवंशी राजाओं की राजधानी चुटिया होती थी और यह सांस्कृतिक अवशेष एक जीवंत धनाढ्य संस्कृति की कहानी कहता था। अब अफसोस इस बात का है कि झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस सरकार की अनदेखी के कारण, उदासीनता के कारण और गैर योजना से तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण इसकी सहायक नदी हरमू में मिलती है, वह नाले में तब्दील हो चुकी है। नदियों के किनारे अतिक्रमण के कारण शहर के सीवरेज सिस्टम का गंदा पानी स्वर्णरेखा नदी में गिरता है। दिल्ली की यमुना नदी से भी ज्यादा खराब स्थिति स्वर्णरेखा नदी की है। इन दोनों नदियों के संगम तल के स्थल पर स्वर्णरेखा नदी बिल्कुल काली पड़ती जा रही है। आज से लगभग 10-15 साल पहले हजारों की संख्या में छठव्रती अर्ध्य देने जाते थे। ... (व्यवधान) मैं भी वहाँ सावन के महीने में कांवड़ लेकर स्वर्णरेखा नदी के तट से पानी लेकर पहाड़ी मंदिर पर बाबा का अभिषेक करने जाता था। वहाँ अनेक तरह के मेले लगते थे और बहुत लोग आते थे।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप क्या चाहते हैं, यह बताएं।

... (व्यवधान)

श्री संजय सेठ : हर एक घर से एक-एक मुट्ठी चावल और दाल लेकर परसाद बनाया जाता था, लेकिन नदी के प्रदूषित होने के कारण लोगों ने इस नदी से खुद को दूर कर लिया। अब छठ और कार्तिक पूर्णिमा में दोनों श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। नदी की चट्टानों में उत्कीर्ण 21 शिवलिंग तेजी से क्षीण हो रहे हैं।

मेरी मांग है कि दीर्घकालीन योजना बनाकर स्वर्णरेखा, जो कि एक पवित्र नदी है, इसे बचाया जाए। हमें वहां की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। यह नदी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे कैसे बचाएं, मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I would like to flag the attention of this Government to a very important issue. It is alarming to note that there is no respite in the ethnic conflict and violence in the State of Manipur. It is paradoxical to note that on the one hand, both the Central Government and the State Government are glibly claiming that peace and normalcy are being restored in the State of Manipur, but on the other hand, the grave situation prevailing over there is an eloquent testimony of the abysmal failure of the State Government of Manipur. The issue has come to such a pass that even yesterday, 13 deaths have been reported in the newspapers. But the issue is that the Government has been found totally impervious to the intensity of the violence, to the sensitivity of the North Eastern State as if nothing is happening over there. The Government of Manipur has totally failed to maintain the law-and-order situation in Manipur. The situation is ripe to impose President's Rule.

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी 'हर घर जल योजना' के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

मान्यवर, यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी आस में गांव के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन मेरे लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में 'हर घर जल' योजना के कार्य करने वाली एजेंसियां मनमाने तरीके से गुणवत्ता विपरीत कार्य करके धन का अपव्यय कर रही हैं। इस तरह समय से परियोजना पूरी न होने से संशय प्रतीत होता है, वहीं दूसरी ओर प्रधान मंत्री सड़क निर्माण योजना से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा गांव की सड़कों के किनारे कार्य लेने वाली एजेंसियों ने सबलेट

पर स्थानीय लोगों को काम दे दिया है। उन्होंने स्वयं भी सबलेट पर दूसरे लोगों को काम देकर कार्यों की गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए बनी हुई सड़कों के किनारे, गांवों के इंटरलॉकिंग सड़कों व खड़जों को पूरी तरह से काट-काट कर ध्वस्त कर दिया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। अगले वक्ता का नाम मैं बोल दूंगा।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में टूट गई हैं, उसके लिए जिम्मेदार ऐसी कार्यदायी संस्थाओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए।

*** SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR):** I thank you, Hon. Speaker Sir for giving me the opportunity to speak on an urgent matter.

Thank you, Chairman Sir. Sir, the Railway Department has discontinued train services from Amritsar to Banamukhi, Lal Kuan, Jai Nagar, Ajmer, Tatanagar, Dera Baba Nanak, Pathankot and Chandigarh. The alibi given was that there is intense fog. From 1st December to 29th January, 2024, the train services will remain discontinued.

Sir, fog is there in this region only for 15 days. Thousands of people commute on these trains from and to Pathankot, Dera Baba Nanak, Patti and Chandigarh. Chandigarh has a High Court. Thousands of people travel there. How will these people travel for two months? How will farmers bring their food crops to Amritsar. How will labourers commute from and to their homes.

Sir, I urge upon the Government to restore the trains that have been discontinued from 1st December, 2023 to 29th January, 2024 at the earliest so that people can commute conveniently.

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

Thank you.

13.00 hrs

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति महोदय, मैं भारत की संसद को, यहां बैठे हुए सभी सांसदों को और यहां अनुपस्थित सांसदों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए जो विश्वकर्मा योजना है, किसान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके लिए मैं अपने लोक सभा क्षेत्र बलिया में 'लोक संवाद' का एक कार्यक्रम चला रहा हूं, जिसका नाम 'गाँव सभा से लोक सभा तक' है। उसमें सारे संबंधित अधिकारी उपस्थित रहते हैं। उसमें डीएम, सीडीओ और अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहते हैं और सभी विभाग अपनी सरकार की योजनाओं के लिए लाभार्थी बनाते हैं। गाँव सभा का सदस्य, जो कभी पूछा नहीं जाता था, वह संसद के 'लोक संवाद' कार्यक्रम में उपस्थित रहता है।

मैं निवेदन करता हूँ कि पहले उसको लाभार्थी बनाओ, फिर पाँच लोगों को वह लाभार्थी बनाएगा। हमारा लोक सभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दो जिलों में, बलिया और गाजीपुर में पड़ता है। मैं गाजीपुर के डीएम, बलिया के डीएम और दोनों जिलों के सीडीओ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे सारे संबंधित अधिकारियों को बुलाकर वहीं लाभार्थी बनाते हैं और उनसे पाँच और लोगों को लाभार्थी बनाने का निवेदन करते हैं।

माननीय सभापति : आप चाहते क्या हैं? आपकी क्या डिमांड है? आपकी मांग क्या है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : महोदय, 'लोक संवाद' का गाँव सभा से लोक सभा तक का कार्यक्रम भारतीय लोकतंत्र को भी गाँव सभा से ... (व्यवधान)

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri N.K. Premachandran	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar DR. DNV Senthilkumar S.
Shri Pradyut Bordoloi	Shri Malook Nagar
Shri Om Pavan Rajenimbalkar	Shrimati Supriya Sadanand Sule Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri T.R. Baalu	Shri B. Manickam Tagore Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar DR. DNV Senthilkumar S.
Shri Vishnu Dayal Ram	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Mohanbhai Kundariya	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Jayadev Galla	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel DR. DNV Senthilkumar S.
Shrimati Chinta Anuradha	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar

Shri Kodikunnil Suresh	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar DR. DNV Senthilkumar S.
Shri Sanjay Seth	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Dr. Sukanta Majumdar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Chandra Sekhar Sahu	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Kanumuru Raghurama Krishnaraju	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Dr Dhal Singh Bisen	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Sangam Lal Gupta	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Gurjeet Singh Aujla	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Virendra Singh	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri S. Ramalingam	DR. DNV Senthilkumar S.
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	DR. DNV Senthilkumar S.
Dr. T. R. Paarivendhar	DR. DNV Senthilkumar S.

माननीय सभापति: सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

—————

14.03 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति मांगी है, मैं उन सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख दें।

(i) Need to operationalise Railway yard in Mahesana, Gujarat

श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): मैंने रेलवे विभाग और तत्कालीन रेलवे मंत्रीजी को पहले भी सुझाव भेजा था कि महेसाणा में रेलवे यार्ड के कर्मचारी मौजूद हैं लेकिन रेलवे यार्ड कार्यरत नहीं है। पहले यार्ड हुआ करता था। अभी की अगर हम बात करें तो महेसाणा उत्तर गुजरात का केंद्र बिंदु है। पाटन, बनासकांठा जिले की सारी ट्रेनें महेसाणा से होते हुई जाती हैं और महेसाणा से वडनगर से अम्बाजी से राजस्थान को जोड़ता हुआ नया रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है तो महेसाणा में यार्ड फिर से शुरू करने से ट्रेनों के रख रखाव में काफी फायदा होगा तथा लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन एवं शुरू करने में सुविधा होगी। मैं पुनः अपने संसदीय क्षेत्र महेसाणा के लोगों की मांग की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यानकर्षण करती हूँ।

धन्यवाद।

* Treated as laid on the Table.

**(ii) Regarding renovation and widening of Railway
overbridge in Wardha City, Maharashtra**

श्री रामदास तडस (वर्धा): मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा महाराष्ट्र की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि वर्धा शहर के बहुत ही भीड़ भाड़ इलाके में बजाज चौक है जिससे थोड़े आगे रेल उपरी पुल है जिससे पूरे शहर के लोगों का आना जाना लगा रहता है जो बहुत पुराने समय में बना था। इस पुल पर बहुत जाम लगा रहता है घन्टों तक लोग जाम में प्रति दिन फंसे रहते हैं इस पुल के चौड़ीकरण नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत है। माननीय मंत्री जी के द्वारा उक्त बजाज पुल के नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की केंद्रीय मार्ग निधि योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई। लोगों में इस कार्य के पूरे नहीं होने से काफी आक्रोश है एवं पुनः सड़क पर उतरने के लिए आतुर है।

मैं पुनः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि उपरोक्त मांग जिस हेतु आपके द्वारा स्वीकृति देकर धन भी आवंटित कर दिया गया है, उसको जल्द से जल्द पूरा करा कर रेल ऊपरी पुल चालू करवाने का कष्ट करें।

(iii) Regarding setting up of Solar Power Plant at Chakulia, Jharkhand

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला के ग्रामीण क्षेत्रों केसाथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी बिजली की भारी कमी के कारण दिन भर में मात्र 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पाती है जिसके कारण वहां की जनता को नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों को खेती पटवन एवं छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाता है। विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं आपके कुशल नेतृत्व में उज्ज्वला योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत आज घर-घर में बिजली पहुंची है तथा कनेक्शन के साथ मीटर लगा हुआ है झारखंड राज्य में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान लगभग 22-23 घंटे बिजली जनता को मिलती थी। परंतु वर्तमान राज्य सरकार में जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है। जनता की कठिनाइयों को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत चाकुलिया में लगभग 400-500 एकड़ भूमि वर्षों से खाली पड़ी हुई है। उक्त खाली पड़ी भूमि पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जा सकती है जिससे बिजली की समस्या को दूर किया जा सके।

(iv) Regarding establishment of an AIIMS in Raichur

SHRI RAJA AMARESHWARA NAIK (RAICHUR): Government had announced an AIIMS in Karnataka. Raichur, Yadgiri Districts are most backward Districts which got special status under Article-371J. These are included into Transformation of Aspirational Districts programme as it is having 70% population of SC/ST/OBCs and 59% literacy rate. In Raichur Constituency most of SC/ST/OBCs are financially poor and even unable to give good Education and Health facilities to their children. If AIIMS is set up in this area, Educational and Health facilities will improve for public and employment opportunities for unemployed youths will be created. Dr. D.M. Nanjundappa committee on regional imbalance in Karnataka recommended establishment of a Central University in Kalaburgi and IIT at Raichur. Kalaburgi got Central University in 2011 but IIT went to Dharwad. Kalyana Karnataka region is lacking in health facilities and people are dependent on Bengaluru/Pune/Hyderabad for Medical treatment. Raichur has highest number of infectious diseases case and 56-73% of pregnant women/children are malnourished. People are spending more than 76% of income on medical treatment. The Chief Ministers of Karnataka have also assured the infrastructure support for AIIMS in Raichur.

(v) Regarding discrepancy in levy of road tax on vehicles in various states

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मैं सरकार का ध्यान जी.एस.टी. के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जा रही एक विसंगति के सम्बन्ध में आकृष्ट करना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति जब वाहन खरीदता है तो वाहन कीमत पर जी.एस.टी. लगाया जाता है। इसके बाद जब वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन कार्यालय जाता है तो केवल वाहन के मूल्य पर ही आर.टी.ओ. द्वारा रोड टैक्स न लगाकर वाहन के मूल्य के साथ ही जी.एस.टी. तथा जो अतिरिक्त टैक्स भी हैं उन पर भी रोड टैक्स लिया जाता है। इस प्रकार का दोहरा टैक्स उत्तर प्रदेश सहित अनेक प्रदेशों में लिया जा रहा है। जबकि चंडीगढ़ सहित कुछ प्रदेशों में वाहन के मूल्य पर ही रोड टैक्स लिया जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में ऐसे राज्यों को स्पष्ट निर्देश दें जिनमें इस प्रकार का दोहरा टैक्स लिया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण न हो।

(vi) Regarding transfer policy of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): The Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has transferred thousands of female employees having Government spouses during Annual Transfer in 2023. Despite having clear vacancies at nearby schools, KVS has displaced/transferred female Government spouses more than thousand kilometres away from their spouse's place of posting. Several spouses are forced to apply Voluntary Retirement/resignation.

There is widespread resentment among employees about Transfer Policy of KVS due to abolition of Infra-Station, Mutual, No Taker etc. Representations have been received from stakeholders regarding review of Transfer Policy. In the Policy, points for spouse have been drastically reduced. The DOPT order 2009, regarding mandatory posting of Government spouses at the same place, is not being followed by KVS in letter and spirit.

The Employee Associations has represented KVS to include 'SPOUSE' in Part-I, Point 3- Basic Principles (v) of Transfer Policy to enable them to apply for transfer anytime against clear vacancy without the completion of tenure.

I request the Hon'ble Minister of Education to ensure posting of Government spouses at the same place in the KVS to enable them to lead a normal family life and to realise the Prime Minister's vision to increase the lower participation of women in the workforce.

(vii) Regarding establishment of a Kendriya Vidyalaya in Bilara and Bhopalgarh in Pali Parliamentary Constituency

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I wish to bring the attention of the Government towards the need for establishing a new Kendriya Vidyalaya in Bilara or Bhopalgarh Assembly Constituency in my Lok Sabha Constituency, Pali. Firstly, I would also thank our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji because of whose blessings, a newly constructed Kendriya Vidyalaya was inaugurated in my Lok Sabha Constituency in Tinwari recently. However, Pali Lok Sabha constituency currently only has two Kendriya Vidyalayas, one in Pali and one in Tinwari. Bilara and Bhopalgarh Assembly Constituencies in Pali, which currently have no Kendriya Vidyalaya, are home to many Armed Forces personnel and Central Government employees who have continuously demanded a Kendriya Vidyalaya to ensure higher quality education for their children. Kendriya Vidyalayas have played an important role in setting new records in school education all over the country and are a benchmark for school education. As those areas fulfil the criteria for establishing a Kendriya Vidyalaya, I respectfully urge the Hon'ble Education Minister to consider the plea that would ensure better and quality school education for the children of Bilara and Bhopalgarh of my Lok Sabha Constituency.

(viii) Need to provide reservation for Maratha Community

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांगे अत्यंत तीव्रता से की जा रही है। मराठा समाज की ओर से 58 महा मोर्चा प्रत्येक जिले में निकल गए और इन मोर्चों में लाखों की संख्या में मराठा समाज के लोगों ने भाग लिया। उसके बाद तत्कालीन सरकार के उसे समय के मुख्यमंत्री ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में आरक्षण मान्य हुआ लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को निकाल दिया जिसके कारण मराठा समाज निराश हो गया। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग में आरक्षण देना आवश्यक है। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि मराठा समाज को आरक्षण देने हेतु कार्यवाही करें। धन्यवाद।

(ix) Need to relax the criteria for extension of CGHS in cities not having the minimum specified number of Central Government employees

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): देश में डाक विभाग सहित केंद्र सरकार के अन्य विभागों में विशेषकर उन नगरों व कस्बों में जहाँ केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या कम है उनको अपने नियुक्ति स्थान वाली बसावट में CGHS की सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पा रही है और इन सुविधाओं की प्राप्ति के लिए उन्हें यथा स्थिति में नजदीक के नगर में उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं के ही भरोसे रहना पड़ता है जिसमें अनावश्यक धन और समय की बर्बादी होती है और मेडिकल सुविधाएँ में सम्यक रूप से नहीं मिल पाती हैं। अतः यदि किसी नगर/कस्बे में केंद्रीय संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या CGHS मेडिकल केंद्र हेतु मानक संख्या से कम भी है तो या तो इस मानक संख्या को संशोधित करके और व्यावहारिक बनाया जाये या कतिपय निम्न उपायों पर विचार किया जाये 1. विशेषकर डाक विभाग के कर्मचारियों को जिनकी तैनाती ऐसे मंडलों में है जहाँ उन कर्मचारियों को CGHS की सुविधा नहीं है वहां उन कर्मचारियों को कार्डलैस मेडिकल सुविधा प्राप्ति की व्यवस्था हो 2. कर्मचारियों के लिए समूह बीमा (ग्रुप इन्शुरन्स) प्रीमियम को वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार व्यावहारिक बना कर प्राप्त होने वाली बीमा राशि को सुसंगत बनाया जाए जिसका लाभ कर्मचारियों को मिल सके।

(x) Need to permit health checkup facilities at Rajkot for person going abroad from Saurashtra region of Gujarat

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से सौराष्ट्र क्षेत्र से विदेश जाने वाले छात्रों और उद्योगपतियों के स्वास्थ्य जांच से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार विदेश जाने वाले छात्रों और उद्योगपतियों को पहले मेडिकल जांच के लिए अहमदाबाद जाना अनिवार्य था, अब राजकोट ने हाल ही में अपने स्वास्थ्य सेवा संस्थान में प्रभावशाली प्रगति की है, जिसमें एम्स सहित कई मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल शामिल हैं।

अतः मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ, कि वे इस मामले में सौराष्ट्र से विदेश जानेवाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य चिकित्सा अहमदाबाद के बजाय राजकोट में परिवर्तित करने का शीघ्र निर्देश दें, इस कदम से न केवल बहुमूल्य समय की बचत होगी बल्कि यात्रियों को वित्तीय राहत भी मिलेगी। धन्यवाद।

(xi) Need to set up maize-based bio-refinery for production of Ethanol in Guna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): गुना लोकसभा क्षेत्र एक आकांक्षी जिला है और कृषि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बायो फ्यूल जैसे इथेनॉल का उत्पादन एक बहुत अच्छा माध्यम है क्योंकि इसका स्रोत किसानों द्वारा उगाई जाने वाले फसले जैसे चावल, गन्ना और मक्का है। आज पूरे विश्व में ethanol का 60 प्रतिशत उत्पाद मक्के से होता है लेकिन भारत में अभी भी प्रमुख तौर पर गन्ने का इस्तेमाल होता है जिसकी प्रति हेक्टेयर खेती के लिए 1400 मिली लीटर पानी इस्तेमाल होता है। गुना लोक सभा क्षेत्र में 7000 हेक्टेयर में मक्के की बुवाई होती है और इस वर्ष गुना, अशोकगार और शिवपुरी जिले में मक्के की रिकॉर्ड खेती हुई है और प्रतिदिन 25 से 30 हजार क्विंटल मक्का मंडी में पहुंच रहा है। मक्के के उत्पादन और उपलब्धता को देखते हुए गुना लोक सभा क्षेत्र में बायो रिफाइनरी स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इथेनॉल के उत्पादन हेतु मक्के की उपलब्धता को देखते हुए गुना लोक सभा में बायो रिफाइनरी की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए जिससे इथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहन मिले और हम 2025 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी पूरा कर सकें।

(xii) Regarding power supply for irrigation in Madhya Pradesh

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): वर्तमान में मध्यप्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु बिजली आपूर्ति 2 पालियों में 10 घंटे की जाती है जिसमें एक पाली दिन और एक पाली की सप्लाई रात 1 से 4 बजे के बीच की जाती है। जो कि किसान के लिए ऐसे मौसम में बहुत पीड़ादायक है। इसके अलावा रात्रि में जंगली जानवरों का आतंक अलग रहता है। विगत कुछ सालों में मेरे संसदीय क्षेत्र में कई लोग जंगली जानवरों का शिकार हो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। वास्तविकता यह है कि किसानों को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति नहीं होती है। सप्लाई के दौरान बार बार ट्रिप होने/ मॉटेनेंस के नाम पर आपूर्ति बाधित होती है जिससे किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली पर्याप्त नहीं मिलती लो वोल्टेज की समस्या अलग। फीडर सेप्रेसन के नाम पर भी किसानों के साथ छलावा किया गया है। विद्युत आपूर्ति पर्याप्त न होने और बार बार बाधित होने के कारण, लो वोल्टेज से किसानों के कृषि उपकरण खराब होते हैं जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक कार्य किये हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि किसानों को 10 घंटे के बजाये कम से कम 18 घंटे किये निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जाये।

**(xiii) Need to set up an Academic Film Training School and
a National Film Studio in Bhawanipatna, Odisha**

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मैं सरकार का ध्यान ओडिशा के पश्चिमी क्षेत्र के ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जहाँ ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्मारक स्थित होने के साथ भवानीपटना पश्चिम ओडिशा का केंद्र है। कालाहाण्डी, कोरापुट और नुआपाड़ा के कई स्थानों को भारत के दूसरे कश्मीर के नाम से जाना जाता है जहाँ विशाल घाटी, पहाड़, बड़े पानी के झरने, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक सौंदर्यीकरण से भरपूर अद्भुत नजारे स्थित है और यह क्षेत्र आदिवासी, कला, गीत-संगीत और ओडिया बाजा का उद्गम स्थल है जहाँ हमारे पश्चिम क्षेत्र के प्रतिभापूर्ण कलाकार अपने प्रतिभा को दिखा सकते हैं। लेकिन पश्चिम ओडिशा में फिल्म स्टूडियो न होने के कारण यहाँ के कलाकार अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पा रहे हैं। ओडिशा में सिर्फ एक कलिंगा स्टूडियो है जो कि कटक में स्थित है। विकास के दृष्टिकोण से पश्चिम ओडिशा हमेशा से उपेक्षा का कारण बना रहा है और यहाँ की बड़ी आबादी आदिवासी बाहुल्य है। मेरा माननीय मंत्री जी निवेदन है कि उपरोक्त मामले को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए पश्चिम ओडिशा के भवानीपटना में "अकादमिक फिल्म प्रशिक्षण स्कूल के साथ राष्ट्रीय फिल्म स्टूडियो" स्थापित करने की कृपया करें ताकि यहाँ जल्द से जल्द एक फिल्म स्टूडियो की शुरुआत हो सके।

(xiv) Need to implement 'One Nation One Election'

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): It is noticed that a lot of expenditure is incurred in conducting elections across the country. The country always seems to be in election mode - if elections conclude in 1 state or states, within a span of six months, there are elections announced in a few other states. Presently, elections are being held in five states - MP, Rajasthan, Telangana, Mizoram and Chhattisgarh. In the next months, the General Elections will be held along with polls in Odisha and Andhra Pradesh. This situation is leading to a sizable chunk of the taxpayers' money being drained in conducting elections almost all the time. It is also leading to political parties spending more on campaigning, rallies and social media marketing. The 'One Nation, One Election' call by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi Ji will help in reducing the expenditure for holding elections. It will also help political parties focus on devising their strategies for one particular period and bring down their expenses by a large fraction. In view of the above, I request the Government to bring about a plan or policy to implement the 'One Nation, One Election' concept and reform the electoral process.

(xv) Regarding introduction of new trains in Maharashtra

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मुम्बई और मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई नॉर्थ ईस्ट में बड़ी संख्या में कोकण क्षेत्र के लोग जीवन यापन के लिए प्रवास करते हैं। गणपति महोत्सव व अन्य समय पर सभी अपने पैतृक निवास कोकण आते जाते रहते हैं। कोकण रेलवे और सेंट्रल रेलवे से सम्बन्धित काफी समस्याओं का लम्बे समय से समाधान नहीं हो पाया है। इनमें से प्रमुख माँगों का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए ऐसी हमारी विनती है। 1. मुम्बई से चिपलुण के बीच एक नई ट्रेन का संचालन, 2. मुम्बई से सावंतवाड़ी तक नई ट्रेन का संचालन, 3. रत्नागिरी से दादर तक चलने वाली ट्रेन 50103/50104 को कोविड के पूर्व की स्थिति में बहाल किया जाए। 4. जन शताब्दी, मंगला एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, करमाली एक्सप्रेस, कवचुवेली एक्सप्रेस, मंगलोर मुम्बई एक्सप्रेस आदि को खेड पर अतिरिक्त हॉल्ट दिए जाए। 5. सावंतवाड़ी एक्सप्रेस और तुतारी एक्सप्रेस का हॉल्ट दिवान-कवाती पर शुरू किया जाए। यह मुम्बई में रहने वाले कोकण वासियों की बहुत पुरानी माँग है। इसे माननीय रेल मंत्री गंभीरता पूर्वक विचार कर मान्य करने की कृपा करें।

(xvi) Regarding construction of new bridge over Doodh River in Kanker

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 30 बस्तर की लाइफ लाइन है। रायपुर राजधानी से जगदलपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग में अवस्थित कांकेर शहर के मध्य दूध नदी पर बहुत पुराने समय में पुल बनाया गया था जो कि अत्यंत ही जर्जर हो चुका है। भारी वाहनों के आवागमन से कभी भी 'पुल मे भयंकर दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। यदि समय के पूर्व इस पुल का निर्माण कार्य नहीं किया जाता है तो न केवल आवागमन बाधित होगा बल्कि पूरी तरह से शहर का व्यापार ठप्प हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 30 में नंदनमारा का जर्जर पुल भी ऐसे ही लापरवाही के कारण बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है आज भी आवागमन बाधित है। अतः शहर मध्य मे दूध नदी पर बना पुराना जर्जर पुल के स्थान पर शीघ्र नया पुल निर्माण की स्वीकृति हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।

**(xvii) Regarding completion of projects by National Highways and
Infrastructure Development Corporation Limited**

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): The Teok-Sivasagar section of the Numaligarh to Dibrugarh 4-lane highway remains undeveloped and the contractors keep changing. It is hampering the region's overall development. Furthermore, the four-lane Kaziranga Elevated Road Project alongside the existing NH 37 from Kaliabor to Numaligarh that proposes multiple animal corridors and several other wildlife-friendly measures on the Kaziranga National Park segment, is yet to get environmental clearance. Numerous alleged irregularities have emerged regarding the compensation and land acquisition process for the Parokhuwa to Lahorijan stretch of the 113-kilometer-long four-lane NH-29. Families are being deprived of compensation due to the illegal fabrication of the acquisition of land records. NHIDCL's lackluster approach and insufficient collaboration with the public have caused immense inconvenience to citizens. The agency's negligence is hindering the progress of crucial infrastructure projects and jeopardizing the safety and well-being of the people of Assam. Therefore, I urge the Hon'ble Minister Minister of Road Transport and Highways to urgently intervene and probe National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL's) approach and issue directions to ensure the timely completion of these projects, fair compensation for affected families, and safeguard the interests of the people of Assam.

**(xviii) Need to sanction fly over in NH 544 at Koratty
Signal Junction, Koratty, Kerala**

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): As per the demand from people's representatives, locals, traders, etc. I have already submitted representation before NHAI Chairman to sanction Flyover in NH 544 at Koratty Signal junction experiencing heavy traffic congestion. Koratty is the place where situate famous Koratty St. Mary's Forane Church, Info Park, KINFRA, Koratty Railway station etc. However, NHAI has sanctioned Vehicular Under Pass with 20 meter width at Koratty instead of Fly over which is quiet insufficient considering the traffic density at Koratty signal junction. In St. Mary's Forane Church, 20 lakhs pilgrims visited the church. Besides, there are about 90 different companies in KINFRA, and hundreds of container trucks are reaching each day to KINFRA which create much traffic congestion at Koratty. Also there are two schools namely LFCMS Koratty and MAM HSS Koratty where there are about 4800 students are studying in these two schools. Hence VUP is very insufficient at Koratty signal junction and I request to sanction a flyover here considering the traffic density and people density at Koratty.

(xix) Need to provide sufficient funds under MNREGA Scheme

SHRI VIJAYKUMAR ALIAS VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): MNREGA is the source of basic livelihood for the poor living in rural India. This scheme was introduced by the then UPA Government which has helped uplifting people from poverty. This has also helped a lot in balancing the economic imbalance in the society. Money in the hand of poor helped our economy flourish. Poor communities and women have been the greater beneficiaries of MNREGA. When demonetization/Covid struck our Nation, the financial situation of our Nation went downhill. People were struggling even for proper food. But it was MNREGA scheme which has saved millions of poor during that period. Unfortunately now people working under MNREGA are not being paid on time. There are around 16 crore labourers working under this scheme. A total of Rs 2.7 lakh crore is required to pay their wages. But sadly, Government has allotted only Rs. 60,000 crore for payment to MNREGA workers. This has resulted in non-payment of wages for the workers. People mostly affected due to this are women and poor labourers. Nation is facing unprecedented unemployment crisis. I request the Government to allot sufficient funds so that the wages can be paid and their hunger can be wiped out.

(xx) Need to increase the MPLADS funds and to waive off GST on it

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): The Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) is being implemented by the Union Government for the overall development of the constituency from where Members are elected. Under the scheme, the Members have the right to choose work for implementation and allocate funds as per the urgent needs of the constituency people. After the recent delimitation of Lok Sabha Constituencies, at least 6 or 7 assembly constituencies comes under the jurisdiction of each Parliamentary Constituency sparing two or three parliamentary constituencies across the country. Many State Governments are allotting more than 5 crores per year to each MLAs to implement various development programmes in their assembly constituencies and Government of Tamil Nadu is presently allocating Rs. 3 crores to each Assembly constituency under local area development programmes.

But, it is very unfortunate to mention here that at present each MP is allotted only Rs. 5 crore per year under MPLADS Scheme, which is very insufficient to carry out basic facilities in the Constituency due to which many works are pending and many Central Government schemes/programmes cannot be implemented properly due to shortage of fund. Further, around Rs. 90 Lakhs is being deducted as GST from Rs. 5 crore. With the remaining 4.10 crores, no development works can be carried out and the demands of the people cannot be fulfilled with this meager amount. If more funds are allotted under MPLADS Scheme, many programmes/works can be implemented in a year.

In view of the above, I urge upon the Ministry of Statistics and Programme implementation to increase MPLADS funds at least 18 crores for each Lok Sabha Constituency. Levying of GST on it may be waived off/ abolished for the proper implementation of the MPLADS.

(xxi) Need to restore the Railway concession for Senior Citizens

DR. PON GAUTHAM SIGAMANI (KALLAKURICHI): Last 9 years price rise is the only gift this Government has given. Railways is also not spared. High fares, reduce sleeper coaches adds more misery to passengers. Rail fare went so high during festive season, (diwali)mumbai-patna fare was ₹800 to ₹2,265 & 2AC to ₹9,000. IRCTC in RTI reply revealed that upto 1.4 crore passengers couldn't travel last 6 months, it also said with dynamic ticket pricing, rail fare equalled flight fare. Railways has been increasing non AC coaches and reducing sleeper coaches. Union Government has added huge burden to thousands of passengers travelling to hometowns for festivals. From 01.04.'23 to 30.09.'23 railway earned over ₹83.85 crore alone from 1.44 crore waitlisted passengers as cancellation charges. Premium Tatkal Fare was equal to flight. Senior citizens concession suspended in March 2020, due to COVID has not been restored till now, suspending this concession Railways has earned ₹2,242 crore between April 1, 2022 and March 30, 2023. This money has come from senior citizens. Total revenue from senior citizen's during 2020-22 was ₹3,464 crore, which is ₹1,500 crore more earning to Railways. Hence, I urge the Railway Ministry to roll back the SR citizens concession and other demands.

**(xxii) Regarding inclusion of roads from Dakshin Barasat Railway Station
PWD road to Dhurbachand Halder College under
the Railway maintenance map**

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I would like to draw the kind attention of Hon'ble Railway Minister to an urgent need of public importance. I had spent more than 45 lakhs rupees for construction of a blade top road from Dakshin Barasat Railway station PWD road to Dhurbachand Halder college in the year 2018-2019. The road is under the jurisdiction of Railways. Now the road has become dilapidated and one of the main reasons is that there are two big water bodies on one side of the road, which had to erosion of soil and also hinder the proper maintenance of the road. These two water bodies in question are also the property of Railways. I would like to request the Hon'ble Railway Minister to kindly include this road under the railway maintenance map and take necessary steps for reconstruction of the said road at the earliest.

**(xxiii) Regarding safety audit of tunnels in view of recent
tunnel accident in Uttarkashi in Uttarakhand**

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): The Uttarkashi tunnel accident has been a disaster that left the entire Country shocked and numb. The tunnel collapse had made the workers immovable and confined under a mountain for 17 days. The rescue efforts, led by the unwavering valour of various agencies and experts, have been nothing short of heroic. We are grateful for their resilience and courage. Among the workers trapped in the Silkyara-Barkot tunnel, 3 were from Bengal and 2 were from the constituency which I represent. On behalf of the 41 workers who were trapped below a mountain and their families, I demand a thorough investigation in the matter. Everyone wants to know why the safety tunnel was not made. Why were the Government guidelines disregarded for the project? Why were the Supreme Court appointed committee recommendations of building narrow tunnels ignored? Why was the construction initiated before proper assessment of the impact was conducted? I request the Government to conduct safety audits for all tunnels in the Country and to reevaluate the need and methodology of building the Char Dham project which these tunnels were a part of.

**(xxiv) Regarding expansion of Post Office Passport Seva
Kendra (POP SK) at Dombivali, Maharashtra**

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): भारत सरकार द्वारा 2017 में मेरे लोक सभा क्षेत्र कल्याण के डोंबिवली में POPSK बनाने की स्वीकृति दी गई थी और अक्टूबर 2021 में इसका संचालन शुरू किया गया जिससे कल्याण डोंबिवली उल्हासनगर अंबरनाथ बदलापुर और आस पास के इलाके के 50 लाख से भी अधिक नागरिकों को पासपोर्ट सेवा का लाभ मिलने का अनुमान है। वर्तमान में इस POPSK की प्रतिदिन पासपोर्ट आवेदन processing क्षमता सिर्फ 40 से 50 आवेदनों की है। विदेश यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ने के कारण नए पासपोर्ट और पुराने पासपोर्ट के renewal हेतु माँग बढ़ रही है, लेकिन सीमित कर्मचारी और क्षमता के कारण पासपोर्ट के लिए Appointment लेने के लिए आवेदक को एक महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। POPSK Dombivali में तत्काल passport सुविधा का प्रावधान ना होने के कारण भी नागरिकों को passport मिलने में देरी हो रही है और उन्हें ठाणे या मुंबई तक यात्रा करनी पड़ती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि popsk Dombivali की क्षमता बढ़ाने के लिए एक expansion plan निर्धारित किया जाए, जिससे प्रतिदिन processing क्षमता 150 से 200 आवेदन तक हो सके और इसके लिए निर्धारित staff की भर्ती की जाए जिससे लोगों को पासपोर्ट सेवा की सुविधा मिलने और आवेदकों को हो रही परेशानी का निवारण किया जा सके।

(xxv) Regarding extension of Gorakhpur Hamsafar Express via Thawe to Chhapra Junction by providing one additional rake

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): I would like to draw the attention of the Government towards an issue regarding extension of the Gorakhpur Hamsafar via Thawe to Chhapra Junction. My submission is that the lakhs of people from three districts Maharajganj, Kushinagar, Gopalganj do not have direct trains for Delhi from the stations coming under the districts resulting into migration of these people to road transports. This area is the fountain of human resource working as skilled/semi skilled/unskilled labourers not only in the different parts of the country but also in the gulf countries. If Hamsafar is extended upto Chhapra this problem will be solved and apart from public of Maharajganj, Kushinagar, Gopalganj districts people from remote areas of Siwan and Chhapra district will get rid of their misery by having direct access to national capital Delhi through Railways. These sections of railway have also commercial and revenue feasibility to run the trains for metropolitan cities. If one additional rake for Hamsafar is provided then this train could be extended upto Chhapra via Thawe. I request the Hon'ble Minister of Railways to extend the Gorakhpur Hamsafar via Thawe to Chhapra Junction by providing one additional rake.

**(xxvi) Regarding dust pollution caused by Mahanadi
Coalfields of Talcher in Odisha**

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): While digging for coal in open cast manner in mines of Mahanadi Coalfields Ltd. of Talcher in Odisha, a lot of soil is removed in the process. The entire soil is dumped in nearby areas. As per the existing procedure, this huge pile of soil is required to be levelled at the earliest. However, the levelling work done so far is merely about 5% of the dumped soil. A time frame for levelling of soil is necessary. The loose soil has become a major source of dust pollution in the area. In turn, the people are suffering from various ailments like, allergies, breathing issues, lungs problem and many other pollution related diseases. Levelling of the soil will not only minimize dust pollution to a large extent but also help in planting trees and developing the forest. Therefore, in this regard, I would urge upon both the Minister of Coal and the Minister of Environment, Forest and Climate Change to take urgent steps so that the people of Talcher are saved from dust pollution.

(xxvii) Regarding power situation in Jammu and Kashmir

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Kashmir Province is grappling with an acute shortage of electricity, adversely affecting the lives of more than 70 lakh people. This power crisis, described as "one of the worst" in Kashmir, is also hampering economic activities. Reports indicate that Kashmir requires 1800 MW of power to sustain a 16-hour daily electricity supply and 2200 to 2300 MW for round-the-clock supply. However, the Power Development Department (PDD) this winter is managing to produce only 50–100 MWs a day as opposed to 200–250 MWs in the past. The problem of acute power shortages has resulted in substantial power cuts lasting from 8 to 16 hours. With households enduring the bitter winter cold due to insufficient heating and hospitals facing critical challenges in maintaining essential services, the repercussions of the power crisis have become even more severe. Additionally, several NHPC projects established in J&K generated a huge amount of revenue. It is time that the projects are utilized for the benefit of the Local population now. Therefore, in light of these circumstances, I urge upon the Government to take immediate and effective measures to address this issue and ensure uninterrupted power supply necessary for the well-being of the people in Jammu and Kashmir.

**(xxviii) Regarding development of Immigration and
Plant Quarantine facilities at Kollam Port**

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The lack of Immigration and Plant Quarantine facilities are the main hindrances of Kollam Port. Hundreds of foreign ships want the service of Kollam Port for cargo import, passenger service, maintenance options and crew changes. The international shipping channel is passing very near to Kollam Port and is one of the safest ports for ships to anchor even during rough weather. If properly facilitated and operationalised, it can bring lot of business, logistics and job opportunities. It is reliably learnt that State Government arranged all infrastructure facilities for functioning of Immigration center at Kollam Port and Immigration authorities rejected the permission after inspection without considering the importance of the port. Hence I urge upon the Government to ensure the development of Kollam Port by providing immigration check point with the available facility and give reasonable time to the State Government for additional arrangement, if required.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 12 और 13 एक साथ लिए जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो, तो दोनों बिल्स पर चार घंटे की चर्चा कर ली जाए? यदि आवश्यक होगा, तो चर्चा का समय और बढ़ा देंगे।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : महोदय, सबको बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी की कहना है कि सब बोलें।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : महोदय, इस पर रिप्लाय कल करा देंगे।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

सर्वविदित है कि सदन में सबको बोलने का पर्याप्त अवसर और पर्याप्त समय मिलता है। सदन चलता है, तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि सदन में मर्यादा, अनुशासन बनाए रखें, चर्चा करें। कल कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में भी सभी दलों ने सहमति व्यक्त की है कि संसद के नए सत्र और इस नए भवन में हम तख्तियां और प्ले कार्ड्स लेकर नहीं आएंगे।

मुझे आशा है कि सभी दल इस मत से सहमत हैं। मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि सभी माननीय सदस्य सदन की मर्यादा, अनुशासन को बनाए रखें। अगर प्ले कार्ड्स लेकर आएंगे, तो मुझे उन माननीय सदस्यों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी।

14.05 hrs

**Jammu and Kashmir Reservation
(Amendment) Bill, 2023
and
Jammu and Kashmir Reorganisation
(Amendment) Bill, 2023**

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 12, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और आइटम नम्बर 13, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 - माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

और

“कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री अमित शाह : नहीं।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

और

“कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, let the hon. Minister initiate the discussion. This is the convention of the House.

माननीय अध्यक्ष : वह विस्तार से रिप्लाई देंगे।

... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : सभी लोग बोलिए। आप मुझे बैठाना मत, मैं बहुत विस्तार से लंबा जवाब दूंगा। ... (व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह : स्पीकर साहब, आज दो बिलों पर चर्चा हो रही है। इनमें एक जम्मू-कश्मीर रिज़र्वेशन अमेंडमेंट है और दूसरे में नॉमिनेशन्स की अमेंडमेंट है। जो रिज़र्वेशन वाला अमेंडमेंट बिल है, उसमें जिन शब्दों का उपयोग है, जो वर्ष 2004 का बिल है, उसमें वी कैन अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेज वर्ड यूज्ड हैं, उसको नए बिल में अदर बैकवर्ड क्लासेज कर दिया गया है। वह तो इतना ही है। आप यह पॉजिटिव अमेंडमेंट ला रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वी कैन अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेज नाम में उनको सिर्फ दो परसेंट रिज़र्वेशन था। जब वह स्टेट से बाहर, हालांकि, अब वह स्टेट नहीं, यूटी है, लेकिन जब वे कभी सूबे से बाहर या भारत सरकार की किसी नौकरी में अप्लाई करना चाहते थे तो उनको ओबीसी वाला बेनिफिट नहीं मिलता था, क्योंकि नाम डिफरेंट था। इसलिए मैं इसको पॉजिटिव अमेंडमेंट मानता हूँ और मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। इसमें जो असली मुद्दा है और जब धारा 370 समाप्त की जा रही थी, तब ये सारी ओबीसी क्लासेज, जिनका अलग नाम वी कैन अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेज था, उनसे वादा किया गया था कि जैसे सारे भारतवर्ष में 27 परसेंट रिज़र्वेशन मिलता है, वैसा आपको मिलेगा। जम्मू कश्मीर में तो अभी दो परसेंट मिलता है।

स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को विनती करूंगा कि नाम तो अच्छा हो गया, यह बढ़िया है, लेकिन नाम के साथ उन सभी ओबीसी क्लासेज की जो असली मांग है और आपने वहां वादा भी किया था, आप उसका क्या कर रहे हैं, सदन को वह जरूर बताइए? नाम चेंज तो हो गया, भारत सरकार में वे नौकरियों में अप्लाई कर पाएंगे, यह सही है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर आपके पास

है, वह यूटी है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड है। आप दो परसेंट रिजर्वेशन को किधर लेकर जा रहे हैं, यह मुख्य मुद्दा है? हम आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वह जब भी जवाब दें तो इस बात का जवाब जरूर दें कि केवल नाम ही चेंज करना है या जो जम्मू कश्मीर के सारे ओबीसीज हैं, उनका रिजर्वेशन का जो हक बनता है, वह भी दिया जाएगा? मैं पहली बात यही निवेदन करना चाहता हूँ।

सर, दूसरी बात यह है कि इसके पास होने के बाद उनको नौकरियों में एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस में और सभी जगह फायदा होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अच्छी बात हुई। लेकिन आज भी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस में शिक्षा पाने या नौकरी में आरक्षण है, लेकिन उसको पाने के लिए आज जो मुद्दे हैं, उनके बारे में भी मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप जम्मू-कश्मीर के लोगों को शिक्षा पाने के लिए कोई स्कॉलरशिप स्कीम भी देंगे। उनकी एजुकेशन में आप बढ़ोतरी कैसे करेंगे? वे कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कैसे आप करेंगे, यह सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ। क्योंकि, हायर एजुकेशन का जो इस मुल्क का तजुर्बा है, मैं हैदराबाद वाले उस केस का जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूँ। सर, जो एससी-एसटी के लड़के-लड़कियां पीएचडी किया करते थे, एमफिल. किया करते थे, उनका स्कॉलरशिप या तो बहुत कम कर दिया गया है या करीब-करीब बंद कर दिया गया है। अब वे चारों ओर भटकते हैं। जम्मू-कश्मीर वालों के साथ भी यही होना है तो मैं जम्मू-कश्मीर वाले मुद्दे को आज रेज़ करना चाहता हूँ क्योंकि गृह मंत्री जी आप सारी सरकार देखते हैं। आप इसका जवाब जरूर दीजिए कि स्कॉलरशिप के लिए क्या करेंगे? स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा इश्यू है। सारे हिन्दुस्तान का इश्यू है, जम्मू-कश्मीर का इश्यू तो है ही, इसलिए मैं आपके सामने रेज़ कर रहा हूँ।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो वहां वायदा किया था, अब तो चार साल हो गए हैं तो आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी तो लागू करनी चाहिए। आज नहीं तो कल जब भी करना है, आप इलेक्शन कमिशन का जवाब दे देते। आप गृह मंत्री हैं और जब तक आप नहीं कह देते कि मैं वहां फोर्सेस के साथ इलेक्शन करवा सकता हूँ तब तक इलेक्शन कमिशन क्या करेगा?

आपको इस बारे में भी बताना चाहिए कि आप उन लोगों को डेमोक्रेसी कब दे रहे हैं? आपन लद्दाख में इलेक्शन करवा दिए हैं और जम्मू-कश्मीर वाले इलाके को छोड़ दिया है। मेरी आपसे विनती है कि उस पर भी हम लोगों को कोई न कोई बात अपने जवाब में जरूर बताइए।

अगली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं और वह बात मैं सारे हिन्दुस्तान के एक्सपीरियंस से करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में भी वही होगा। सर, सारे हिन्दुस्तान में जो भारत सरकार के इंस्टिट्यूट्स हैं, जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपके आईटीआईज़ हैं, उनमें आज एससी-एसटी टीचर्स की कितनी भर्ती हुई है? लोक सभा में और राज्य सभा में भी जवाब दिया था कि इन इंस्टिट्यूट्स में लगभग 60 परसेंट पोस्ट्स खाली पड़ी हैं। नॉमनक्लेचर तो बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन नॉमनक्लेचर से केवल मुद्दा नहीं सुलझता है, उसके साथ उस लाइन में जितनी बातें जुड़ी हुई हैं, उन सबका भी तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। उनकी पोस्ट रिजर्व कर दी लेकिन उनकी भर्ती नहीं हो रही है। आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है तो वो लोग कहां जाएंगे? रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। सर, मेरे कहने का मतलब है कि आप प्रधानमंत्री जी के बाद सारी सरकार चलाते हैं तो आपसे जवाब इसीलिए मांग रहे हैं कि आपको किसी डिपार्टमेंट से भी पूछना है तो पूछ सकते हैं।

हिन्दुस्तान में एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट्स की जो हालत है वह यह है कि पिछले कई सालों से जब से यह स्कॉलरशिप, ईवन जो जनरल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप थी, वह भारत सरकार सौ प्रतिशत देती थी। बहुत सालों से, करीब 30-40-50 सालों से और आपकी सरकार आयी तो आपने 60-40 कर दिया कि हम 60 परसेंट देंगे और 40 परसेंट स्टेट्स दें। स्टेट्स की तो ऐसी हालत है कि वे तनख्वाह ही नहीं बांट पा रहे हैं। इससे यह हुआ है कि स्कूलों में, कॉलेजों में और हायर इंस्टिट्यूशंस में एससी-एसटी बच्चों का नंबर बहुत गिर गया है। मैं आपको पंजाब का एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि आप सौ प्रतिशत देते थे तो एससी-एसटी स्कॉलरशिप साढ़े तीन लाख से चार लाख के करीब स्टूडेंट्स को मिलती थी।

पंजाब में साढ़े तीन लाख से चार लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन अब एक लाख से भी कम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब है कि पंजाब में करीब-करीब दो से ढाई लाख शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, चूँकि वहां ट्राइबल नहीं हैं, वे स्टूडेंट्स कॉलेजों और स्कूलों से निकल गए हैं, क्योंकि उनकी अफोर्ड करने वाली हालत नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने यह मामला रेज़ कर रहा हूँ। यह मामला जम्मू कश्मीर में भी इश्यू बनेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जब आप कानून ला रहे हैं तो क्रॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें लेकर आइए और उसके साथ ही आप हमें सारी चीजें बताइए।

यही नहीं, आज आईटीआईज तथा हर इंस्टीट्यूशन्स में स्टूडेंट्स के द्वारा जो सुसाइड हो रहे हैं, उस पर आपकी सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में भी आप हमें बता दीजिए। इस बात पर बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपके अमेंडमेंट का तो सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यह मेरी विनती है कि इससे जुड़े दूसरे जो मुद्दे हैं, आप उन सबका ए टू जेड कोई समाधान कीजिए और हम लोगों को गाइड कीजिए।

सर, आप जो दूसरा अमेंडमेंट ला रहे हैं, जिसमें तीन लोगों को नॉमिनेट करना है, उसमें मेरी छोटी सी विनती है कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी लोग भी बहुत बसते हैं। स्पेशली जम्मू रीजन में ज्यादा हैं, श्रीनगर में कम हैं। पंजाब की ओर से मैं विनती करना चाहूंगा कि उन तीन लोगों में हमारा भी कोई आदमी नॉमिनेट कीजिए। मैं पगड़ी वाला नहीं कहूँगा, लेकिन कोई पंजाबी तो कर दीजिए। वहां पर काफी पंजाबी रहते हैं। बाकी आप और किसी को भी नॉमिनेट कीजिए। ऐसा न हो कि उसमें पंजाब इग्नोर हो जाए। वहां पर पहले पंजाबी लैंग्वेज चलती थी, वह भी बंद कर दी गई है। उसे भी चालू कीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इश्यूज हैं। आप अच्छे अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, लेकिन इसके साथ में इससे जुड़े हुए मुद्दों को भी निपटाने का काम कीजिए।

मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरीज़ और सेक्रेटरीज़ पद में एससी, एसटी और ओबीसी के नम्बर्स बढ़ाइए। मैं एग्जेक्ट परसेंटेज बोलना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आप जब उन्हें भारत सरकार में लेकर आते हैं तो उन्हें अच्छी पोस्टिंग भी दीजिए। मैं किसी भी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ।

हमारे प्रधान मंत्री जी एससी, एसटी और ओबीसी के भले की काफी बातें करते हैं इसलिए उन वर्गों के जो लोग आई.ए.एस., आई.पी.एस. बन गए हैं, उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंपॉर्टेंट पोस्टिंग दे दीजिए। आप अभी पावर में हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैंने जो दूसरी विनितियां की हैं, उनका मैं जवाब चाहता हूँ।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि वे यहां पर जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लेकर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी समस्याएं हैं, उनके लिए आज ही डिमांड नहीं आई है या आज ही उसकी जरूरत नहीं पड़ी है, बल्कि उसकी वर्षों से जरूरत थी, लेकिन स्वार्थ की राजनीति करते हुए वहां की जो पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। विशेष तौर पर कांग्रेस जो कि वोट बैंक की राजनीति करती है और हमेशा से करती आ रही है, लोक-लुभावन नारे भी देती है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास उनका कभी नहीं रहा है।

मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 में धारा 370 हटने के बाद जब जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिला और वे सारी बेसिक सुविधाएं, जिनके लिए जम्मू कश्मीर के लोग हकदार थे, 70 वर्षों से वंचित थे, उनको आज वे सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं।

एक के बाद एक वे सारे विधेयक, कानून जम्मू-कश्मीर में लागू हो रहे हैं, जो कि पहले से ही होने चाहिए थे। आज जिस विधेयक की यहां पर बात हो रही है, एक बहुत बड़े वर्ग की यह डिमांड भी थी। कुछ ऐसे भी लोग थे, जो इससे वंचित थे। आज देश के गृह मंत्री जी ने यहां पर यह विधेयक लाकर उन सभी वर्गों के लोगों के साथ इंसाफ किया है।

महोदय, यहां पर हमारे भाई कह रहे थे कि दुर्बल और शोषित वर्गों के नाम से जो विधेयक था, इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से करने का यहां पर उपबंध है। अब यह पूरे देश की भांति जम्मू-कश्मीर

में भी लागू हो जाएगा और इसी नाम से जाना जाएगा। यहां पर चर्चा हो रही थी कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में एक के बाद एक कानून बदले गए हैं। उन सभी का लाभ जम्मू-कश्मीर की जनता को मिल रहा है। विशेष तौर पर धारा 370 हटने के बाद वहां के माता-बहनों, नौजवानों और वाल्मीकि समाज के लोग, जो गोरखा समाज के लोग थे, जो वेस्ट पाकिस्तान के हमारे रिफ्यूजीज थे, उनके अलावा भी ऐसे कई लोग थे, जिनको 70 वर्षों तक इंसाफ नहीं मिला था। जैसे ही यह बदलाव आया तो उनको भी सारे लाभ मिल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विधेयक के पास होने के बाद ये सारी सुविधाएं हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेज के भाइयों को मिलेंगी। विशेष तौर पर यहां पर कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में उनको आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन आज यह आरक्षण बढ़ भी जाएगा और सेंटर में भी उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब इन वर्गों को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा।

महोदय, चाहे शिक्षा आधारों की बात हो या दूसरे आधारों की बात हो, जो आज तक वहां पर नहीं होते थे, वे आज वहां पर होंगे। उनकी यह डिमांड थी और उसके लिए उन्होंने कई बार संघर्ष भी किए। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि अब तक जम्मू-कश्मीर में ओबीसी आरक्षण नहीं था। जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक के जरिए, जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में बदलाव का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कमजोर और वंचित वर्गों की शब्दावली को बदल कर अन्य पिछड़ा वर्ग कर दिया जाएगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद पहली बार राज्य में ओबीसीज को दूसरे राज्यों की भांति सरकारी नौकरियां, छात्रवृत्ति और आरक्षण सहित अन्य लाभ भी मिलेंगे। उन्हें संवैधानिक अधिकार हासिल होगा। इसके साथ-साथ जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ और ऐसे समाज के लोग थे, जैसे जाट समाज के लोग थे, वे भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। उनको इसका इंतजार बहुत पहले से ही था।

महोदय, केन्द्र सरकार ने समय-समय पर जम्मू-कश्मीर की उन्नति और जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए एक नहीं, बल्कि अनेक कदम उठाए हैं। जम्मू-कश्मीर का चहुंमुखी विकास हो ही रहा

है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यहां पर बहुत बड़ी तादाद में विस्थापित कश्मीरी पंडित के अलावा पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं, वहां के विस्थापित भी जम्मू-कश्मीर में रहते हैं। लोगों की यह भी बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी कि हमें भी मौका मिले और हम भी अपनी बात रख सकें। इसलिए इस विधेयक में विस्थापितों के लिए एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया है और कश्मीरी पंडितों के लिए दो सीट्स आरक्षित करने का प्रावधान यहां पर रखा गया है। इससे उनमें खुशी की एक लहर भी है और मैं कहना भी चाहता हूँ कि देखिये, कभी भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। आज केन्द्र में देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार चल रही है और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में अब जाकर उनके साथ इंसाफ होने की घड़ी आई है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक के साथ-साथ ही हमारा जो वाल्मीकि समाज है, इसे भी इंसाफ मिलने वाला है एवं बाकी कुछ और भी प्रावधान इसमें रखे गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब से देश में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से उन्होंने हर वर्ग, हर समुदाय के साथ इंसाफ किया है। उसी की एक कड़ी में आज हमारे कुछ वर्ग ऐसे थे, जो पीछे रह रहे थे, उनके साथ भी इंसाफ होने जा रहा है।

महोदय, मैं इतनी ही बात कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और एक बार फिर अपने प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the two Bills, the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2023.

Let me start by talking about the situation in Jammu and Kashmir since Mr. Amit Shah took over as Home Minister. One of the major steps taken by him was to abrogate Article 370, and then convert the State of Jammu and Kashmir into two Union Territories, one is Jammu and Kashmir and the other is Ladakh. It is for the first time in the history of Indian Constitution. Earlier, the Union Territories had been converted into States, and here Mr. Amit Shah's was the retrograde step of converting a State into a Union Territory.

Sir, before I speak on the Bill, let me ask him, through you, what he has achieved. What has he achieved by taking this retrograde step? The militancy has not been controlled. Only two weeks back, we lost a Major, a Company Commander at the hands of militants. Then, we lost two Captains of the Army in Kalakote. So, this is the peace which has been brought by Mr. Amit Shah.

What is the change taking place in Jammu and Kashmir? Has investment come in a big way? Has employment been granted in a big way? No. All that is happening is some cultural and sports events are taking place in Kashmir, and we are showing them to the tourists that all is well. But not all is well in the State of Denmark, Hamlet used to say; all is not well in the State of Jammu and Kashmir. The Governor just goes for the cultural and sports events. He does not go to inaugurate factories. He does not do anything to improve the cultivation of saffron in the Valley. Many of my friends including Satabdi went to Kashmir recently. She

said, Dada, speak about unemployment in Kashmir. The Kashmiri youth demands employment.

Sir, let me, before I go into the Bill, go into the history of Jammu and Kashmir. A part of it is given in the Statement of Objects and Reasons of the second Bill. In 1947-48, the first aggression took place. Pakistan occupied a part of Kashmir which is known as PoK, Pak-occupied Kashmir. Then, during 1965 war and again during 1971 war, parts of Kashmir were troubled. The hon. Minister has given the total number of families as 41,804 which were displaced during the three wars. That process has not been reversed. What has happened in Kashmir is that maybe due to misgovernance and many acts of commission and omission by the Centre, Kashmir went into the hands of militants from 1989-90. People were killed and Pakistan-inspired militants ruled in the Valley. We have gone through that time and that was the time when a large number of Hindu migrants went away from Kashmir Valley. The sufferings of these people have not ended. The total number of such families is 46,570 which left during militancy. The total number is 1,58,976 who have registered themselves as displaced persons. The Government promised much. Have they been able to bring those Hindu migrants, the pandits, who left the Valley? No, they have not been able to do that.

Sir, through you, I ask the hon. Home Minister what the roadmap is. Nothing can be done in Kashmir unless you hold election. Last election was held in 2014. For almost ten years, there has been no election. How can you rule a State without giving power to the people to elect? One person Mr. Manoj Sinha was in Parliament with us. He has gone there as Governor. What is his

connection with Jammu and Kashmir? Jammu and Kashmir should be ruled by the people of Jammu and Kashmir. ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सर, यह कोई विषय है? ये नाम कैसे ले सकते हैं? ... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: I have read all the Directions. ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : एलजी उसी राज्य का नहीं होता है।... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, he is a disturbing element. ... (*Interruptions*) He is a professional heckler. I do not want to listen to him. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए। वे नियम की बात कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Ms. Mahua Moitra is also not in the House.

Sir, my demand is that he should announce a timeframe for holding elections in Jammu and Kashmir. Now, they have promised that there will be reservation and the reservation will be changed to OBCs. Now, it is mentioned as 'weak and under-privileged classes' and they want to change that to 'Other Backward Classes', that is OBCs.

Now, there is no State, no Assembly. This is a State law and you are making the changes here. You are making a big change there for the first time. From migrant families, they are nominating not more than two members, one of whom shall be a woman from the community of Kashmiri migrants, people who belong to Kashmir and who have left. This was recommended by the Delimitation Commission. Also, one member is being nominated from the displaced persons from Pakistan Occupied Kashmir. There is no Legislative Assembly. Why are you making these changes? Have a Legislative Assembly, then bring these

amendments. I do not know what is the hurry. The hurry should be in having elections.

I want to state that the step of the BJP Government to abrogate Article 370, abolish the State of Jammu and Kashmir into a Union Territory and a Union Territory for Ladakh – I have told you – is a retrograde step. They did it just to fulfil the BJP's election promise: "एक प्रधान, एक विधान, एक निशान" – यह श्यामा प्रसाद बाबू के समय स्लोगन होता था, उसी को पूरा किया है। यह कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है।

Kashmir has been a conflict point. It is India's position that Kashmir is an integral part of India. It is also India's position that the territory of Pak Occupied Kashmir should be brought back to us. Does the Home Minister have any time frame as to when he is going to get Pak Occupied Kashmir into India? No. Everything is in the air. He is bringing two laws. Kashmir is called the paradise on Earth. It is the most beautiful valley anywhere in the world. Will Kashmir remain only a tourist place? Will we have a tourist territory of Jammu and Kashmir or will it be for the people of Jammu and Kashmir to have a proper Legislative Assembly?

माननीय अध्यक्ष : दादा, इस सदन के ज्यादातर माननीय सदस्य, मेरे ख्याल से, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर गए हैं। कश्मीर आज भी वैसा ही है, जैसा पहले था।

... (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सर, उससे अच्छा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उनको मत बताइए, वे पूरी बात को सुनते हैं। अभी उनके कान कमजोर नहीं हुए हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, this is a matter of opinion. This opinion is voiced by those who go to Kashmir as tourists saying, "Oh! Dal Lake; Shikaras are so nice; the cherries are blossoming; and the apples are there on the trees. What about the people of Jammu and Kashmir who live in Baramulla, Anantnag, Kokernag and in various other places of Kashmir? What is their condition? Kashmir is not for tourists. Kashmir is for the people of Jammu and Kashmir. Give it back to them. आज मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी अनाउंस करेंगे कि कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे? ... (व्यवधान) डीलिटिमिटेड कमीशन ने अपना काम पूरा किया है। आज आप कानून पास कराएंगे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स में से दो लोग आएंगे और डिसप्लेस्ड लोगों में से दो लोग आएंगे। यह ठीक है, लेकिन आप बोलिए कि हम जल्द ही जम्मू कश्मीर में लजिस्लेटिव असेंबली बनाने जा रहे हैं। हमने जो किया था, उससे हमने सोचा था कि कुछ बनेगा, लेकिन कुछ बना नहीं। हम कश्मीर में शांति लाने में नाकामयाब रहे।

Sir, in this discussion, I do not want to oppose these Amendments because there is nothing wrong in having two nominated Members from Kashmiri migrants. But everything is wrong in the Government's handling of Jammu & Kashmir, particularly Mr. Amit Shah's handling of Jammu & Kashmir. He took it in his hands कि मैं करूँगा, जो श्यामा प्रसाद बाबू चाहते थे, मैं धारा 370 को ऐंब्रोगेट कर दूँगा। मैं कश्मीर को, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दूँगा और वह जगह पिछड़ा रह जाएगा। आज यहाँ बैठकर कश्मीर के

लोग बहुत सफर किए हैं। हमारी दो जंग हुई थीं, वर्ष 1965 में और वर्ष 1971 में। वर्ष 1947 में पाकिस्तानी हनादार, They are called invaders. They captured part of Kashmir and again the militants took control of the valley and because of that people had to leave.

We must restore normalcy in Jammu and Kashmir. We want to see elections take place there. We want to see a nationalist person like Mr. Farooq Abdullah again occupy the Chief Minister's Chair and only then will Kashmiris realise their Kashmiriyat. Kashmir is very special. ... (*Interruptions*) उनकी एक अलग कश्मीरियत है... (व्यवधान) वहाँ कोई हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा नहीं है... (व्यवधान) यह आप वहाँ पर मत लगाइए!... (व्यवधान) कश्मीर, कश्मीरी को कश्मीरियों से चलाया जाए, दिल्ली से नहीं और दिल्ली से भेजे गए गवर्नर से नहीं। मैं यही बात इन दो कानूनों के बारे में बोलना चाहता हूँ। अमित शाह आज मान लें कि उनकी जो कोशिश थी, कश्मीर में नया कुछ दिखाने की, जब-जब फूल खिले, फूल खिलाने की, वह नाकामयाब रही है। कश्मीर फिर लोकतंत्र के रास्ते पर चले, यह माँग करके मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिन्द।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदय, मैं उम्मीद करता था कि दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम तो लिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद उनके बलिदान के बारे में कुछ बोलेंगे कि उन्हें बलिदान करना पड़ा है, तब जाकर कश्मीर में बदलाव आया। आपको जरा सोचना चाहिए कि आप यह बात आज की कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की क्या हालत रही है? जिस तरीके से आप लोगों के शासन में, जब आप यूपीए और कांग्रेस को समर्थन करते थे, आपने कश्मीर की क्या हालत बनाकर रखी थी? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : आपने नेशनलिस्ट लीडर की बात की।... (व्यवधान) नेशनलिस्ट लीडर के नीचे क्या हालत थी? कश्मीर में पहले कितने लोग मरते थे?... (व्यवधान) कितने मेजर रोज मरते थे? ... (व्यवधान) कितने आतंकवादी वहाँ पर घुसे हुए थे? दादा, इसका तो जिक्र करना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती बीवी सत्यवती।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): महोदय, मुझे एक मिनट का मौका दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप बोलेंगे तो आपको बोलने का पूरा मौका देंगे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था, आज कोई पथराव धारा 370 और 35(ए) हटने के बाद नहीं हो रहा है।... (व्यवधान) मैं वर्ष 2011 की घटना बताता हूँ। नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, तिरंगा झंडा हमें नहीं फहराने दिया गया। लोक सभा और राज्य सभा के दो विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला था। आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली-गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। यह बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी उदाहरण मिलेंगे।... (व्यवधान) अभी इस पर चर्चा होगी।... (व्यवधान) लेकिन कोलकाता में वहाँ पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को न निकालने दिया जाए,

देश में जो विकास नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उन गाड़ियों को वहाँ पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें, यह आपने बंगाल को क्या किया है... (व्यवधान) यह सुधार कश्मीर में हुआ है... (व्यवधान) जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: श्यामा प्रसाद जी की चिंता थोड़ी सांप्रदायिक थी। हम उन्हें मानते हैं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, वह कॉलेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर है।

‘एक प्रधान, एक विधान, एक निशान’, यह उनका स्लोगन था और पॉलिटिकल स्लोगन था, लेकिन... (व्यवधान)

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि इस देश में ‘एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान’ के लिए कहना कि यह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि दादा आपकी उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधान मंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? ... (व्यवधान) वह गलत है। जिन्होंने ने भी यह किया था, उन्होंने गलत किया था। नरेन्द्र मोदी जी ने इसे सुधारने का काम किया है। आपकी सहमति या असहमति से क्या होता है? पूरा देश ऐसा ही चाहता था और यह कोई चुनावी नारा नहीं है। हम वर्ष 1950 से कह रहे थे कि इस देश में ‘एक निशान, एक विधान और एक प्रधान’ होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया... (व्यवधान)

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sir, Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill substitutes weak and underprivileged classes with Other Backward Classes as declared by the UT of Jammu and Kashmir. The definition of weak and underprivileged classes is deleted from the Act. This is done to remove the confusion amongst the competent authorities due to differences in such nomenclature for issuing certificates to eligible persons.

Sir, with less confusion and more inclusion in education and employment, the State can work towards increasing the literacy rate, employment opportunities for OBCs, empowering the communities for brighter future, and giving an opportunity to come out of poverty.

A few suggestions are there from YSR Congress Party, under the dynamic leadership of Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy *garu*. The first suggestion is regarding conducting caste census. Current and comprehensive census detailing the population of OBC is indispensable for effectively implementing developmental schemes aimed at the marginalised classes in various States and Union Territories. Conducting a fresh OBC census should be the initial step towards the welfare of the community. So, there needs to be quantitative and qualitative data to understand how our schemes aimed at OBCs are benefiting them.

14.48 hrs

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

As I come from the State of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy *garu*, we are in the process of conducting our own caste census within the State. The backward

castes in Andhra Pradesh constitute nearly 50 per cent of the population with 139 subcastes. The goal of a caste-based census is to offer clarity on several aspects such as distribution of population in terms of different castes and subcastes, and understanding the socioeconomic status of the most backward castes which will help the Government to plan and maximise the outcomes of the policies and welfare programmes.

Next suggestion is regarding setting up of a dedicated Ministry for other backward castes. According to the National Sample Survey, the OBC population is at 41 per cent. To accommodate all the needs and necessities of the OBC community, we should consider setting up of a Central Ministry for Other Backward Classes as we have done for SCs and STs. The Ministry for OBCs can do wonders with the centralised planning, policies and welfare schemes for OBC communities which will uplift the communities socially and economically. This Ministry can also serve as a platform where the OBCs can raise their grievances, avail benefits such as scholarships and also have the task to ensure the OBC reservation is being followed in letter and spirit across the country. I request the hon. Home Minister to look into this aspect.

The third point is related to reservation in the State Legislative Assemblies. I urge the Central Government to move towards the idea of having reservations for OBC communities in State Legislative Assemblies also. This will enhance the political development of the OBCs remembering the Baba Saheb Ambedkar ji's idea of achieving political diversity by empowering backward castes by breaking

the barriers by reservation. So, it is an essential step towards maintaining inclusivity and diversity in our political system.

The fourth point I want to mention is regarding nationwide skill development programmes. According to the National Sample Survey, the OBC population stands at 41 per cent. While there are currently numerous schemes in place aimed at enhancing the education of OBCs and providing valuable resources like scholarships, the apparent absence of national schemes addressing skill training programmes is there. Introduction of nationwide schemes for skill development programmes targeted specifically for the OBCs will make the community job ready.

The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 marks a significant step towards clarity and inclusivity by replacing the term 'weak and underprivileged classes' with 'Other Backward Classes'. The legislation aligns the involvement of social dynamics of Jammu and Kashmir. Hence, I urge upon the Central Government to conduct the Caste Census along with the population Census, provide OBC quota reservations in State Legislative Assemblies, establish a Ministry for OBCs and introduce more schemes targeting the specific needs of OBCs which will help the community nationwide.

I want to quote one sentence which our hon. Chief Minister garu frequently says, 'backward classes who are there are not backward, they are the backbone classes of the society. Hence, I bring it to the notice of this August House.

I support this Bill from the YSR Congress Party and also request the Government to take into consideration the suggestions made by the YSR Congress Party.

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023.

Sir, first of all, coming to Jammu and Kashmir, it is seen as a Union Territory. As has already been said, it is always the case that a Union Territory looks ahead of getting a Statehood, so that they can have more authority. But this is the first instance where we see a State being converted into a Union Territory. And what is the main reason behind the same? The BJP has just won many of the States' elections and they have come to this House. They see themselves and their strength is always seen as winning elections after elections and going after micromanagement. But what happens in Jammu and Kashmir? Why are they not able to do it? Since they have not been able to do that, they converted the State into a Union Territory whereby they can have a control over the Governor and then they can run the governance through that control. If they had been very capable and if they had been confident of winning Jammu and Kashmir, would they have gone in for a Union Territory? So, that is the main reason that the people of this country should think that the power of BJP of winning elections mainly lies in the Hindi heartland States, what we generally call

as ...* States. You cannot come to South India! You can see what happened in elections results in all the States of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. We will not be surprised if you have an option of converting all these States also into Union Territories so that you can come into power indirectly because you can never dream of setting foot over there and taking control of all the Southern States.

Hon. Chairperson, Sir, as regards the Reservation Bill, we should first look into the history. Dravidian ideologies have always been strong and pro-reservations. In the early years, during or before Independence, the country was ruled by a minority of three per cent people having a majority say in all Government jobs, education and everywhere. It was the Dravidian ideology, it was our forefathers of DMK, and it was the Justice Party which brought in the Reservation Act for work and education for OBCs and other classes in the year 1926. Till then, it was the marginalised people and only a section of the people of three per cent who had jobs and other things. So, in the year 1926, it was the first time in India, particularly in Tamil Nadu, the Justice Party brought all these reservations for people so that people from all classes can take part in governance.

After India obtained independence in 1947, it was struck down by the Madras High Court saying that this reservation shall not exist anymore. Then again, we went to the Supreme Court. The same thing was done there. It was struck down and no reservation was there. It was the great Dravidian ideology of

* Expunged as ordered by the Chair.

our leader, Thanthai Periyar who, along with the then Prime Minister Jawaharlal Nehru and the then Law Minister Ambedkar, sought that we needed reservation in work and in education as it was completely necessary. Fight after fight, at last, the Union Government under the leadership of Prime Minister Jawaharlal Nehru agreed for reservation in work. But Thanthai Periyar and our leaders then struck it down. They said that if you give reservation only in work, who is educated? Only those people who are educated, the three per cent of the society, will again get work. So, they again fought; they had many, many other protests. Then, at last, in 1951, the first amendment to the Constitution was done. It was then declared through the first amendment that there will be reservation given in both work and in education. That is how education and work have come into picture and reservation has come into place. Lakhs of people have come into governance and in other places.

Taking the four pillars of democracy, we have reservation in Legislature. It is very good that we have come to such a stage and now this Government has also introduced the Women's Reservation Bill which is very good. But coming to Executive, there is no reservation for OBCs. It is fully dominated by other caste people, so-called forward caste people and it has a marginalised section of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. So, we would like to urge upon this Government to give more importance to OBCs in the Executive. DMK is always seen as a champion of the OBCs. In the recent 27 per cent medical quota for OBCs, it was our Government that had gone to court after court and got the final verdict in the Supreme Court so that we could have the 27 per cent OBC quota

not only for Tamil Nadu but for the whole of India. It has been achieved only after the efforts of our Chief Minister Mr. M.K. Stalin. He is seen as the hero of the OBCs.

Again, coming to the Judiciary, it is also fully dominated by the people of so-called forward castes. There is no reservation for OBCs. So, that reflects on the judgement of the cases too. So, we also ask and request the Government through you, Sir, to bring in reservation for OBCs in the Judiciary also.

Coming to Jammu and Kashmir, they have brought in this reservation Bill. Tamil Nadu has a very good rapport and relationship with Jammu and Kashmir. During Emergency, the father of Mr. Farooq Abdullah, Mr. Sheikh Abdullah was held in Tamil Nadu; he was safeguarded in Tamil Nadu by the then Chief Minister Kalaingar Karunanidhi. Still in the memory of that, we have Mr. Abdullah's guest house in Kodaikanal as a very renowned and a very sacred place over there. When Article 370 was brought, it was our leader Mr. M.K. Stalin who had brought together all the allies and fought against this very Government in the heart of Delhi and we voiced it out. So, Tamil Nadu and Jammu and Kashmir always have a very good relationship. They say that it is governed by a reservation Act because the legislation of J&K is not in place. Why is J&K legislation not in place? It is because of this Government. What is to be enacted by the State is now being enacted by this very House of the Parliament.

We would also like to make a very sincere request. The caste census which has been pending for a very long time throughout the country, should be conducted at once as demanded by our Chief Minister Mr. M.K. Stalin. We told

what the struggles are that we have got for OBCs, but we see this Government just handing over on a golden platter, 10 per cent reservation to the economically weaker sections. Nobody fought for it. Nobody has asked for it. Nobody has protested for it. But this Government is seen in appeasing overcast. But the same quota, the same marks for an OBC, SC or ST is much, much higher than what has been handed over to the economically weaker section, the 10 per cent reservation. So, I would request this Government to look into the EWS and to give in more quota for OBCs and to conduct a caste census at the earliest.

Sir, thank you for giving me this opportunity.

15.00 hrs

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, यह विधेयक मूल रूप से जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में कुछ संशोधन के लिए लाया गया है। अब दुर्बल और शोषित वर्गों (सामाजिक जातियां) के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग करने की बात कही जा रही है। इन शब्दों के कारण जो भ्रम और परेशानियाँ थीं, वह अब दूर हो जाएंगी। यह बहुत ही अच्छा कदम है। कई धाराओं और उप-धाराओं में भी संशोधन होने जा रहा है। यह सब उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करने के साथ होने जा रहा है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची में भी कई जातियों को शामिल किया जा रहा है, जो राज्य की मांग के अनुरूप है। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों से भी काफी सुझाव आए हैं, उन्हें भी सरकार को ध्यान में रखने के लिए मैं अपनी मांग रखता हूँ। जम्मू-कश्मीर की करीब 16 जातियाँ और लद्दाख क्षेत्र की 12 जातियाँ अब अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएंगी। यह राज्य के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। महोदय, माननीय मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का सही लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जिन अगड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। मेरा यह भी सुझाव है कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे लोगों को सही लाभ मिल सकता है। महोदय, दूसरा विधेयक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 लाया गया है। सरकार जम्मू-कश्मीर अधिनियम 2019 में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखती है। सरकार ने वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर को इस अधिनियम द्वारा दो भागों में बाँट कर केंद्र शासित राज्य बना दिया था। धारा 370 समाप्त करने के समय माननीय गृह मंत्री जी ने साफ-साफ कहा था कि जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार का गठन होगा और राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अभी पाँच साल होने वाले हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति पहले की तरह ही है। वहाँ परिसीमन कार्य हो चुका है। जम्मू-कश्मीर में 107 विधान सभा सीटों को बढ़ाकर 114

सीट्स कर दिया गया है। उनमें 9 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और तीन नामित भी होंगे। अब कुल 117 सीट्स होने वाली हैं। यह सब तो ठीक है, किंतु जम्मू-कश्मीर की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अभी तक वंचित हैं। जी-20 में भी जम्मू-कश्मीर का इस्तेमाल हुआ, किंतु वहां राज्य का दर्जा देने की बात पर सरकार की चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। आज भी जम्मू-कश्मीर में समस्याएं ज्यों का त्यों बनी हैं। आतंकी घटनाएं भी घट रही हैं। कश्मीरी पंडितों की हालत तो और भी दयनीय है। सरकार द्वारा कहा गया था कि वहां के विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। आप बताएं कि कितने कश्मीरी पंडितों को वापस लाया गया है? वहां पर अन्य राज्यों के श्रमिकों की हत्याएं होती रहती हैं। पर्यटकों की संख्या दिनोंदिन कम होती जा रही है, जिससे वहां के नागरिकों की आमदनी बंद हो रही है। वहां का किसान बेहाल है। देखा जाए तो जम्मू-कश्मीर की स्थिति पहले से भी बदतर हो चुकी है। अतः केंद्र सरकार वहां के नागरिकों, राजनीतिक पार्टियों के साथ सलाह-मशविरा करके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करे और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मेरा सुझाव होगा कि वहां जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, तभी लोकतंत्र बहाल हो सकता है। धन्यवाद।

*** SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL):** Respected Chairman Sir, on the behalf of my party BJD, I have been given the opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reservation bill. I express my gratitude to my party as well as to you. Special status was lifted on 21st November 2018. Five years have passed, but there's no proper govt or administration. Hence there is dissatisfaction among the citizens, the intelligentsia, the youth etc. They had expected a proper administrative mechanism to address their problems and provide opportunities. But that has not happened. When Article 370 was abolished, it was expected to usher in positive changes. While SC community has got reservation, ST community has been left out. May be Hon 'ble minister in his reply will clarify. Sir, many states have established Commissions to address the issue of reservation. In my state Odisha, our Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji has appointed Commissioner for SC, ST, OBC and SEBC communities. Retired Judge Sri Raghunath Biswal has been appointed as the Commissioner and other members are Navneet Ratha, Mitali Chinara and Prasanta Patra. Sir, the people of J&K are waiting for a fair deal from the central government and then only they will have confidence in the central government.

Thank you sir

Jai Jagannath

* English translation of the Speech originally delivered in Odia.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। यह देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। खासकर धारा 370 हटने के बाद पूरे वर्ल्ड की नजरें जम्मू-कश्मीर पर लगी हैं। पिछले 68-70 सालों में इन्हें कुछ नहीं दिया गया। वहां के जो एसटी हैं, जो गुज्जर-मुसलमान हैं या जो गुज्जर-बकरवाल हैं, पिछले दिनों इनकी वोट ले ली जाती थीं, रिश्तेदारियां कर ली जाती थीं और पिछली सरकारों के समय में इनको देने के नाम पर कुछ नहीं होता था। धारा 370 हटने के बाद इनको जो सुविधायें दीं, मुझे लगता है कि जो आज मौजूदा सरकार है, उन्होंने इसकी पूरी रिसर्च कराई। चाहे कारगिल का समय हो, चाहे 1947 का समय हो, चाहे 1952 का समय हो, जितनी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाइयाँ हुईं, जितने भी उग्रवादी हमारे देश में घुसते थे, सरकार से बगैर तनख्वाह लिए हुए और सरकार के सिपाही की तरह वहां के गुज्जर-मुसलमानों और गुज्जर-बकरवालों ने लड़ाइयाँ लड़ीं। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने उनको आरक्षण की सुविधा दी है। मैं सरकार को इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ, सराहना करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ कि पिछले 68-70 सालों में इनको कुछ नहीं दिया गया था।

महोदय, मैं एक चीज आज कहना चाहता हूँ जो पीओके से आ रहे हैं, उनको कुछ भी सुविधा दो, बहुत ही अच्छी बात है। जो गरीब लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनको भी सुविधा दो, यह भी बहुत अच्छी बात है। जो वहां के गुज्जर-मुसलमान हैं, जिन्होंने हमेशा देश के लिए जानें दीं, लड़ाइयाँ लड़ीं और धारा 370 खत्म होने पर पाकिस्तान-हिंदुस्तान की बाउंड्री पर मिठाइयाँ बाँटी, उनके लिए सरकार ने आरक्षण निश्चित किया है। अगर किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को दान दे देते हैं, किसी को कोई चीज दे देते हैं, उसमें से अगर वापस लेते हैं तो फिर बहुत जोर पड़ता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि आरक्षण किसी को भी देना है, तो जो पहले उनको दस पर्सेंट दे दिया, उससे उसे अलग रखा जाए। उनका आरक्षण न छेड़ा जाए। सरकार अब जो आरक्षण देना चाहती है, उनको अलग से कितना ही आरक्षण दे दो। देश के लिए जिन्होंने जानें दीं, देशहित में, जनहित में और जम्मू-कश्मीर के गुज्जर-बकरवाल के हित में, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि उनके आरक्षण को न छेड़ा जाए। अगर सरकार को कोई

आरक्षण देना भी है तो अलग से उनको कितना भी आरक्षण दे दीजिए, लेकिन उनका कम न करा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you very much, Sir. I stand here on behalf of the Nationalist Congress Party to support the Jammu and Kashmir Reservation and Reorganisation (Amendment) Bill, 2023.

I have very fond memories as a child about Kashmir. Fortunately, doctor sahab is sitting right here. This is actually an opportunity for me to show gratitude to him and his family, who has led this most beautiful part of India. I would like to read a few lines about Kashmir from a Sufi poet, Amir Khsrau. He said:

“If there is a paradise on earth,
It is this, it is this, it is this”

This is how much we all think about Kashmir. Nestled in the foothills of the Himalayas, the Kashmir region is celebrated and esteemed for its ineffable and incomparable aesthetic wonder and charming beauty. Beautiful lakes, acres of Mughal Gardens, mighty snow-capped mountains, rich saffron fields, vibrant meadows and crystalline glaciers are some of Kashmir’s natural features and landscape which are in the poetry.

However, Kashmir’s paradise, in many ways, has been brutally violated and its peace has been plundered for various reasons. But the flourishing meadows, stark mountains and vast fields are motifs of freedom. But with hundreds of thousands of military forces scrutinising Kashmir, freedom feels like a faraway and elusive force. Nonetheless, beyond each blossoming tulip flower field and wide-eyed smile lies a story, a story of Kashmir.

Kashmir is, essentially, a region of stark contrast. It is actually a story of paradoxes. For beauty exists despite its bloodiness, faith, tenacity and inner peace can be seen in its local residents amidst all these activities which have happened in the decades. Fragments of paradise can be found, despite the most hellish of horrors. Hope can be reignited when all the hope seems to have been forsaken. Kashmir is a place that beckons your soul, stirs your spirit, converses with your heart and dwells in your mind long after your body has departed.

I think Kashmir has really been through a very difficult journey. Administration is something which is a continuous process. Yes, it has had its red spots, black spots and it has had its moments. I think that everybody has contributed unanimously to the journey of Kashmir. We cannot just isolate one bad story to this glorious part. The tourism story of India, the cultural story of India will always be incomplete without Jammu and Kashmir and Ladakh.

We really need to look at the larger picture. We have to stop being a prisoner of the past and history. I was listening to the Member speaking from the Treasury Benches. I thought that he would enlighten us with the achievements of the last four years. Unfortunately, I could not hear much from him about this. But I do not want to get into this. I genuinely owe a lot to Jammu and Kashmir and Ladakh because it has given me my finest happy family moments. If I ever have to look back five decades of my life, it would be all connected with Jammu and Kashmir and Ladakh.

I absolutely welcome this decision. But I would like to suggest to the hon. Home Minister who has been so large hearted about this reservation in Jammu

and Kashmir. I would like to make a suggestion to him. Instead of bringing piecemeal programmes about reservation, why does he not bring a comprehensive Bill, a pan-India reservation Bill?

Maharashtra, the State from where I come, is today having huge challenges in respect of Maratha, Dhangar, Lingayat and Muslim reservation issues. The same thing in Uttar Pradesh was also resonated in one hon. Member's speech. The same thing is also there in Rajasthan. Why does this entire House not sit together, put its mind together in a discussion on reservation and find amicable solution in the larger interest of this nation? When it comes to my State, it is all about Maratha, Lingayat, Dhangar and मुस्लिम समाज के आरक्षण की बहुत बात हो रही है।

So, I was just trying to connect the two dots. If you can do it in Jammu and Kashmir, why can it not be applicable to my State, which is actually burning right now? This is something which I would like to put in front of the hon. Home Minister. I would like to ask the hon. Home Minister one thing. I remember his speech in the old building of Parliament. He told us about his dreams and plans for Jammu and Kashmir. We were also quite keen on it. Who does not want peace? We had put our hopes in him that there will really be a huge change in the lifestyles of people of Jammu and Kashmir. I remember him making commitment about good investment there on the floor of the House in the old building of Parliament and also about elections. Unfortunately, that has not happened.

I would like to talk about urban local bodies as has been mentioned by Sougata babu in his speech. I would like to take that point forward that the elections to urban local bodies which were to be held in Srinagar have been

postponed and the excuse given or the reason given was delimitation. Had they not thought about it before? चार साल हो गए, डिलिमिटेशन का होमवर्क तो पहले भी कर सकते थे। What is the reason? If you want to give them freedom and if you want a democratic country, the first message that you have to give to the people of Jammu and Kashmir and Ladakh is to have fair elections in these regions. हमारी मांग है कि पहले आप वहां इलैक्शन करवाइए। This is, I think, really going to be the honest commitment that the hon. Home Minister made to this nation and we trusted it. I am not saying that we mistrust him now. I want to put it on record that we are really hopeful that they walk the talk.

The other thing that I would like to highlight is tourism. I have myself been to Kashmir once in the last three years and clearly the tourism has improved but let us have some data. Tourism is seven per cent of Jammu and Kashmir and Ladakh's development story. If you look at the economy, it is seven per cent. If only tourism is 7 per cent of the economy, then, what about the horticulture, agriculture and changes in the climate that we are having? Our agriculturists are also in trouble because of climate change. The same issue continues to happen in Jammu and Kashmir and Ladakh. What is the plan that this Government has vis-à-vis climate change with agriculture and horticulture? What are their plans for Jammu and Kashmir considering that they do not have any Government in place? अगर किसी आम आदमी को मदद चाहिए तो वह किसके पास जाए? वह तो एलजी को नहीं मिल सकता है? What is the plan they have for all these things whether it is agriculturist, youth or woman? Like they say, this is the new dharma of BJP, so, we really want to see them walk the talk for all these four verticals that are there.

As far as unemployment is concerned, like Sougata babu said, it is at its peak in India and so it is in Jammu and Kashmir. What specific interventions are they doing for unemployment? One point which is alarming in Kashmir today is electricity. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हर जगह धरने हो रहे हैं। श्रीनगर में दस घंटे पावर कट हो रहा है। What has really happened in the last four years? What magic has happened? If there is no electricity, how are all other things going to work? I am sure the hon. Home Minister would throw some light on these things and enlighten us how these things are going to be taken forward. इंडिया में कहा जाता है कि इलैक्ट्रिसिटी सरप्लस है तो फिर नेशनल ग्रिड से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बिजली क्यों नहीं जा रही है? Why are the people, our brothers, sisters and children, suffering with no electricity for 12 hours in a place like Srinagar? अगर श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं है तो बाकी छोटे गांवों में क्या होता होगा? So, this is something that we need to really discuss. Yes, things are better but that does not mean that they are okay. In September, 2023, and in November, 2023, there have been two major attacks and we have lost very, very brave sons of India. They are our sons. देश के बच्चे शहीद हुए हैं। इनमें कौन हैं – कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट। This is in September 2023. In November, 2023, the martyrs were Captain M. V. Pranjal, Captain Shubham Gupta, Havaladar Abdul Majid, Lance Naik Sanjay Bist, and Paratrooper Sachin Laur. These people have laid down their lives in Rajouri and Poonch where there were problems. So, we cannot say that everything is wonderful. पहले से बेहतर है और जरूर है। अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए, जो अच्छा हुआ है, I do compliment the Government but a lot needs to be done. Everything is not okay because we have lost our sons. Has the tourism gone up? Yes, it has. When we

lose our sons of soil then, really, can we say that there are wonderful stories in Kashmir? Can we say: "Oh, we are so happy as the tourism has gone up? देश के बच्चे शहीद हुए हैं, वे इस देश के लड़के हैं, नौजवान हैं। So, we really need to introspect. It is not just about chest-thumping. We cannot say: "Oh my God, we have done something wonderful." We really need to walk the talk. वह मां जानती है जिसका बेटा वहां शहीद हुआ है। वह बीवी उसका दुख जानती है, उसके बच्चे उसका दुख जानते हैं। For us, these are names and we will pay our tributes to them because जिंदा उनको रहना है, उनकी फैमिली का दुख किसी को नहीं पता है, वह उनकी मां, बीवी और बच्चों को ही पता है। I think, this House needs to be far more sympathetic, more empathetic, and more compassionate towards Jammu and Kashmir. It is not about us versus them.

I think, we all love Kashmir equally. So, it is not that they have done something wonderful and we did something disastrous. Not at all. Let us put some data. Kashmir was always very tourist-friendly. People hosted us and opened their homes to us. So, they have been wonderful proud Indians.

I would like to talk about the contribution of Farooq Abdullah ji's family in making sure that Kashmir remained an integral part of India. If it happened – I would put it on record – it is only because of his family, the commitment that Pandit Jawaharlal Nehru did at that time in the United Nations, and also Lord Mountbatten's contribution at that time. The way they negotiated, they stayed with us. The reason that there was no violence for many decades is because of the contribution of Dr. Farooq Abdullah and his entire family. So, it is a combination. Not only that, it is the contribution of even the Mufti family. आज ये इनके खिलाफ बोलते हैं, पर कभी तो एक ही थाली में खाना खाया है। Abdullah family also were their

partners and so were the Muftis. So, today, it is not fair to say that just because they are on this side, they have done a bad job. अच्छे को हम अच्छा कह सकते हैं, तो आप भी बड़ा दिल दिखाइए। We are committed to contributing and supporting this Government in whatever way we can to make sure that the peace and happiness of Kashmir comes back for every Indian who is so proud of this jewel in our crown and also to make sure that it is a safe and secure place where every child gets a good quality education, where every senior-citizen has freedom and also access to good quality hospitals without power cuts. I think, it is a large picture. Many things have been discussed. These are two small steps in the larger good of Kashmir. But still, a lot more needs to be done. We would prefer that these decisions are taken in their own Assembly. Why should we take decisions for somebody else's Assembly? We are only looking at India as a piece. We do not want to take State decisions. Unfortunately, today, even during the Question Hour, असेंबली के सवालों पर हम पार्लियामेंट में चिंता कर रहे हैं। I remember Arun Jaitley ji who always used to support cooperative federalism. I miss both Arun ji and Sushma ji in the House. If there were two leaders in the BJP who believed in cooperative federalism, they were Sushma ji and Arun ji. We would like to resonate and remember them. I hope, from what I have said, the BJP remembers their senior leaders who really fought for cooperative federalism to give the fair right to the people of Jammu, Kashmir, and Ladakh, the entire State by itself, which is broken into three. अभी जो हो गया, सो हो गया। There is no point disagreeing or agreeing with what has happened. But I hope, the BJP, the Central

Government is committed to bringing up all the glory of Jammu and Kashmir and giving all the people fair and a happy life in future. Thank you.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): शुक्रिया जनाब । आज बाबा-ए-कौम शेर-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला की यौमे पैदाइश है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उन्हें खिराजे अकीदत पेश करूं।

जनाब, सरदारी अवाम का हक है हिंदू-मुस्लिम, सिख इत्तेहाद, land to the tiller जैसे स्लोगन उनके हैं, क्योंकि जो आज हम बहस कर रहे हैं, जो बे-इख्तियार तबके से हैं, उनको बा-अख्तियार बनाने की जो बात हम करते हैं, तो उनको हम जरूर याद करेंगे, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के लिए सोशल जस्टिस प्रोग्राम चलाने हेतु जो काम किया, उसकी कोई मिसाल नहीं है।

जनाब, पहले मैं जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट पर आऊंगा। यह एक्ट सीधे-सीधे 5 अगस्त, 2019 के फैसलों को लेता है। 5 अगस्त, 2019 के फैसलों को मार्केट किया गया था। एक के बाद एक मंत्री ने कहा, लीडर ने कहा कि वहां कुछ नहीं था, कोई रिजर्वेशन नहीं था। वहां पर सब पिछड़े हुए थे, एससी की कोई बात नहीं थी। यह एक्ट वर्ष 2003 का है। जिस एक्ट में आज आप तरमीम कर रहे हैं, यह वर्ष 2003 का है। वर्ष 2003 में सारा रिजर्वेशन दिया गया था। आज आप उसकी सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। यह पहले जानने की जरूरत है। वर्ष 2019 के फैसले में जो मार्केट किया गया था, वह सारा गलत था। एक के बाद एक वजीर ने जो यहां कहा कि वहां कुछ नहीं था, कोई तरक्की नहीं थी, वह बिल्कुल फरेब था, झूठ था। कंट्री को मिस्लीड किया गया। इससे आज उसकी ताईद होती है। दूसरी बात यह है कि जम्मू-कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है, उसके इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? यह कानून तो जम्मू-कश्मीर के लेजिस्लेचर का बनाया हुआ है। इसका संशोधन, इसकी तरमीम तो वही करेगा ना? यह हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस इख्तियार के तहत कर रहे हैं? जनाब यह हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कर रहे हैं। उसका उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके हम कहते हैं कि हम यहां यह तरमीम करेंगे।

जनाब, मेरा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। यह जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। हमने तमाम बहस की। आपने भी वहां अपनी तमाम बहस की। आपके जो

अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने भी बहस की। जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने भी बहस की। हमने अपना पूरा पक्ष रखा कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आईन के मुनाफिये और आईन के विरोध में बनाया गया, कैसे आईन को रौंदते हुए बनाया गया है। अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है तो क्या आपको यह शोभा देता है कि आप उसी कानून का प्रयोग करें, उसी कानून का इस्तेमाल करें, जो जूडिशियल स्कूटनी में है तथा जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा है, सारे दलाईल सुनकर, हमारा यह कहना है कि आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। आपको आर्टिकल – 3 और आर्टिकल – 1 के तहत स्टेट के दो हिस्से करने का, फ्रैगमेंट करने का और यूटीज में डिवाइड करने का कोई इख्तियार है ही नहीं और यह आपने आईन को रौंदकर किया है... (व्यवधान)

जनाब, अगर मामला टॉप कांस्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है तो होना यह चाहिए था कि हम सब इसका इंतजार करते। मैं कंटेंट पर नहीं हूं, मैं तरीकेकार पर हूं। यह नहीं कि हमारा जो हिस्सा है, सेगमेंट है, उसको बाइख्तियार नहीं बनाना चाहिए। मैंने पहले बाबा ए कौम का हवाला दिया कि उन्होंने कैसे सोशल जस्टिस फ्रंट तक 34 लाख कर्नाल जमीन ट्रांसफर किए और उसमें 70 परसेंट, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी मेरी बिल्कुल ताईद करेंगे, जम्मू में एससीज को गया। एक मूलमंत्र है कि हमारा विश्वास आईन पर है। आईन को रौंदा जा रहा है। आप कैसे कर रहे हैं? आप इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। कुछ दिनों का इंतजार होगा। वहां से फैसला आ जाता, उसके बाद करना चाहिए था। यह एक पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि स्टेट असेम्बली है ही नहीं। यहां पर वादा किया गया था कि स्टेट को रीस्टोर किया जाएगा। हम छः साल से इंतजार कर रहे हैं। दस साल से कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। आप खुद से इसका जवाब पूछिए। आपकी एक जिम्मेदारी है। कांस्टिट्यूशन ऑब्लिंगेशन है, पॉजिटिविटी के लिए आपकी जिम्मेदारी है। आपने जो यहां पर वादे किए थे, उनकी तकजीब कर रहे हैं। हरेक को उसका हक मिलना चाहिए, उसके खिलाफ हम नहीं हैं। लेकिन, आप बताइए कि आप किस इख्तियार का इस्तेमाल कर रहे हैं।

तीसरी बात है कि 5 अगस्त के बाद सब ठीक हो गया। अगर सब ठीक हो गया तो यह क्या बात है? आप खुद से सवाल पूछिए। दस साल के बाद भी वहां इलेक्शन कराने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। आपने यूएलबीज के इलेक्शन भी नहीं कराए। आपने पंचायत भी खत्म कर दी। जब हमारे प्रधानमंत्री पेरिस में कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या महत्व है, जब उसकी सबसे बड़ी जम्हूरियत उसका हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है हमारे देश के साथ है। हम उसकी ताईद करते हैं। वे कैसे कहते हैं कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जब उसके डेढ़ करोड़ लोगों को दस साल से कोई हक ही नहीं है। ... (व्यवधान)

आप कहते हैं कि सब ठीक हो गया है।... (व्यवधान) हमें बात करने दीजिए। यह जम्मू-कश्मीर का मामला है। अगर सब ठीक है तो जी-20 में जो बाहर से लोग आए थे, उनको दाचीगाम क्यों नहीं ले जा सके, गुलमर्ग क्यों नहीं ले जा सके? आप एम्बेसडर को लाए, लेकिन उनको दाचीगाम और गुलमर्ग ले जाने की हिम्मत नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि पथराव बंद हो गया है। पंथराव बंद हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन हाइब्रिड मिलिटेंट की नई चीज किसने बनाई? आपकी सिक्योरिटी फोर्स हमारे दरम्यान बैठी है। सारा सदन सुन लो। आप कह रहे हैं कि हमारे दरम्यान हाइब्रिड मिलिटेंट बैठे हैं। वह क्या है? हाइब्रिड मिलिटेंट वह है, जो अपना काम करता है। अपना स्टॉल है, अपनी दुकान पर बैठा है, अपनी नौकरी पर बैठा है, लेकिन जो हाइब्रिड मिलिटेंट है, उसके जेब में कहीं पर भी कोई हथियार है, जब उसको संदेशा मिलेगा, उसको हिदायत होगी, वह अपना काम करेगा। यही ईदगाह में हुआ। हमारे पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई गई। यही अभी तंगमर्ग में हुआ, एक पुलिस ऑफिसर को शहीद किया गया। जैसे अभी सुप्रिया जी ने जिक्र किया कि कोकरनाग में, जो हमारे साथ वाला इलाका है, कोकरनाग में हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर चले गए और आपका अपना ऐतराफ है कि वह कश्मीर का ही कोई जवान था।

जनाब जो आप बेच रहे हैं इस देश को कि सब नॉर्मल है, नॉर्मल सी नरेटिव बना रहे हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम की बुनियाद पर, कुछ इवेंट की बुनियाद पर, आप कैसे इस देश को गुमराह कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि देश को वही कहें जो सच है।

मैंने सुना था, यहां पर माननीय मंत्री जी ने कहा था कि न कोई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, न कोई रिजर्वेशन, न कोई एससीज के लिए है। उन्हें मालूम नहीं था कि एससीज के जो 70 प्रतिशत लोग थे, उन्हें लैंड टू द टिलर प्रोग्राम के तहत शहर-ए-कश्मीर की ज़मीन फ़राहम की, तो ये एक बात है।

जनाब, दूसरी बात रिजर्वेशन एक्ट की है। आप जम्मू-कश्मीर के लेजिस्लेचर का जो इख्तियार है, वह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसे कानून के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे इस वक्त चैलेंज किया गया है। जो कॉन्स्टीट्यूशनल मोरेलिटी है, जो कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोप्राइटरी है, वह आप पर लाज़िम करती है कि आप सुप्रीम कोर्ट का लिहाज़ करें, सप्रीम कोर्ट का एहताराम करें। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देता, तब तक कोई काम न करें। जहां तक ये रिजर्वेशन एक्ट की बात है।

जनाब, अब ये बताइए कि असेंबली कहीं नहीं है। आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन मैं करूंगा, हम करेंगे। बिल का जो कंटेन्ट है, वह तो अलग बात है, लेकिन आप किस चीज का इस्तेमाल करके ये रिजर्वेशन दे रहे हैं? कहीं पर असेंबली नहीं है। आप कहते हैं कि दो सीट्स रखेंगे, जो हमारे कश्मीरी माइग्रेन्ट्स हैं और एक सीट है, जो पीओके के माइग्रेन्ट्स हैं। जब असेंबली ही नहीं है, तो क्या जल्दी है, क्या उजलत है। And, more so, when we have the parent Act that is kind of being implemented now, is under judicial scrutiny before the topmost court of the country. आप कैसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं? कैसे सुप्रीम कोर्ट को ख़ातिर में नहीं ला रहे हैं? ये होना नहीं चाहिए था और ये होना नहीं चाहिए।

दूसरी बात है कि अब किसको ये इख्तियार दिया जा रहा है। आप खुद देखिए कि किसको इख्तियार दिया जा रहा है। इख्तियार एलजी को दिया जा रहा है। वह नॉमिनेटेड है। क्यों? एलजी जो एक नॉमिनी है, जो प्रेसीडेंट के अपाइंटी हैं, आप कैसे उनको इख्तियार दे रहे हैं? इसकी जो बुनियादी चीज है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। इनके कंटेन्ट पर नहीं, बल्कि इसके तरीकेकार पर जो आप अपनाते जा रहे हैं या अपना रहे हैं। उस पर मेरा एतराज़ है। उस पर मेरा विरोध है। आप उस पर भी जाइए। एलजी को क्यों देंगे? एलजी नॉमिनेट करेगा, किसके कहने पर करेगा। खुद अपनी मर्जी है।

ठाकुर साहब, इशारे कर रहे हैं कि यहां से संदेश आ जाएगा। यहां से संदेश की बात नहीं है, जब आप नॉमिनेट करेंगे, तो नॉमिनेशन में उनका जो रोल होगा, वहां के जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे, जैसा कि आपने वादा किया है, जब लेजिस्लेचर बनेगा, तो वहां की जो सरकार होगी, उसकी रेकमेंडेशन पर होगा, जैसे हर जगह होता है। आप इस बात का भी एहताराम कीजिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बनाया हुआ आईन अभी नाफिजुल-अमल है, जिसके साथ मरहूम गिरधारी लाल डोगरा थे, कृष्ण देव सेठी थे, सरदार बुध सिंह थे, कौशिक बगोला थे। क्या किसी ने मंसूख किया आईन? आप खुद से यह सवाल पूछिए।

क्या पार्लियामेंट को आईन मंसूख करने का हक है, इख्तियार है? नहीं है। जब बात उठेगी, तो उस आईन के तहत भी एक तरीकेकार का सेगमेंट हो, तो हम कैसे उसकी भरपाई करेंगे। उस आईन को न ही हुकूमत का, न ही हमारी जो सदर-ए-जम्हूरिया है, उनका इख्तियार है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के एक्सर्साइज में आईन बनाया गया है। उस आईन में लिखा है कि जम्मू-कश्मीर मुल्क का इंटिग्रल पार्ट होगा, तो आईन किसी ने डिसेबल तो नहीं किया है। वह तो वहीं पर मौजूद है। किसी ने एब्रोगेट तो नहीं किया है। आपका इख्तियार नहीं था, तो कैसे एब्रोगेट करते?

जनाब, जिन वादों पर हमने मुल्क के साथ रिश्ता जोड़ा था, जिन यकीन-ध्यानियों पर हमने जोड़ा था, वह यह था कि आपका एहताराम किया जाएगा, आपकी शिनाख्त का, आपकी क़वानीन का, आपका जो इंटर्नल सिस्टम है, उसका एहताराम किया जाएगा। हमने महात्मा गांधी जी के हिन्दुस्तान के साथ एक रिश्ता जोड़ा था। यहां पर एक सेकुलरिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, ये हमारे समाज का मूल मंत्र होगा। जब आप कहते हैं कि नहीं, आपने जिसको अपनी उपलब्धि कहा, अपनी कामयाबी कहा, वही तो हार है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हमारे नॉर्थ-ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं। वहां पर आपकी पॉलिसी है, वह पर जो अनसर्टेनिटी है, जो विरोध है, वहां की ऑटोनॉमी स्ट्रेन्थन करिए, आप उसका जवाब दीजिए।

होम मिनिस्टर साहब, वहां खुद गए और कहा कि मैं आपके लिए वज़ीर-ए-आजम की तरफ से मणिपुर के लिए उपहार लाया हूं, मैं आपके लिए आईएलपी (इनर लाइन परमिट) लाया हूं। यह क्या

वजह है कि नॉर्थ ईस्ट में जो तशद्दुद है, वहां की जो अनसर्टेनिटी है, वहां की जो इनसर्जेंसी है, उसको एड्रेस करने के लिए वहां की इंटरनल ऑटोनोमी को आप मुस्तहकम कर रहे हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट तब तक नहीं जा सकता हूं, जब तक मुझे परमिट नहीं होगा। अनुराग ठाकुर जी बोडोलैंड या मणिपुर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं और न मैं खरीद सकता हूं, जब तक वहां की इजाजत न हो और न ही हम वहां नौकरी के लिए दरखास्त दे सकते हैं। अगर आप वहां स्ट्रेंथ कर रहे हैं तो क्या वजह है कि आप जम्मू कश्मीर को बहरूनी कर रहे हैं? यह कैसी अप्रोच है और जम्मू कश्मीर में इसको करने की क्या वजह है? क्या आप तनासुब की वजह से कर रहे हैं या किसी और वजह से कर रहे हैं? अगर आप इस पर आमादा हैं कि हम बोडोलैंड में 10 हजार स्क्वायर किलोमीटर देंगे, जहां पर असम के चीफ मिनिस्टर को जमीन खरीदने का हक नहीं है, लेकिन हम जम्मू के निवासियों से जमीन खरीदने का हक क्यों छीन रहे हैं? जम्मू के निवासी, कठुआ, उधमपुर, रियासी वालों से हक क्यों छीन रहे हैं? अगर आप मणिपुर में कह रहे हैं कि जमीन खरीदने के लिए कोई नहीं आएगा तो जम्मू निवासी, पुंछ, राजौरी वाले को क्यों विषम पावर कर रहे हैं, आप क्यों उनकी रोजी-रोटी छीन रहे हैं?

जनाब, आपको इन सारे मामलों की तरफ आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। वहां पर अफसरशाही नहीं चलेगी। अगर अफसरशाही कामयाब होती तो सारे मुल्क में चलाइए। आप पांच रियासतों में अपनी कामयाबी का जश्र क्यों मना रहे हैं? आपका जश्र मनाना सही है, लोगों ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है, लेकिन आप उसको क्यों सेल्फ अडॉप्ट कर रहे हैं? ... (व्यवधान) हमारा ही मामला है। आप कहते हैं कि कश्मीर देश का क्राउन है। जम्मू और कश्मीर में कोई भी इख्तियार नहीं दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं? हम देश के साथ हैं, देश के साथ रहे हैं, देश का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे भी कुछ हुकूक हैं, हमारे जम्मू के नौजवानों के कुछ हुकूक हैं, कश्मीर के नौजवानों के कुछ हुकूक हैं तो आप इस पर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? You are a kind of keen that they should be deprived. आप जम्मू और कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाना चाहते हैं? पांच साल पहले 5 अगस्त, 2019 का वातावरण क्या था? इस सदन के जो ऑनरेबल मੈम्बर्स हैं, उनके लिए एक पैगाम है। वहां इलेक्शन करवाने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। वहां जो भी

आएगा, वह शपथ लेगा, लेकिन आप नहीं करा रहे हैं। आप नॉर्मल सा नेरेटिव बिल्ड अप कर रहे हैं। वह नॉर्मल नेरेटिव की बुनियाद यहां पर है। आप बार-बार कहते हैं और आप एक बड़े लीडर का नाम ले रहे हैं, उनके लिए सबका एहताराम है। मैंने 5 अगस्त को भी उस बड़े लीडर का नाम लिया था, जिस पर राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी उठ खड़े हुए थे।

सर, बात यह है कि क्या वह नाम, क्या वह हस्ती वर्ष 1947 के फैसलों के साथ शामिल नहीं थी? क्या वह अप्रैल, 1952 तक नेहरू काबीना का हिस्सा नहीं थे? नवंबर, 1947 का जो अनुच्छेद 370 के बारे में फैसला था, क्या वह सर्वसम्मति से नहीं हुआ था, इत्तिफाक राय से नहीं हुआ था, कंसेंट से नहीं हुआ था? यहां पर ऑफिसर कमांडिंग का जिक्र किया गया, यह छोटी बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि जो रेगुलर वार हुए हैं, उसमें भी ऑफिसर कमांडिंग कभी नहीं हुआ है, लेकिन यह तो पिछले हफ्ते की बात है। उसमें एक डीएसपी और पुलिस ऑफिसर था। आप फॉरेन इलेक्शन का ऐलान कीजिए और इलेक्शन कराइए तथा सुप्रीम कोर्ट का एहताराम कीजिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है, मुझे लगता है कि यह बॉर्डर्स ऑफ कंटेम्प्ट है। आप उस कानून का यूज कर रहे हैं, जो अंडर ज्यूडिशियल सिक्योरिटी है, जो अंडर क्लाउड है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन आप उस कानून का इस्तेमाल करते हैं।

मुझे लगता है कि तब तक सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। यह हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हमें सुप्रीम कोर्ट पर फख्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाकी दुनिया में रैफर किए जाते हैं, लेकिन आप ही उसका अपमान कर रहे हैं, and it borders on that. एक ऐसा कानून जिसे फार्मल हियरिंग के लिए एडमिट किया गया और हियरिंग कम्प्लीट की गयी। आपके अटॉर्नी जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, सॉलिसिटर जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, उन्होंने दिफा किया, उन्होंने डिफेंड किया कि नहीं जी, होना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, यह बिलकुल गलत है... (व्यवधान) बात यह है कि आप जजमेंट प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। आप टैंशन प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। जब कोई फैसला होगा, तब वह आएगा। Let us assume for a while कि कल फैसला आ जाएगा कि जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट गलत था। यह रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं होना चाहिए था। यह आर्टिकल 3 के

विरुद्ध था, जिसमें कहीं जिक्र नहीं है कि आप स्टेट को प्रेगमेंट कर सकते हैं। यह आर्टिकल 1 के विरुद्ध है, जो कहता है कि India is a Union of States. आपने इंडिया के यूनियन ऑफ स्टेट्स से एक स्टेट की शिनाख्त ही खत्म कर दी। जैसे एक मौहल्ले में दस घर हैं और हर एक घर एक मोहल्ला बनाता है, एक हैबिटेशन बनाता है, इसी तरह से हमारा फ़ैडरल सिस्टम है। हर एक स्टेट को इकट्ठा करके एक फ़ैडरल नेशन बनाया गया है। जब आपने जम्मू-कश्मीर को प्रेगमेंट किया, डिवाइड किया तो ऐसा नहीं है कि हमारी शिनाख्त as member in terms of Article 1, आप तो खुद आईएसएस ऑफिसर रहे हैं और लॉ मिनिस्टर हैं। आप बताइए कि जब आप एक व्यक्ति की, एक कुनबे की, एक फर्द की शिनाख्त ही खत्म कर देते हैं तो क्या वह आर्टिकल 1 के विरुद्ध नहीं है। हमने यही बहस सुप्रीम कोर्ट के सामने की और हमारी बहस सुनी गयी। जनाब, आप जो रास्ता अपना रहे हैं। इससे मामले सुलझेंगे नहीं। हम देश के साथ हैं, हमें देश के साथ रहने दीजिए।

यहां पावर क्राइसिस का जिक्र हुआ। हमारे एनएचपीसी के साथ इतने पावर प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें यह फैसला किया गया था और बूट के तहत एग्रीमेंट किया गया था जिसका मतलब था BOOT, Build-Own-Operate-Transfer. You build and operate for some time, say, 25 years. You collect the money, collect the revenue, and then give it back to the State. आप उसको भी नहीं मानेंगे। दूसरों के अहंकार की बात आ रही है, लेकिन यहां अहंकार कम रहा है, कहीं और ज्यादा रहा है। लेकिन बात यह है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, यह कैसी अप्रोच है? यह कैसा एटिट्यूड है। जब हम यहां नार्मल्सी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सात जुम्मा से श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गयी है। जबकि आप कह रहे हैं कि छोड़ दिया है। It is self-sufficient. आप अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता है, ठीक हो सकता है और हम देश के साथ हैं। In a sea of democracy, how can you have an island of uncertainty? यह हम से ताल्लुक रखता है और मेरी गुजारिश है कि थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमें कहने का हक है और इस हाउस में अपनी पीड़ा नहीं कहूंगा तो और कहां कहूंगा। आप इलेक्शन की बात कीजिए, हेल्थकेयर की बात कीजिए तो मैं पावर

का क्राइसिस सिस्टम में है। चंद कल्चरल प्रोग्राम्स से नार्मल्सी नहीं आती है। You cannot build normalcy narrative by just depending on a few cultural events. यह मेरा देश है, यह मेरा गांव है, यह मेरा टाउन है, यह रोज बनाइए और और रोज रखिए, तो यह कैसे होगा? मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तब तक इंसिस्ट मत कीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। जो भी होगा, उसके बाद दूसरा पड़ाव होगा, कोई दूसरा तरीका होगा। कंटेंट पर नहीं, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि हर एक को अख्तियार मिले, हर एक को बाअख्तियार बनाया जाए, जो अभी तक अंडर प्रिवेलेज हैं, जो at the end of the que हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन यह तरीका असंवैधानिक है, अनकांस्टिट्यूशनल है और कांस्टिट्यूशनल तरीके से इसे किया जाए।

[جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): شکر یہ صاحب. آج بابائے قوم شیر کشمیر شیخ عبداللہ کا یوم پیدائش ہے۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کو خراج عقیدت پیش کروں۔

جناب یہ سرداری عوام کا حق ہے کہ وہ ہندو مسلم، سکھ اتحاد، Land to the Tiller جیسے نعرے ان کے ہیں، کیونکہ آج ہم جس بات پر بحث کر رہے ہیں وہ بے اختیار طبقے سے ہیں، ان کو با اختیار بنانے کی بات جو ہم کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور یاد رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے جموں و کشمیر کے لیے سماجی انصاف کے پروگرام کو چلانے کے لیے جو کام کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جناب، پہلے میں جموں و کشمیر ریزرویشن ترمیمی ایکٹ کی طرف آؤنگا۔ یہ ایکٹ براہ راست 5 اگست 2019 کے فیصلوں کو لیتا ہے۔ 5 اگست، 2019 کے فیصلوں کی مارکیٹنگ کی گئی۔ ایک کے بعد ایک وزیر بولے، لیڈر نے کہا کہ وہاں کچھ نہیں، ریزرویشن نہیں ہے۔ وہاں ہر کوئی پسماندہ تھا، ایس۔سی۔ کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ یہ ایکٹ سال 2003 کا ہے۔ آج آپ جس ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں وہ سال 2003 کا ہے۔ تمام ریزرویشن سال 2003 میں دیا گیا تھا۔ آج آپ

اس کی صرف ترمیم کر رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے۔ 2019 کے فیصلے میں جو مارکیٹنگ کی گئی وہ سب غلط تھی۔ ایک کے بعد ایک وزیر نے جو یہاں کہا کہ وہاں کچھ نہیں تھا، ترقی نہیں ہوئی، سراسر دھوکہ تھا، جھوٹ تھا۔ ملک کو گمراہ کیا گیا۔ اس سے آج اس کی تائید ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جموں و کشمیر کا جو لیجسلیچر ہے، اس کے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ قانون جموں و کشمیر کی لیجسلیچر کا بنایا ہوا ہے۔ اس کی ترمیم تو وہی کرے گا نا؟ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور کس اختیار کے تحت کر رہے ہیں؟ جناب ہم یہ ہم ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت کر رہے ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے، اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ ترمیم یہاں کریں گے۔

جناب، میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ جو ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے، اس کو سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کیا گیا، ہم نے تمام بحث کیں، آپ نے بھی اپنی وہاں بحث کیں، آپ کے جو اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے بھی بحث کی، جو سالیسٹر جنرل تھے انہوں نے بھی بحث کی، ہم نے اپنا پورا موقف رکھا کہ کیسے ری آرگنائزیشن ایکٹ آئین کے مُنافی اور آئین کے خلاف

بنایا گیا، کیسے آئین کو روندتے ہوئے بنایا گیا۔ اگر وہاں پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تو کیا آپ کو یہ شوبھا دیتا ہے کہ آپ وہی قانون استعمال کریں، جو جیوڈیشل اسکروٹنی میں ہے اور جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے محفوظ کر رکھا ہے، سارے دلائل سن کر ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ کو آرٹیکل-3 اور آرٹیکل-1 کے تحت اسٹیٹ کے دو حصے کرنے کا، فریگمینٹ کرنے کا اور یوٹیز۔ میں ڈیوانڈ کرنے کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں اور یہ آپ نے آئین کو روندھ کر کیا ہے۔ (مداخلت)۔

جناب، اگر معاملہ ٹاپ آئینی کورٹ کے پاس ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سب اس کا انتظار کرتے۔ میں کنٹینٹ پر نہیں ہوں، میں طریقہ کار پر ہوں۔ یہ نہیں کہ ہمارا جو حصہ ہے سیگمینٹ ہے، اس کو با اختیار نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے پہلے بابائے قوم کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کیسے سوشل جسٹس فرنٹ تک 34 لاکھ کنال زمین ٹرانسفر کی اور اس میں 70 فیصد ڈاکٹر جیتیندر سنگھ جی میری تائید کریں گے۔ جموں میں ایس۔سیز۔ کو گیا۔ ایک مول منتر ہے کہ ہمارا یقین آئین پر ہے، آئین کو روندنا جا رہا ہے۔ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ انتظار کیجیے۔ سپریم کورٹ فیصلہ دیگا۔ کچھ دنوں کا انتظار ہوگا۔ وہاں سے فیصلہ آجاتا، اس کے بعد کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک پہلی بات۔

دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ اسمبلی ہے ہی نہیں یہاں پر وعدہ کیا گیا تھا کہ اسٹیٹ کوری اسٹور کیا جائے گا۔ ہم 6 سال سے انتظار کر رہے ہیں، 10 سال سے کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے، آپ خود سے اس کا جواب پوچھئیے۔ آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ آئینی آبلیگیشن ہے، پوزیٹیوٹی کے لئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے جو یہاں پر جو وعدے کئے تھے ان پر عمل نہیں کر

رہے ہیں سب کو ان کا حق ملنا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن، براہ کرم ہمیں بتائیں کہ آپ کس اختیار کا استعمال کر رہے ہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا یہ تو کیا بات ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں۔ دس سال بعد بھی آپ وہاں الیکشن کرانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے یو۔ ایل۔ بییز۔ کے انتخابات بھی نہیں کروائے۔ آپ نے پنچایت بھی ختم کر دی۔ جب ہمارے وزیراعظم پیرس میں کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل

کی کیا اہمیت ہے ، جب اس کی سب سے بڑی جمہوریت اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہمارے ملک کے ساتھ ہے۔ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہتے ہیں کہ انڈیا مدر آف ڈیموکریسی ہے ، جب اس کے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو دس سال سے کوئی حقوق نہیں ملے۔ (مداخلت)۔

آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا ہے (مداخلت)۔ ہمیں بات کرنے دیجیئے ، یہ جموں و کشمیر کا معاملہ ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو باہر سے G-20 میں آنے والے لوگوں کو داچی گام، گلمرگ کیوں نہیں لے جایا جا سکا؟ آپ سفیر کو لے آئے ، لیکن اسے داچی گام اور گلمرگ لے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھراؤ بند ہو گیا ہے۔ چلئے ٹھیک ہے لیکن Hybrid Militant کی نئی چیز کس نے بنائی؟ آپ کی سیکورٹی فورس ہمارے درمیان بیٹھی ہے۔ پورا ایوان سن لے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ہائبرڈ ملیٹینٹ بیٹھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہائبرڈ ملیٹینٹ وہ ہے جو اپنا کام کرتا ہے۔ اس کا اپنا اسٹال ہے ، اپنی دکان پر بیٹھا ہے ، اپنے کام پر بیٹھا ہے ، لیکن جو ہائبرڈ ملیٹینٹ ہے اس کی جیب میں کہیں پر بھی کوئی ہتھیار ہے ، جب اسے پیغام ملے گا، اسے ہدایت ہو گی، وہ اپنا کام کرے گا۔ یہ واقعہ عیدگاہ میں پیش آیا۔ ہمارے پولیس افسر کو گولی چلائی گئی۔ حال ہی میں تنگمرگ میں بھی ایسا ہی ہوا، ایک پولیس افسر کو شہید کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے ابھی سپریا جی نے ذکر کیا کہ کوکرناگ میں، جو ہمارے ساتھ والا علاقہ ہے ، کوکر ناگ میں ہمارے ایک کمانڈنگ آفیسر چلے گئے اور آپ کے اعتراف کے مطابق وہ کشمیر کا ہی کوئی جوان تھا تھا۔

جناب جو آپ بیچ رہے ہیں اس ملک کو کہ سب کچھ نارمل ہے ، آپ ایک نارملسی نیریٹیو بنا رہے ہیں، کچھ ثقافتی پروگراموں، کچھ تقریبات کی

بنیاد پر، آپ اس ملک کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو وہی بتائیں جو سچ ہے۔

میں نے سنا تھا کہ یہاں پر عزت مآب وزیر نے کہا تھا کہ یہاں نہ تو جووینائل جسٹس ایکٹ ہے، نہ کوئی ریزرویشن ہے اور نہ ہی ایس سی کے لیے کوئی ہے۔

انہیں معلوم تھا کہ ایس سی سے تعلق رکھنے والے 70 فیصد لوگ تھے ان کو لینڈ ٹو دی ٹلر پروگرام کے تحت شہر کشمیر کی زمین دی گئی تھی، تو یہ ایک بات ہے۔

جناب، دوسری بات ریزرویشن ایکٹ کی ہے۔ آپ جموں و کشمیر کی

کا

لیجسلیچر

جو اختیار ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ایسے قانون کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے جسے فی الحال چیلنج کیا جا رہا ہے۔ جو آئینی مورلیٹی ہے، جو آئینی ملکیت ہے، وہ آپ پر لازم کرتی ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کا احترام کریں،۔ جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دیتا تب تک کوئی کام نہ کریں۔ جہاں تک اس ریزرویشن ایکٹ کا تعلق ہے۔

جناب اب بتائیں کہ اسمبلی کہیں نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ریزرویشن کروں گا، ہم کریں گے۔ بل کا کنٹینٹ ہے وہ الگ بات ہے لیکن آپ یہ ریزرویشن کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں؟ کہیں اسمبلی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دو سیٹس رکھیں گے جو ہمارے کشمیری مانگریٹس ہیں اور ایک سیٹ ہے جو پی او کے مانگریٹس ہیں۔ جب اسمبلی ہی نہیں تو کس بات کی جلدی ہے۔

And, more so, when we have the parent Act that is kind of being implemented now, is under judicial scrutiny before the topmost court of the country. آپ سپریم کورٹ کی توہین کیسے کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو کیسے زیر غور نہیں لایا جا رہا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اب کس کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اختیار کس کو دیا جا رہا ہے۔ اختیار ایل۔جی۔ کو دیا جا رہا ہے۔ وہ نامزد ہے۔ کیوں؟ ایل جی، جو ایک نومینی ہے، جو صدر کا تقرر کردہ ہے، آپ اسے کیسے اختیارات دے رہے ہیں؟ اس کی جو بنیادی چیز ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ اس کے مواد پر نہیں بلکہ اس کے طریقہ کار پر جسے آپ اپنانے جا رہے ہیں یا اختیار کر رہے ہیں۔ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ آپ اس طرف بھی

جائیں۔ آپ اسے LG کو کیوں دیں گے؟ ایل جی نامزد کرے گا، کس کے مشورے پر کرے گا؟ خود اپنی مرضی ہے۔

ٹھاکر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے پیغام آئے گا۔ یہاں سے پیغام کی بات نہیں ہے کہ جب آپ نامزد کریں گے، نامزدگی میں وہ کیا کردار ادا کریں گے، وہاں کا منتخب وزیر اعلیٰ ہوں گے، جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، جب لیجسلیچ بنے گا تو وہاں کی جو سرکار ہوگی اس کی سفارش پر ہوگا، جیسا کہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ کو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ ہماری آئین ساز اسمبلی کا بنایا ہوا آئین ابھی تک *نافض العمل* ہے، جس کے ساتھ آنجہانی گردھاری لال ڈوگرا، کرشن دیو سیٹھی، سردار بدھ سنگھ، اور کوشک بگولا

بھی تھے۔ کیا کسی نے منسوخ کیا آئین؟ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں۔
 کیا پارلیمنٹ کو اس ایکٹ کو منسوخ کرنے کا حق اور اختیار حاصل ہے؟ نہیں ہے جب بات اٹھے گی تو اس آئین کے تحت بھی ایک طریقہ کار کا سیگمنٹ ہو، تو ہم اس کی تلافی کیسے کریں گے۔ اس آئین کو نہ ہی حکومت کا اور نہ ہی ہمارے جو صدر جمہوریہ ہیں اس کا اختیار ہے، یہ ایک آئینی طاقت ہے۔ آئینی پاور کے ایکسٹریٹس میں آئین بنایا ہے اس آئین میں لکھا ہے کہ جموں و کشمیر ملک کا اٹوٹ حصہ ہے تو آئین کسی نے ڈس ایبل تو نہیں کیا، وہ تو وہیں پر موجود ہے۔ اسے کسی نے منسوخ نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آپ منسوخ کیسے کرتے؟

جناب ہم نے جن وعدوں کی بنیاد پر ملک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا تھا، جن یقین دہانیوں پر ہم نے اپنا رشتہ قائم کیا تھا، وہ یہ تھے کہ آپ کی عزت کی جائے گی، آپ کی شناخت کا، آپ کے قوانین کا، آپ کے اندرونی نظام کا احترام کیا جائے گا۔ ہم نے مہاتما گاندھی جی کے ہندوستان کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا تھا۔ یہاں پر ایک سیکولرزم ہوگا، سوشلزم ہوگا، یہ ہمارے سماج کا بنیادی منتر ہوگا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جسے آپ نے اپنی کامیابی کہا، وہی تو ہمارے۔ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ ہمارے شمال مشرق میں 7 ریاستیں ہیں۔ وہاں آپ کی پالیسی ہے، وہاں پر جو بھی غیر یقینی صورتحال ہے، جو بھی مخالفت ہے، وہاں خود مختاری کو مضبوط کیجیئے، آپ اس کا جواب دیں۔

وزیر داخلہ صاحب خود وہاں گئے اور کہا کہ میں وزیر اعظم کی طرف سے منی پور کے لیے تحفہ لایا ہوں، میں آپ کے لیے ILP (انٹر لائن پرمٹ) لایا ہوں۔ کہ شمال مشرق میں جو تشدد ہے، وہاں کی غیر یقینی صورتحال ہے،

وہاں کی جو انسرجینسی ہے اس کو ایڈریس کرنے لئے وہاں کی انٹرنل خودمختاری کو آپ مستحکم کر رہے ہیں۔ میں شمال مشرق تک نہیں جا سکتا جب تک کہ میرے پاس اجازت نہ ہو۔ انوراگ ٹھاکر جی بوڈولینڈ یا منی پور میں زمین نہیں خرید سکتے، نہ ہی میں، جب تک وہاں کی اجازت نہ ہو، اور نہ ہی ہم وہاں نوکری کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں مضبوطی کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ جموں و کشمیر کو بیرونی بنا رہے ہیں؟ یہ کیسا طریقہ ہے اور جموں و کشمیر میں اس کو روکنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ تناسب کی وجہ سے کر رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے؟ اگر آپ اس بات پر بضد ہیں کہ ہم بوڈولینڈ میں 10 ہزار مربع کلومیٹر

دیں گے، جہاں آسام کے وزیر اعلیٰ کو زمین خریدنے کا حق نہیں ہے، تو پھر ہم جموں کے باشندوں سے زمین خریدنے کا حق کیوں چھین رہے ہیں؟ جموں، کٹھوعہ، ادھم پور اور ریاسی کے باشندوں سے ان کے حقوق کیوں چھین رہے ہیں؟ اگر آپ منی پور میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی زمین خریدنے نہیں آئے گا، تو آپ جموں، پونچھ، راجوری کے باشندوں کو کیوں وشم پاور کر رہے ہیں، ان کی روزی روٹی کیوں چھین رہے ہیں؟

جناب آپ کو ان تمام معاملات پر توجہ دینا ہوگی۔ وہاں بیوروکریسی نہیں چلے گی۔ اگر بیوروکریسی کامیاب ہوتی تو پورے ملک میں چلائیے۔ آپ پانچ ریاستوں میں اپنی کامیابی کا جشن کیوں منا رہے ہیں؟ آپ کا جشن منانے میں حق بجانب ہیں، لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، لیکن آپ اسے خود کیوں سیلف اڈوپٹ کر رہے ہیں؟ (مداخلت)۔۔۔

یہ صرف ہمارا معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کشمیر ملک کا تاج ہے۔ جموں و کشمیر میں کوئی اختیار نہیں دیا جا رہا ہے، جموں و کشمیر میں نوکریاں کیوں نہیں دی جا رہی ہیں؟ ہم ملک کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ رہے ہیں، ملک کا حصہ ہیں، لیکن ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں، ہمارے جموں کے نوجوانوں کے کچھ حقوق ہیں، کشمیر کے نوجوانوں کے کچھ حقوق ہیں، تو آپ اس پر

انسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ You are a kind of keen that they should be deprived اگر آپ جموں و کشمیر کو تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں تو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ پانچ سال پہلے 5 اگست 2019 کو کیا ماحول تھا؟ اس ایوان کے جو معزز اراکین ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں الیکشن کرائیں۔ وہاں جو بھی آئے گا وہ حلف اٹھائے گا لیکن آپ نہیں

کرا رہے ہیں۔ آپ ایک عام سا نیریٹیو بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ وہ نارمل نیریٹیو کی بنیاد یہاں پر ہے۔ آپ بار بار یہ کہتے ہیں اور آپ ایک بڑے لیڈر کا نام لے رہے ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ 5 اگست کو بھی میں نے اس بڑے لیڈر کا نام لیا تھا جس پر راج ناتھ سنگھ جی، امت شاہ جی اور پارلیمانی امور کے وزیر بھی کھڑے ہو گئے تھے۔

جناب، بات یہ ہے کہ کیا وہ نام، کیا وہ شخصیت 1947 کے فیصلوں میں شامل نہیں تھی؟ کیا وہ اپریل 1952 تک نہرو کابینہ کا حصہ نہیں تھے؟ نومبر 1947 کے آرٹیکل 370 کے حوالے سے جو فیصلہ تھا کیا اتفاق رائے سے نہیں لیا گیا، کیا رضامندی سے

نہیں لیا گیا؟ یہاں آفیسر کمانڈنگ کا ذکر ہوا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں ان میں بھی کبھی کوئی آفیسر کمانڈنگ نہیں ہوا لیکن یہ تو پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ اس میں ایک ڈی ایس پی اور ایک پولیس افسر تھا۔ آپ فوراً انتخابات کا اعلان کیجیے اور الیکشن کروائیے، اور سپریم کورٹ کا احترام کیجیے۔ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا، میرے خیال میں یہ بارڈر آف کنٹریمنٹ ہے۔ آپ اس قانون کو استعمال کر رہے ہیں جو انڈر جیوڈیشل سیکیورٹی ہے، جو انڈر کلاؤڈ ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی آنا ہے لیکن آپ اس قانون کو استعمال کرتے ہیں۔

میرے خیال میں تب تک یہ سپریم کورٹ کی توہین ہے۔ یہ ہماری سپریم کورٹ ہے اور ہمیں سپریم کورٹ پر فخر ہے۔ ہماری سپریم کورٹ کے فیصلے باقی دنیا کو ریفر کئے جاتے ہیں، لیکن آپ ہی اس کی توہین کر رہے ہیں، and it borders on that. ایک ایسا قانون جسے فارمل ہیرینگ کے لیے داخل کیا گیا اور ہیرینگ مکمل کی گئی۔ آپ کے اٹارنی جنرل نے اپنے دستاویزات پیش کیے، سالیسٹر جنرل نے اپنے دستاویزات پیش کیے، انہوں نے دفاع کیا، انہوں نے دفاع کیا یا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔... (مداخلت) بات یہ ہے کہ آپ ججمنٹ پری ایمٹ کر رہے ہیں۔ آپ ٹینشن پری ایمٹ کر رہے ہیں۔ جب کوئی فیصلہ ہو گا تو آئے گا۔ Let us assume for a while کہ کل فیصلہ آجائے گا کہ جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ غلط تھا۔ یہ ری آرگنائزیشن ایکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ آرٹیکل 3 کے خلاف تھا، جس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ آپ ریاست کو فریگمینٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آرٹیکل 1 کے خلاف ہے، جو کہتا ہے۔ India is a Union of States. آپ نے انڈیا کے

یونین آف اسٹیٹس سے ایک ریاست کی شناخت ہی ختم کر دی۔ جس طرح ایک محلے میں دس گھر ہوتے ہیں اور ہر گھر ایک محلہ بناتا ہے، ایک مسکن بناتا ہے، اسی طرح ہمارا فیڈرم سسٹم ہے۔ ہر ریاست کو ایک اکٹھا کر کے ایک فیڈرل نیشن بنایا گیا۔ جب آپ نے جموں و کشمیر کو فریگمینٹ کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری شناخت 1 as member in terms of Article آپ تو خود آئی اے ایس آفیسر رہے ہیں اور وزیر قانون ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کسی فرد، قبیلے،

گروہ کی شناخت کو ختم کرتے ہیں تو کیا یہ آرٹیکل 1 کے خلاف نہیں ہے؟ ہم نے یہ دلیل سپریم کورٹ کے سامنے دی اور ہماری دلیل سنی گئی۔ جناب آپ جو راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ہم ملک کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ ہیں۔

یہاں بجلی کے بحران کا ذکر کیا گیا۔ ہمارے پاس این ایچ پی سی کے ساتھ بہت سارے پاور پروجیکٹ تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور بوٹ کے تحت معاہدہ کیا گیا جس کا مطلب تھا - BOOT, Build-Own-Operate- Transfer. You build and operate for some time, say, 25 years. You collect the money, collect the revenue, and then give it back to the State آپ اسے بھی قبول نہیں کریں گے۔ دوسروں کی انا کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں انا کم اور کہیں زیادہ رہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، یہ کیسا طریقہ ہے؟ یہ کیسا رویہ ہے؟ یوں تو ہم یہاں معمول کے حالات کا ذکر کر رہے ہیں لیکن سری نگر کی جامع مسجد میں سات جمعے سے نماز نہیں پڑھی گئی۔ جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیا ہے It is self sufficient۔ آپ خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور ملک کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور ہم ملک کے ساتھ ہیں۔ In a sea of democracy, how can you have an island of uncertainty یہ ہم سے تعلق رکھتا ہے اور میری درخواست ہے کہ اس میں کچھ فلیکسی بلٹی ہونی چاہیے۔ ہمیں بولنے کا حق ہے اور میں اس ایوان میں اپنے درد کا اظہار نہیں کروں گا تو اور کہاں اظہار کروں گا۔ آپ الیکشن کی بات کیجیے، ہیلتھ کیئر کی بات کیجیے تومین پاور کا کرائسس سسٹم میں ہے چند ثقافتی پروگراموں سے نارملسی نہیں آتی ہے - You cannot build normalcy

یہ میرا ملک ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ روز بنائے اور اور روز رکھئیے تو یہ کیسے ہوگا؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک اصرار نہ کریں۔ کچھ بھی ہو جائے، اس کے بعد کوئی اور پڑاؤ ہو گا، کوئی اور راستہ ہو گا۔ کنٹینٹ پر نہیں، لیکن ہر ایک کو باختیار بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے، ہر اس شخص کو باختیار بنانے کے لیے جو ابھی تک انڈر پریویلیج ہیں جو at the end of the que ہیں انہیں بھی ریزرویشن دیا جائے۔

لیکن یہ طریقہ

غیر آئینی ہے اور اسے آئینی طریقے سے کیا جانا چاہیے۔

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर):
सभापति जी, मैं बीच में रोकना नहीं चाहता था, लेकिन चुनाव की एक बात कही गई है। यह कहा गया कि धारा 370 और 35ए हटाने के बाद क्या हुआ? मैं ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस कह सकता हूँ कि जो 70 सालों तक ये लोग नहीं कर पाए, वह काम हमारी सरकार ने किया है। जब अनुच्छेद 370 तथा 35ए को हटाया गया और जब कोविड का समय था, उस समय भी जम्मू कश्मीर में अगर डीडीसी के चुनाव किसी ने करवाए तो वह माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता थी और वहां सफल चुनाव हुए।

अगर हम पंचायती राज के नुमाइंदों की बात करें तो वे न केवल चुने गए, बल्कि माननीय प्रधान मंत्री जी उनसे स्वयं जाकर भी मिले और यह सुनिश्चित भी किया कि कश्मीर के गांव-गांव तक विकास भी कैसे हो। यही नहीं, यहां पर कहा गया कि इस परिवार का या उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी को कम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये महाराजा हरिसिंह का ही नाम भूल गए, जिन्होंने विलय पर साइन किया था। क्या उनका उसमें कोई योगदान नहीं होगा? सरदार पटेल जी, जिन्होंने भारत की 553 रियासतों को जोड़ा था, अगर मजबूत भारत की नींव किसी ने रखी थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखी थी। नेहरू जी की गलतियों के कारण जो कमियां रह गईं, उनको सुधारने का काम 5 अगस्त तथा 6 अगस्त को यहां पर देश की संसद में किया गया और नरेन्द्र मोदी जी अध्यक्षता में किया गया।

आपने ठीक कहा कि किसी भी फौजी की या पुलिस की शहादत पर हम सबको उतना ही दुख होता है, जितना आपको होता है, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि 75 सालों में से 60 सालों से ज्यादा आप सत्ता में रहे तथा 45 हजार लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई, जिसमें हजारों सैनिकों की भी शहादत हुई, तब तो आपमें से कोई नहीं बोला। आप 10 सालों तक उस सरकार का हिस्सा रहे और हमारे फौजी भाई बुलेटप्रूफ जैकेट मांगते रहे, लेकिन आप 10

सालों तक उसकी खरीद नहीं कर पाए, शायद कमीशन को ढूँढ रहे होंगे। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जिसने मेक इन इंडिया ही सही, दो लाख बुलेटप्रूफ जैकेट्स देने का काम किया है।

यहां पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कोई प्रतिबद्धता है? क्या हम लोग यहां पर कानून पास नहीं कर सकते हैं? जिसको आपने हक नहीं दिलाया, उसको भी हक दिलाने का काम आज नरेन्द्र मोदी जी सरकार यहां पर कर रही है।

मैं अंत में केवल इतना ही कहूंगा कि आप जिन परिवारों की बात कर रहे हैं, अगर आप पिछले दो-चार सालों के पेपर पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि कुछ बड़े-बड़े परिवारों को जो किसी भी राजनीतिक घरानों से हों, उनको वे जमीनें दे दी गई थीं। हमारी सरकार के आने के बाद वे सरकारी जमीनें अब वापस सरकार को दिलाई गई हैं, लेकिन गरीबों से उनके हक नहीं छीने गए। यह हमारी सरकार ने किया।

मैं अपनी अंतिम बात को कहकर अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ। आपने सुषमा जी और अरुण जेटली जी को याद किया है। मैं इतना ही कहूंगा कि जब अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने का काम हुआ तो मुझे आज भी याद है कि सुषमा जी ने प्रधान मंत्री जी को और अमित भाई को बधाई दी थी। वे काफी उत्सुक थीं। मैं तो उसका साक्षी हूँ। उन्होंने फोन किया, उसके बाद मैं एम्स अस्पताल भी गया। सुषमा जी ने अंतिम समय में भी यह बात कही कि जो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने उस युवा अवस्था में अपना मंत्री पद त्यागकर यह कहा था कि एक देश में दो संविधान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चल सकते, आज हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम किया है।

मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि वही सुषमा जी और वही अरुण जेटली जी, ये राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष थे और लोक सभा के भी थे। वे लाल चौक पर 26 जनवरी को तिरंगा झंडा पर फहराने की बात करते थे, तब उस समय वहां पर किसकी सरकार थी? तब 25 जनवरी को उनको जेल में डाल दिया गया था? उनका अपराध केवल इतना था कि वे जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने की बात करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह सत्य से परे है। अगर वहां पर

मजबूती आई है और विकास हुआ है तो पिछले चार वर्षों में हुआ है और बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

धन्यवाद।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दो बिलों पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरे जम्मू कश्मीरवासियों और साथ ही साथ पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023, इन दोनों के माध्यम से संशोधन करके जम्मू-कश्मीर में एसटी कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, वुमेन, कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित, विस्थापित परिवार, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स, उन सभी को एम्पावर करने के लिए यहां पर जो बिल्स लाए गए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ।

इन बिल्स से पहले जम्मू-कश्मीर में विधान सभा का इलेक्शन होता था। उसमें टोटल 87 एमएलएज चुने जाते थे। इनके अलावा 24 सीट्स, पीओके जो भारत का अभिन्न हिस्सा था और यह अभिन्न हिस्सा रहेगा, उसके लिए रिजर्व रखी जाती थीं। दुर्भाग्य की बात यह थी कि 24 सीट्स रिजर्व के नाम पर खाली रखी जाती थीं। अपने इस देश में जो लोग वंचित थे, जो लोग डेप्राइव्ड थे, उन्होंने यह मांग की। लद्दाख में भी ऐसे क्षेत्र हैं, जो 1971 के युद्ध के बाद आजाद हो कर भारत के साथ फिर से जुड़े। ऐसे गांव तुरतुक, त्याक्षी, थांग, गेरी और चुलुंगखा हैं। मुझे याद है कि हम बार-बार यह मांग करते थे कि वहां से जो इस तरफ आए हैं, ऐसे गांव, विस्थापित लोग, जो जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में रहते हैं, जो लोग वंचित हैं, उनके लिए रिजर्व सीट्स से एक-दो सीट्स निकाली जाए। लेकिन यह सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। सबको अपनी-अपनी कुर्सी मिल चुकी थी।

आज पहली बार माननीय प्रधान मंत्री जी एक बार फिर से यह गारंटी दे रहे हैं कि हमारे देश के जितने भी नागरिक गरीब हैं, वंचित हैं, जिनकी आवाज नहीं सुनी गई, उसे प्रधान मंत्री जी सुन

कर सीट्स रिजर्व कर रहे हैं। एससी के लिए पहले छः सीट्स रिजर्व थीं, उन्हें बढ़ा कर सात सीट्स की जा रही हैं। एसटी के लिए पहले शून्य सीट्स, बिल्कुल ही एमएलए सीट्स रिजर्व नहीं थी, हालांकि वहां बहुत अच्छी संख्या में एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन जिन्होंने शासन चलाया, उन्होंने उनको हक-हुकूम और रिजर्वेशन नहीं दिया। आज प्रधान मंत्री जी इस बिल के माध्यम से एसटी कम्युनिटी के लिए एमएलए की नौ सीट्स रिजर्व कर रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे देश के एसटी कम्युनिटी की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं भी एसटी कम्युनिटी से आता हूं। इसी के साथ-साथ कश्मीरी माइग्रेंट्स और विस्थापित लोगों के लिए दो सीट्स रिजर्व किए जा रहे हैं। इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि प्रधान मंत्री जी द्वारा कोई भी पॉइंट बाहर न छूटे, इस बात को सुनिश्चित करते हुए, इसमें भी वुमेन को रिजर्वेशन की गारंटी दे रहे हैं। मैं इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देश की नारी शक्ति प्रधान मंत्री जी के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करती रहेगी। उन्होंने इसी नए संसद भवन में वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित करके पूरे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। इसी के साथ आज वे लगे हाथों जम्मू-कश्मीर के विधान सभा में भी कश्मीरी माइग्रेंट्स और विस्थापित लोगों में वुमेन रिजर्वेशन को एनश्योर कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ इस रिजर्वेशन बिल को अमेंड करके, चाहे वे सरकारी नौकरी हो या प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, हमारे बच्चों को रिजर्वेशन देकर प्रधान मंत्री जी एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर के युवा पीढ़ी को इस बिल के माध्यम से एम्पावर कर रहे हैं।

मैं इस बिल पर हो रही चर्चा को सुन रहा था। बहुत लोगों ने यह पूछा कि वहां पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? शायद, वे असेम्बली इलेक्शन के बारे में पूछ रहे होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां बिल्कुल ही इलेक्शन नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने मुझे साउथ कश्मीर में जनसंपर्क अभियान चलाने की जिम्मेवारी दी। मुझे साउथ कश्मीर के चार जिलों में जाने का मौका मिला। साउथ कश्मीर सबसे अधिक मिलिटेंट अफेक्टेड एरिया माना जाता है। वहां जाने के बाद, मुझे वहां दो-तीन रात रुकने का भी मौका मिला। मुझे वहां पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा दुकानदारों से, डिस्ट्रिक्ट लेवल के एम्प्लॉइज से और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से मिलने

का मौका मिला। मैंने वहां लोगों से पूछा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद, वर्ष 2019 में 5-6 अगस्त के डिसिजन के बाद जम्मू कश्मीर और खासकर साउथ कश्मीर के एरियाज में क्या चेंजेज आएंगे? लोग क्या महसूस कर रहे हैं? मैंने यह भी पूछा कि यहां पर असेम्बली इलैक्शन जल्दी होना चाहिए या देर से होना चाहिए? वहां के लोगों ने बोला कि हमें इलैक्शन की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आम नागरिक वहां दुकान चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, रेहड़ी चलाते हैं, नौकरी करते हैं। आम लोग चाहते हैं कि अभी का जो शासन है, चाहे सरकारी स्कीम्स हो, डिलिवरी सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें करप्शन खत्म करने का काम किया है। 5-6 अगस्त के बाद मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर में सबसे बेमिसाल काम किया है। इसलिए वहां के आम नागरिक बता रहे हैं कि उनको असेम्बली के इलैक्शन की कोई जल्दी नहीं है। हम समझते हैं कि जिन लोगों को अभी कुर्सी नहीं मिली है, वे थोड़ा चिल्लाएंगे। लेकिन कुर्सी मिलने के बाद क्या करेंगे? हम भी तो जम्मू-कश्मीर के रहने वाले थे। हमने भी तो जम्मू-कश्मीर की सरकार को झेला। वहां चाहे डिस्ट्रिक्ट कैंडर का एम्प्लॉयमेंट लेना हो या किसी मुलाजिम का ट्रांसफर करना हो या किसी को आवास योजना में घर दिलाना हो, मैं सदन में बता सकता हूं कि करप्शन के अलावा कोई काम होता ही नहीं था। सेक्रेटेरियट में जम्मू-कश्मीर के किसी मंत्री जी से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए भी हमें करप्शन देना पड़ता था। जम्मू-कश्मीर की हुकूमत में यह दौर था, लेकिन आज प्रधान मंत्री मोदी जी ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में जो मेकेनिज्म, चाहे वह इनवेस्टमेंट की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, पीस मेन्टेन करने की बात हो, सिक्योरिटी की दृष्टि से हो, टूरिज्म की दृष्टि से हो, हर सेक्टर में एक बेमिसाल काम किया है। यह केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, साउथ कश्मीर के रहने वाले लोग चिल्ला-चिल्ला कर हमें बताते हैं।

मैं इस बात से हैरान हूं कि जब मैं साउथ कश्मीर गया तो कश्मीर जाने से पहले एक डर होता था और खासकर साउथ कश्मीर के इलाकों में जाने से पहले, पता नहीं मन में एक वहम सा छा जाता था कि जिन्दा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। लेकिन उस दिन मैंने वहां देखा, आज यह बयान वहां साउथ कश्मीर वाले भी सुन रहे होंगे और वे लोग भी इस बात को एन्डोर्स करेंगे कि पहले जिस

जगह पर गोला-बारूद, बंदूक की जो शूटिंग चलती थी, आज वहां पर मूवी, फिल्म की शूटिंग चल रही है। वहां पर पहले महीना-महीना, साल-साल कर्फ्यू चलते थे, दफा 144 लगाकर बंद रखते थे, आज वही दुकानदार बोल रहे हैं कि पिछले एक-डेढ़ साल से उनकी दुकान को एक दिन या एक रात के लिए भी बंद करना नहीं पड़ा है, बल्कि रात के 11 बजे तक वहां की दुकानें खुली रहती हैं। जो स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल कॉलेजेज महीने-महीने बंद रहते थे, आज वहां के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वहां के स्कूल्स एक दिन के लिए भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। कश्मीर के छोटे-छोटे बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, कोई तालीम से महरूम नहीं रहते हैं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है।

जम्मू-कश्मीर टूरिज्म के अलावा सैफ्रॉन के लिए जाना जाता है, एप्पल के लिए जाना जाता है। आज जो सैफ्रॉन की खेती करते हैं, एप्पल की खेती करते हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से लेकर अच्छा रोजगार वहां के लोग कर रहे हैं।

मैं इलैक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। लोग इलैक्शन की बात कहते हैं। यहां पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख साहब बैठे हुए हैं। मैं बड़े आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में कितने इलैक्शन देखें और आप ऐसा कोई इलैक्शन सदन में बताइये कि जो बिना बंदूक के हुआ हो या बिना फायरिंग के हुआ हो। क्या दफा 144 के बिना कोई इलैक्शन हुआ है? मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में इलैक्शन से ज्यादा पीस और लोगों की सिक्योरिटी की जरूरत है। जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जान है तो जहान है। आज हम सिक्योरिटी को ताक पर लगा कर, at the cost of national security and at the cost of people's security, लोगों की जान की बाजी लगा कर हम चुनाव नहीं कर सकते।

16.00 hrs

यह मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ। धारा 370 हटने के बाद पंचायत इलेक्शन, बीडीसी का इलेक्शन और डीडीसी का इलेक्शन हुआ। ग्रासरूट डेमोक्रेसी के इंस्टिट्यूशंस को खड़ा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।

इस पर डिस्कशन के दौरान यह बात आई कि धारा 370 हटने के बाद हमने क्या हासिल किया? शायद यह बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि हमने क्या-क्या हासिल किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2019-20 तक जम्मू-कश्मीर में 297 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था, वह आज की डेट में 2,153 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से वर्ष 2019 तक 1,175 किलोमीटर सड़कें बनीं, वह वर्ष 2023 में बढ़कर 8,066 किलोमीटर सड़कें बनीं हैं। जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे कम्प्लीट किया है। पहले जो भी जम्मू-कश्मीर की छोटी-मोटी स्कीम्स थीं, उनमें से एक हाउसहोल्ड टैप वॉटर कनेक्शन की स्कीम थी, जिसके तहत केवल 5 लाख 75 हाउसहोल्ड्स को ही कनेक्शन दे पाए, जो पूरे जम्मू-कश्मीर के 31 प्रतिशत लोगों तक ही सीमित था। आज उसको बढ़ाकर 72 प्रतिशत यानी 13.54 लाख हाउसहोल्ड्स को टैप वॉटर कनेक्शन दिया गया। वर्ष 2019 से पहले जल-जीवन मिशन के तहत जो काम हुए, उनमें आँगनवाड़ी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट इंस्टिट्यूशंस, पब्लिक इंस्टिट्यूशंस के लिए केवल 20 परसेंट ही अचीव कर पाए। लेकिन धारा 370 हटने के बाद धरातल पर इस तरह से काम हुए कि आज पूरे जम्मू-कश्मीर में जल-जीवन मिशन के तहत आँगनवाड़ी, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टिट्यूशंस के काम में 100 परसेंट कवरेज है। अगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेज की बात करें तो धारा 370 हटने के पहले केवल 94 ही थे, लेकिन आज जम्मू-कश्मीर में 147 गवर्नमेंट कॉलेजेज फंक्शनल हैं। जम्मू-कश्मीर में केवल दो ही इंजीनियरिंग कॉलेजेज थे। आज वहाँ पर चार इंजीनियरिंग कॉलेजेज बन रहे हैं और उनमें से तीन फंक्शनल हैं। आज जम्मू-कश्मीर में आईआईटी, आईआईएम, एम्स हैं। पहले वहाँ एम्स था ही नहीं। लेकिन इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर को ये सारे उपहार दिए।

वर्ष 2019 से पहले, जम्मू-कश्मीर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केवल 47 सिटीज थीं, लेकिन आज जम्मू और श्रीनगर में 173 स्मार्ट सिटीज बन रही हैं। चूंकि प्रधानमंत्री जी गरीब की चिन्ता करते हैं, वे गरीब कल्याण योजना चलाते हैं, गरीब को सबसे आगे रखते हैं, जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको सबसे पहले सरकारी बेनिफिट पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2019 तक 20,216 घर कम्प्लीट हुए थे, लेकिन वर्ष 2023 में 1,28,135 लोगों को घर मिल चुके हैं। ये सारे लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) के तहत, वर्ष 2019 तक लाभांविता होने वाले लोगों की संख्या केवल 4,024 थी, लेकिन आज 17,058 लोगों को घर मिल चुके हैं और उन घरों में लोग रहने लगे हैं।

पहले जम्मू-कश्मीर में 50-60 प्रतिशत क्षेत्र ही ओडीएफ थे, लेकिन आज वहाँ 100 परसेंट ओडीएफ अचीव हुआ है। पहले ई-बसेज का कांसेप्ट ही नहीं था। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने यहाँ बोलते समय लद्दाख के प्रति 'कार्बन न्यूट्रल लद्दाख' का जो विज़न दिया, उसी विज़न के तहत जम्मू-कश्मीर में ई-बसेज की शुरुआत की गई। आज जम्मू-कश्मीर में 150 ई-बसेज हैं, जिनमें से 75 बसेज जम्मू में और 75 बसेज कश्मीर में हैं, जिनके द्वारा ई-बसेज की सेवाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं।

इसी प्रकार से, नैशनल ई-गवर्नेंस का कांसेप्ट जम्मू-कश्मीर में था ही नहीं, लेकिन धारा 370 हटने के बाद देश में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से ई-गवर्नेंस के मामले में रैंकिंग में सबसे पहले नम्बर पर प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख को रखा है।

इसी तरह ई-ऑफिस, ई-पीआरएस, ईपीएम, ई-एचआरएम, ई-उन्नत, जेएके-स्पैरो, जेके पे-सिस्टम, ये सब जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे, जिसके कारण सरकार की हर स्कीम में घोटाले ही घोटाले होते थे, कमीशन चलती थी। आज जम्मू कश्मीर में इस सबको लागू करके जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अंदर से मजबूत किया है, अंदर से क्लीन किया है और अंदर से ट्रांसपेरेंट किया है।

सभापति महोदय, अनुच्छेद 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन सेवाओं की मात्रा केवल 60 थी। आज जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन सेवाएं 1,102 स्कीम्स पर लागू हैं। पहले हमारे दरबार मूव होते थे। समर केपीटल – कश्मीर, विंटर कैपिटल – जम्मू। इस दरबार मूव में बहुत कुछ और मूव होता था। हमारी फाइल्स गुम हो जाती थीं, बहुत सारा करप्शन होता था। गवर्नमेंट की ट्रेजरी पर एक बर्डन होता था और लोग उस दरबार मूव के कारण तरसते थे और इंप्लॉयेज भी तरसते थे। आज अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह दरबार मूव खत्म करके जम्मू और कश्मीर, दोनों जगह हमारा सेपरेट सिस्टम चल रहा है और वह भी ई-ऑफिस के माध्यम से चल रहा है। ई-ऑफिस को जम्मू कश्मीर में 100 परसेंट फंक्शनल यदि किसी ने बनाया है, तो वह प्रधान मंत्री मोदी जी ने बनाया है। अगर मैं जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन (जीआई) टैग की बात करूं, तो पूरे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर केवल एक ही चीज को वर्ष 2019 से पहले जीआई टैग मिल चुका था, केवल सैफरन का जीआई टैग मिल चुका था, उसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट का जीआई टैग नहीं हुआ था।

आज जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जा चुका है। मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। लद्दाख में भी हम पहले जीआई टैग का नाम सुनते थे, लेकिन हमें कभी देखने को नहीं मिला था। आज लद्दाख के एप्रिकॉट को, लद्दाख के पशमीना को, लद्दाख की वुड-कार्विंग को, लद्दाख के सी-बकथॉर्न को, जिसमें न्यूट्रिशन और विटामिन्स की रिचनेस है, इन सारी चीजों पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद जीआई टैग मोदी सरकार ने हमें दिया है।

16.08 hrs

(Shri A. Raja *in the Chair*)

पहले 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' का कॉनसेप्ट होता ही नहीं था। आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक-एक प्रोडक्ट को 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' के तहत उसको प्रचारित किया, उसको प्रमोट करने का काम प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया।

‘आपकी ज़मीन, आपकी निगरानी’ पहले सरकार की स्कीम ही नहीं थी। आज ‘आपकी ज़मीन, आपकी निगरानी’ के माध्यम से लोगों को उनकी अपनी-अपनी भूमि का हक देने का काम मोदी जी ने किया है। चाहे सरकारी ज़मीन हो या आवाम की जमीन हो, पहले लैंड रिकॉर्ड का ठीक से पता ही नहीं होता था। खासकर, हम लद्दाख वालों पर जबरदस्ती उर्दू चलाई जाती थी। जो लोग उर्दू पढ़ भी नहीं सकते, नहीं जानते हैं, पता नहीं उनकी जमीन के लिए उनको क्या लिखकर दे दिया जाता था? आज ‘डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स’ के माध्यम से उनको अपना-अपना लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन एविलेबल करा दिया गया है। आज लोग जानते हैं कि उनके पास कितनी जमीन है या नहीं है? मिल्कियत है या नहीं है? एग्रीकल्चर है या नहीं है? वे जानते हैं कि उनके पास क्या है? इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ इन कामों को धरातल पर उतारने का काम प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है।

यहां युवाओं की बात की गई। मैं बताना चाहता हूं कि पहले हमारे जम्मू कश्मीर में यूथ का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन केवल दो लाख ही होता था, ऐसा 2019 तक होता था। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 60 लाख यूथ हमारे जम्मू कश्मीर से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले यूथ मिशन नहीं था। आज यूथ मिशन चलाया जा रहा है। 2019 तक कोई यूथ क्लब नहीं था। आज सरकार की पहल से जम्मू कश्मीर में 4,998 यूथ क्लब्स बनाकर, यूथ को एक-दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है।

इसी तरह अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो पहले यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। आज प्रधान मंत्री मोदी जी ने जिस तरह पूरे देश में आयुष्मान भारत के माध्यम से गोल्डन कार्ड को लागू किया, हर गरीब की जेब में पांच लाख रुपए का इंश्योरेंस रखने का काम किया है, उसके लिए मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वालों की ओर से सरकार को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 100 परसेंट यूनिवर्सल कवरेज कर दी और हर किसी की जेब में पांच लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया, ताकि किसी गरीब मजदूर को इलाज कराने के लिए पैसा न होने के कारण अपनी जान गंवानी न पड़े। यह चिंता प्रधान मंत्री मोदी जी ने की है। अगर मैं जम्मू-कश्मीर में

मेडिकल कॉलेजेज की बात करूँ तो पहले वहाँ चार ही मेडिकल कॉलेज होते थे। वर्ष 2019 में धारा 370 हटने के बाद 7 नए मेडिकल कॉलेजेज अभी जम्मू-कश्मीर में बन चुके हैं और ये सारे ऑपरेशनल हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि लद्दाख के लिए अलग से मेडिकल कॉलेज सैंक्शन देकर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हो चुका है। मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेडिकल सीट्स की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यूथ की बहुत चर्चा की जा रही है, तो मैं एक-एक चीज गिनाना जरूरी समझता हूँ। मेडिकल सीट्स, वर्ष 2019 तक 500 एमबीबीएस सीट्स जम्मू-कश्मीर के युवाओं को मिलती थीं। आज उन सीट्स में 800 सीट्स प्लस करके 1300 एमबीबीएस की सीट्स का रिजर्वेशन जम्मू-कश्मीर के युवाओं को मिल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स पहले 367 ही होती थीं। आज 664 पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल सीट्स जम्मू-कश्मीर के लिए एवलेबल की गई हैं। मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूँ। उसी तरह से नर्सिंग की सीट्स हैं। यह लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं शॉर्ट करके इसे पढ़ रहा हूँ।

मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से कोई अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल सेंटर गाँव, कस्बे में ठीक से नहीं चलता था। आज जम्मू-कश्मीर में 3,006 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग गाँवों में खुल चुके हैं। डायल 102, डायल 108 इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस का पहले जम्मू-कश्मीर में कांसेप्ट ही नहीं था, आज जम्मू-कश्मीर में डायल 102, डायल 108 की एम्बुलेंस सर्विस पूरी तरह से फंक्शनल है। मेरे पास जो डाटा एवलेबल है, 425 एम्बुलेंस सर्विस ऑन रोड हैं, आप कहीं से भी फोन करें, एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर मरीज को उताने के लिए पहुँच जाती है।

इसी तरह से पेंशन के जो लाभार्थी हैं, गरीब, मजदूर आवाम के लिए, चाहे ओल्ड ऐज पेंशन हो, चाहे डिसेबल पेंशन हो, विडो पेंशन हो, पहले यह पेंशन केवल 6 लाख 13 हजार लोगों को ही मिलती थी, आज 10,38,100 यानी कि करीब 77 प्रतिशत इंक्रीज करके यह पेंशन दी जा रही है। चाहे ओल्ड ऐज पेंशन हो, चाहे डिसेबल पेंशन हो, चाहे विडो पेंशन हो, 100 परसेंट पेंशन कवरेज मोदी जी ने किया है। मैं उन गरीबों की तरफ से माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

इसी तरह से स्कॉलरशिप की बात यहाँ की जा रही थी कि जम्मू-कश्मीर में यह स्कॉलरशिप बंद हुई, वह स्कॉलरशिप बंद हुई और हमारे जम्मू-कश्मीर के बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। यह सरासर असत्य है। मैं डाटा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप फॉर एससी, जो एससी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप पहले 8,250 लोगों को मिल रही थी, वर्ष 2019 के बाद 63,550 एससी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है। माइनोरिटीज के लिए पहले जब आपकी सरकार थी, मैं वर्ष 2019 तक बता रहा हूँ, वर्ष 2019 तक मेरे पास जो डाटा एवलेबल है, माइनोरिटीज स्टूडेंट्स के लिए 1,43,154 स्कॉलरशिप्स ही दी जाती थीं, धारा 370 हटने के बाद माइनोरिटीज स्टूडेंट्स के लिए 3,00,651 स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। किसी भी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप से वंचित नहीं किया जा रहा है। आधार वेरिफिकेशन फॉर आंगनवाड़ी बेनेफिशरीज होता ही नहीं था। यह कितने ताज्जुब की बात है कि पहले जम्मू-कश्मीर में आंगनवाड़ी के राशन में भी घोटाला होता था। मैंने खुद एक वीडियो देखा है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो बच्चों को राशन देता था, वह टोमेटो और सोयाबीन गिनकर दे रहे थे, लेकिन आज आंगनवाड़ी वेरिफिकेशन के माध्यम से 97 परसेंट आधार वेरिफाइड होकर कोई घोटाला नहीं हो रहा है, क्लियर कट साफ-सफाई के साथ काम चल रहा है। धारा 370 हटने से पहले भारत के बहुत सारे अच्छे-अच्छे कानून वहाँ पर लागू ही नहीं थे। मैं एक-एक करके बताना चाहता हूँ। जुवेनाइल जस्टिस रूल अंडर जेजे एक्ट 2015 आज जम्मू-कश्मीर में लागू है। रूल्स अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पहले लागू ही नहीं होते थे, आज वर्ष 2022 से ये लागू हो रहे हैं।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले दो मिनट का समय और चाहूँगा।

महोदय, रूल्स अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पहले लागू ही नहीं होता था, अब यह वर्ष 2022 से लागू हो रहा है। रूल्स अंडर मेनटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007 जम्मू-कश्मीर में लागू ही नहीं होता था, अब वर्ष 2021 से यह लागू है। रूल्स अंडर राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी, 2016 वर्ष 2021 के बाद लागू हुआ है। वन स्टॉप वन सेंटर फॉर वूमन पहले छह सेंटर्स थे, आज 20 सेंटर्स हो चुके हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हब्स को

वूमेन एम्पॉवरमेंट सेंटर्स पहले 12 थे, आज 20 हो चुके हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, इनकी लिस्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ। जम्मू-कश्मीर में बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम हुए हैं। मैं सारे कामों के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आज जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद हमने क्या अचीव किया है। हमने अचीव किया - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा दिया था - 'एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान', इसे हमने अचीव किया। जम्मू-कश्मीर को परमानेंटली देश के साथ इंटीग्रेट किया और देश के जितने भी अच्छे-अच्छे कानून हैं, उनका बेनिफिट जम्मू-कश्मीर को मिलने लगा। जम्मू-कश्मीर में जो करप्शन होता था, क्रिकेट एसोसिएशन की करप्शन को कौन भूल सकता है, आज जम्मू-कश्मीर में सारा करप्शन खत्म करके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है। जम्मू-कश्मीर के युवाओं के हाथ में पहले पत्थर होते थे लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर छीनकर कम्प्यूटर, बैट-बॉल, स्िकल इंडिया, मेक इंडिया जैसी बहुत स्कीम्स का बेनिफिट जम्मू-कश्मीर के लोगों को दिया। पहले वहां बंदूक से शूटिंग चलती थी, अब वहां फिल्म की शूटिंग हो रही है। पहले वहां के लोगों को उनके हक नहीं मिलते थे, आज मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर को कांफिडेंस दिया है। हम जम्मू-कश्मीर के युवा पहले देश के किसी भी कोने में जाएं, चाहे बंगलुरु में जाएं या केरल में जाएं, हमें शक की नजर से देखा जाता था। जम्मू-कश्मीर का आइडेंटिटी कार्ड देखकर हमें कहते थे कि आपको होटल में कमरा नहीं मिल सकता है। मैं प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को पहचान दी है। हमें पहले बहुत प्रताड़ित किया जाता था लेकिन आज देश के किसी भी कोने में जाएं, हमें इज्जत की नजर से देखते हैं और सबसे पहले हमें होटल में कमरा देते हैं। आज पूरा देश समझ चुका है कि पूरी दुनिया में तीन चीजें नहीं चलती हैं - पाकिस्तान का ईमान, चीन का सामान और इन लोगों का बयान। इन पर किसी को कोई विश्वास नहीं है। आज देश में एक ही चीज चलती है - प्रधान मंत्री जी की गारंटी, जिस गारंटी को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी है। देश के लोगों ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के विश्वास को देखते हुए प्रधान मंत्री जी को एक बार फिर से बड़ी बहुमत से जीत

दिलाई है और यह एनशयोर करते हैं कि वर्ष 2024 में भी प्रधान मंत्री मोदी जी की ही गारंटी चलनी है और किसी का दोगलापन, किसी की नौटंकी, किसी का कोई ड्रामा नहीं चलना है। देश वालों ने यह भी देखा कि जो झूठ लेकर, फरेब लेकर मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए चला, उस दुकान को ताला लग चुका है। मैं प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस बिल का स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारता।

श्री मनीश तिवारी (आनंदपुर साहिब): सभापति जी, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक आज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं अपनी बात उस पर सीमित रखूंगा। यह जो विधेयक लाया गया है, इसके दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहले धारा 14 का संशोधन करके उसमें एक प्रोवाइजो डालना, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर विधान सभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाए। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1950 के दूसरे शेड्यूल में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट करना। इसके साथ-साथ इसका दूसरा लक्ष्य जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक में धारा-15ए और 15बी को जोड़ना है। धारा-15ए विधान सभा में दो नामजद सीटें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आरक्षित करती है और धारा-15बी पाकिस्तान के पीओके से विस्थापित होकर जो लोग आए हैं, उनके लिए सीटें आरक्षित करती है।

सभापति महोदय, यह विधेयक जिस कानून का संशोधन कर रहा है, उस कानून को संवैधानिक तौर पर चुनौती दी गयी है और वह मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। इसलिए संवैधानिक नैतिकता का तकाजा यह बनता है कि एक कानून जिसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गयी है, जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता, उसमें संशोधन करने वाला कोई कानून इस सदन के सामने आना ही नहीं चाहिए। इस विधेयक के संबंध में उस कानून को जो बुनियादी चुनौती है, वह यह है कि 5 और 6 अगस्त, 2019 को इस सदन में जो हुआ, संविधान उसकी अनुमति ही नहीं देता।

महोदय, संविधान की जो धारा-3 है, उसे मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। धारा-3 यह कहती है – “Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States: Parliament may by law

(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State;

(b) increase the area of any State;

(c) diminish the area of any State;

(d) alter the boundaries of any State;

(e) alter the name of any State;...”

पर, संविधान यह नहीं कहता कि किसी प्रदेश को आप दो केन्द्रशासित प्रदेशों में तब्दील कर सकते हैं। इसके साथ-साथ संविधान यह भी कहता है कि कुछ भी करने से पहले उस प्रदेश की जो विधान सभा है, उसके साथ सलाह-मशविरा करना अनिवार्य है। इसलिए, जब एक कानून को कोई बुनियादी चुनौती दी गयी हो और उसके ऊपर दो महीने तक उच्चतम न्यायालय में बहस हुई हो और उसका फैसला लम्बित हो तो हमारा यह मानना है और बहुत अदब और सत्कार के साथ मेरा यह कहना है कि संवैधानिक नैतिकता यह कहती है कि इस विधेयक को इस सदन के सामने नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, मैं जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, और यह बात मुझे कभी समझ में नहीं आई, जब 5-6 अगस्त को इस सदन में मैंने विपक्ष की तरफ से धारा-370 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के ऊपर बहस शुरू की थी, उस समय भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मार्च, 2015 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनती है। उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ था, उसे ‘एजेंडा ऑफ गवर्नेंस’ कहते थे। मुझे उसकी तारीख ठीक तरह से याद नहीं है, शायद वह 30 मार्च, 2015 है।

उसमें एक बिंदु था कि -

“The constitutional arrangements of Jammu and Kashmir will not be disturbed.”

पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो समझौता हुआ था और जिस बुनियाद पर समझौता हुआ था, उस कागज़ पर यह लिखा गया था कि

“The constitutional arrangements of Jammu and Kashmir will not be disturbed.”

वर्ष 2015 और 2018 के बीच ऐसी क्या तब्दीली आई कि वही भारतीय जनता पार्टी उस वायदे से पीछे हट गई। मैं वर्ष 2018 का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस पर आऊंगा। मैं वर्ष 2019 का ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ। 19 जून, 2018 को भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। 20 जून, 2018 को राज्यपाल शासन जम्मू-कश्मीर में लागू हुआ और 21 जून, 2018 को वहां की विधान सभा को भंग कर दिया गया। 6 महीने के बाद, 19 दिसंबर, 2018 को जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, क्योंकि राज्यपाल का शासन 6 महीने से ज्यादा का नहीं रह सकता, तो उसकी जो प्रोक्लमेशन थी, उसमें एक बहुत ही अद्भुत धारा थी और उस समय किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी को यह कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। उस प्रोक्लमेशन की धारा सी(2) में यह लिखा गया था कि भारत के संविधान की जो धारा 3 है, उसके प्रोवाइज़ो 1 और 2 को लंबित किया जाता है। यह प्रोवाइज़ो एक और 2 क्या था? यह प्रोवाइज़ो 1 और 2 धारा 3 का वह है, जिसके तहत राष्ट्रपति जी को संवैधानिक तौर पर, अगर कोई भी विधेयक संसद में आता है। ... (व्यवधान) गृह मंत्री जी मुझे बात तो खत्म करने दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय सभापति महोदय, मैं कल इसका डीटेल में जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर कल और आज के बीच में मीडिया में काफी गलतफ़हमी न हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में राष्ट्रपति शासन डालने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी और

जितने भी राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना है, सभी में संविधान की इस धारा को निरस्त कर के ही कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लागू किया है, क्योंकि अगर वह नहीं करते हैं, तो राज्य का बजट भी पारित नहीं कर सकते हैं।

ये विद्वान् वकील हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आगे-पीछे का देखते हैं या नहीं देखते हैं या फिर इनको अचानक बोलने का एजेंडा दिया है या क्या है, मेरी समझ में नहीं आता है। मगर इस तरह की बात कम से कम वकील को नहीं करनी चाहिए। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : क्या वह खराब किया है? ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let him continue.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You please continue.

... (Interruptions)

श्री अमित शाह : दादा, मैंने यह नहीं कहा है कि वह खराब किया है। वह जरूरी इसलिए है क्योंकि बाद में स्टेट असेंबली का जो बजट पारित करने का अधिकार है, वह भी पार्लियामेंट को नहीं मिलता है तो स्टेट कहाँ से, कैसे चलेगा? यह रिक्वायरमेंट है। ... (व्यवधान) मगर आप तो नहीं समझ सकोगे, यह मुझे मालूम है। लेकिन आपकी बात से और लोगों को कोई मिसअण्डरस्टैंडिंग न हो, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

श्री मनीष तिवारी: सर, मैं गृह मंत्री जी की व्यक्तिगत तौर पर बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे मालूम है कि ये काफी अध्ययन करते हैं। परंतु जहाँ तक मेरी जानकारी है, संविधान की धारा 3 का बजट से कोई लेना देना नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मनीष जी, एक मिनट रुकिए। मैं धारा 3 की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन में सी(2) का डिलीट कर के यह किया गया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जिस पर आप थे कि इसलिए राज्य का अधिकार ले लिया, क्योंकि धारा 370 डालनी थी। राष्ट्रपति शासन की हर अधिसूचना में यह किया जाता है।

श्री मनीश तिवारी: गृह मंत्री जी, आप विस्तृत तौर पर इसका जवाब दे दीजिएगा और मैं भी बाकी प्रेसीडेंशियल प्रोक्लमेशन को अपने संज्ञान में ले लूंगा। परंतु, जहां तक मेरी जानकारी है, धारा 3 का जो प्रोवाइजो 1 और 2 है, वह सिर्फ राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है और उसका बजट से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा यह कहना है और मैं गृह मंत्री जी का इस पर जवाब सुनना चाहूंगा कि जो 5 और 6 अगस्त, 2019 को हुआ, उसकी जो नींव थी, वह 19 दिसंबर 2018 को ही उस प्रेसीडेंशियल प्रोक्लमेशन में रखी गई थी। यह चीज उस समय किसी के संज्ञान में नहीं आई।

अब 5-6 अगस्त, 2019 को जो विधेयक राज्य सभा एवं लोक सभा में पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, वह आज उच्चतम न्यायालय में लंबित है। मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल हमारे बाकी साथियों ने भी पूछा है। अगर अपने फैसले के ऊपर इतना ही भरोसा था कि आपने जो फैसला किया है, वह जम्मू-कश्मीर के हक में किया है, जम्मू-कश्मीर के अवाम के हक को सामने रख कर किया है तो साढ़े पाँच साल में जम्मू-कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुआ? कोई भी जो फैसला होता है, उस फैसले की जो पुष्टि है, उसका जो अनुमोदन है, वह जनता करती है और वह अनुमोदन चुनाव के जरिए होता है। मैं यह तो समझ सकता था कि एक साल चुनाव नहीं हुआ, दो साल चुनाव नहीं हुआ, ढाई साल चुनाव नहीं हुआ, परिसीमन में टाइम लग रहा है, लेकिन साढ़े पांच साल विधान सभा भंग करने के बाद चुनाव न हो और जो चुनाव हुआ भी, जब अक्टूबर 2023 में कारगिल का चुनाव हुआ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 22 सीट्स मिली, भाजपा को 2 सीट्स मिली, जो निर्दलीय थे, उनको 2 सीट्स मिली और 78 परसेंट लोगों ने वोट डाली।

महोदय, मैं गृह मंत्री जी से एक सीधा-सीधा सवाल करना चाहता हूं और बहुत विनम्रता से करना चाहता हूं। क्या गृह मंत्री जी इस सदन को बता सकेंगे कि जम्मू-कश्मीर विधान सभा का चुनाव कब होगा? क्या लोक सभा के चुनाव के साथ होगा, उससे पहले होगा, उससे बाद होगा, क्या कोई टाइम लाइन गृह मंत्री जी जम्मू-कश्मीर विधान सभा के चुनाव को लेकर इस सदन को दे सकते हैं कि नहीं?

दूसरा, अगर मेरी यादाश्त सही है, गृह मंत्री जी ने अगस्त 2019 में सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि जम्मू-कश्मीर की जो स्टेटहूड है, जो उसका राज्य का दर्जा है, उसको बरकरार किया जाएगा। उसके बाद, जो इनके राज्य मंत्री है, उन्होंने राज्य सभा को लिखित में बताया कि जब वहां पर परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, at an appropriate time when normalcy is restored, जो स्टेटहूड है, वह लौटा दी जाएगी। अब सरकार का यह मानना है और सरकार की तरफ से जितने भी वक्ता-प्रवक्ता बोले हैं, उन सबने यह बात कही है कि वर्ष 2019 से लेकर 2023 तक जम्मू-कश्मीर में परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं। अगर परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं, जो आपने संवैधानिक तर्जुबा किया है, आपके हिसाब से कामयाब हो गया है, तो जो राज्य का दर्जा है, उसको क्यों नहीं लौटा देते? विडंबना यह है कि जब धारा 370 और इस पुनर्गठन विधेयक के ऊपर उच्चतम न्यायालय में चर्चा चल रही थी तो यही सवाल उच्चतम न्यायालय ने भी पूछा था। उसके जवाब में सरकार के लॉ ऑफिसर ने कहा और उसको मैं कोट करना चाहता हूं-

“I am unable to give an exact time period right now for Statehood.

Complete Statehood may take time as the State has faced repeated and consistent disturbances for decades together, etc., etc.,”

एक तरफ तो गृह मंत्री जी और सरकार की तरफ से यह बयान आता है कि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी, उसके बाद गृह मंत्री जी ने कहा कि जैसे ही विधान सभा का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद राज्य का दर्जा वापस कर दिया जाएगा।

सरकार के वरिष्ठतम लॉ ऑफिसर, जब उच्चतम न्यायालय यह सवाल पूछता है तो कहते हैं कि I am unable to give a timeline. Was the law officer not properly instructed? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आप आरक्षण कर रहे हैं, चाहे जम्मू-कश्मीर के विस्थापित लोग हैं या जो पाकिस्तान से आए हैं, वर्ष 1965 की लड़ाई के बाद उजड़ कर आए थे, इससे किसी को आपत्ति नहीं है। इससे हम इत्तेफाक रखते हैं। सबसे पहले प्रदेश में एक विधान सभा का गठन तो होना चाहिए। विधान सभा का गठन तभी होगा, जब चुनाव होंगे, तभी राज्यपाल कुछ लोगों को

नामजद कर पायेंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है और अपनी पार्टी की तरफ से यही मांग है कि आप इस सदन को बताने की कृपा करें कि विधान सभा के चुनाव कब कराये जायेंगे और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब लौटाया जायेगा? बहुत-बहुत धन्यवाद।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): सभापति महोदय, 5 और 6 अगस्त, 2019 को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा-निर्देश में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो विधेयक लाये थे, उसके परिणामस्वरूप यह सारा घटनाक्रम है, जिसको लेकर आज यह चर्चा हुई। हमारे बहुत सारे मित्रों ने कुछ ऐसी बातें रखीं, जो इस विषय के साथ ताल्लुक नहीं रखतीं, लेकिन उन्होंने जम्मू-कश्मीर के भिन्न पहलुओं को लेकर अपनी राय रखने का प्रयास किया है। मैं जज साहब की बात सुन रहा था, वे कानूनसाज भी हैं। न मुझे गुस्सा आता है, न मैं प्रोवोक होता हूँ। जब वे समझा रहे थे कि आईन का मतलब क्या है, भारतीय संविधान का मतलब क्या है, बड़े विस्तार से उन्होंने करीब आधा घंटा बताया। मुझे, गालिब का वह शेर याद आया कि “की मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा।” साठ-सत्तर वर्ष जिन्होंने हिंदुस्तान के आईन को वहां लागू नहीं होने दिया, उसकी धज्जियां उड़ाईं, उसमें रुकावट पैदा की, वे आज हमें आईन के बारे में समझा रहे हैं। ये समझाने उनको लगे, जिन्होंने तीन पीढ़ियां खपा दीं सिर्फ इस संकल्प को ले करके और जीवन समर्पण कर दिया कि हिंदुस्तान का आईन जम्मू-कश्मीर में उसी तरह लागू हो, जिस तरह से बाकी मुल्क में है।

यह कहानी सिर्फ 1947 से शुरू नहीं होती है, बल्कि उसके पहले से भी है। सन् 1947 में कांस्टीट्यूएंट असेंबली की चर्चा के दौरान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी से कहा था कि क्या यह जरूरी नहीं कि अनुच्छेद 370 पर पुनः विचार कर लिया जाए। दादा मुखर्जी की जीवनी से सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। यह उनकी बहुत सारी पुस्तकों में भी लिखित है। नेहरू जी ने जो जवाब दिया था, उसका प्रिंसाइज फ़्रेज यह था कि मुखर्जी, “Don't be upset.” यह धीरे-धीरे,

घिसते-घिसते घिस जायेगी। बाद में 1963 में इसको लेकर फ्लोर पर बहस हुई ... (व्यवधान) पंडित जी के कार्यकाल के दौरान 1963 में जब यह चर्चा में आया, तो पंडित जी ने उस समय स्वयं भी कहा था कि अब धारा को जाने का वक्त आ गया है। नेहरू जी ने कहा था कि यह धीरे-धीरे, घिसते-घिसते घिस जायेगा। तब से लेकर अब तक ये घिसा नहीं सके, बल्कि इसको न घिसाने में एक वेस्टेड इंटेस्ट बन गया। यह कायम रहे, उसी में उनको लगा कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, पारिवारिक प्रभुसत्ता चलती रहेगी। उसको अगर घिसाने का काम नेहरू जी ने की ओर से अधूरा रह गया था तो उसे मोदी जी ने किया तो हमें मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि आप यह विधेयक लाए, हमसे नहीं हो पाया था, हमारी मजबूरियां थीं, हमारी राजनीतिक मजबूरियां थीं, हम कमजोर पड़ गए थे, हम परिवारवाद के आगे कमजोर पड़ गए थे, हम स्वार्थ के आगे कमजोर पड़ गए। हम चाहते थे कि हमारे बाद बेटा, बेटा के बाद बेटी बने। लेकिन आपने संकल्प, मर्यादा और सिद्धांत का पालन किया। उस समय से लेकर सन 1947 में कस्टीट्यूट असेम्बली, फिर उसके बाद आजादी के वक्त, Then, there is a series of events which the history describes as Nehruvian blunders.

वर्ष 1947-48 में जब बाकी राज्यों का विलय हो रहा था, जम्मू-कश्मीर के विलय में समय लगा, विलंब हुआ। क्यों विलंब हुआ? He understood Jammu and Kashmir better than Sardar Patel and he did not allow his own Home Minister and intruded into his jurisdiction and his domain. 560 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स का विलय हो गया, लेकिन इसका डिले होता रहा। नेहरू जी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यह दबाव बढ़ता रहा कि महाराजा हरि सिंह पहले नेशनल कान्फ्रेंस को सत्ता सौंपे, शेख अब्दुल्ला साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाएं, उसके बाद हम आपको फौज भी देंगे, एक्सेशन भी कबूल करेंगे। यह बात यहां तक पहुंची गई कि इसी दौरान पाकिस्तान को हमला करने का मौका मिल गया। हमारे कितनी बहुमूल्य जानें वहां शहीद हुईं। फिर नेहरू जी ने ही 1948 में यूएनओ में जाकर यह बात रखी, इसकी कोई

आवश्यकता नहीं थी। The instrument of accession was same for all the princely States. It was not different for Maharaja Hari Singh and it was not different for Jammu and Kashmir. There was no provision of plebiscite in any of the other princely States. Why did the Prime Minister have to make this commitment and create a wrong precedent? इस प्रकार के बहुत सारे प्रदेश थे, हैदराबाद भी था। अभी ओवैसी साहब यहां से उठकर चले गए हैं। उसके बाद जब यह सिलसिला आगे चला, 1950 में पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद आंदोलन शुरू हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे जैसे सौगत दा कह रहे थे, 11 मई, 1953 को जम्मू-कश्मीर में दाखिल होते हैं। उन्होंने रात अमृतसर में गुजारी थी, पहले वह पूछ कर आए थे कि क्या मेरी गिरफ्तारी की कोई योजना है? I am a Member of Parliament. मैं उसी प्रकार से सहयोग करूंगा। गुरुदासपुर के एसएसपी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही वह लखनपुर पहुंचते हैं, पुल के आधे रास्ते पर पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।

नेहरू जी की सरकार और इस प्रकार का षडयंत्र? क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट का भी जुरिस्टिक्शन लागू नहीं हुआ था। अगर उनको पहले गिरफ्तार कर लेते तो हैबियस कार्पस करने के लिए बलराज मधोक और दूसरे साथी तैयार थे, लेकिन वह चीज न हो पाए, इसलिए यह षडयंत्र रचा गया। आप देखिए, किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा था। फिर वहीं से उनको रातों-रात श्रीनगर ले जाया गया, 40-44 दिनों के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। उसकी कोई बहुत ज्यादा छानबीन नहीं हुई, हालांकि उनकी माता जी ने नेहरू जी को पत्र भी लिखा था। लेकिन वह दूसरी कहानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 370 जब लग गया और उसके जाने के ऊपर बहुत ज्यादा आपत्ति व्यक्त की जा रही है या वे लोग जो अनुच्छेद 370 के जाने को लेकर कह रहे हैं कि उससे क्या नुकसान हुआ, वास्तव में अनुच्छेद 370 का सबसे अधिक दुरुपयोग उन्होंने ही किया।

The greatest abuse or misuse of Article 370 was done by the greatest protagonists of Article 370. विज्ञान के छात्र होने के नाते हमें समझाया गया कि बिना तर्क के बात नहीं करनी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सन् 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमेरजेंसी लगाई, बहुत से अमेंडमेंट्स आए, एक था 42 और 43, which became quite infamous, जिसमें एम्बलम का भी जिक्र था। इसके अंतर्गत विधान सभाओं और लोक सभा का अवधि काल पांच से छः साल कर दिया गया क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि अभी चुनाव करने के लिए समय अनुकूल नहीं है और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं। इसके बाद वर्ष 1977 में सरकार बदल गई। इस दौरान जब यह अमेंडमेंट लाया गया तब जम्मू-कश्मीर में नेशनल काँग्रेस की सरकार थी, उसे तुरंत अपना लिया गया। हालांकि जम्मू-कश्मीर के आईन के तहत यह अधिकार था कि यह फैसला करे कि सेंटर का कौन सा रूल अपनाना है या नहीं अपनाना है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब रोचक फॉलोअप देखिए, तीन साल के बाद वर्ष 1977 में मोरारजी भाई प्रधान मंत्री बनते हैं और सारे अमेंडमेंट्स रिव्यु किए जाते हैं तब यह धारणा बनती है, व्यु बनता है कि इस प्रकार का संशोधन लोकतंत्र की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं था। शायद मनीष जी को बेहतर याद होगा, 45th and 46th amendments were brought in after the 42nd amendment. यह रिवर्स हो गया। छः साल का अवधि काल पुनः पांच साल हो गया। देश भर की सारी विधान सभाएं पांच साल तक रहीं, लोकसभा पांच साल रही और जम्मू-कश्मीर का अवधि काल छः साल रहा क्योंकि उस समय अनुच्छेद 370 आ गया था। हमें अनुच्छेद 370 इजाजत नहीं देता कि यह कानून अपना लें क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर के हित में नहीं था। अब यह जम्मू-कश्मीर का हित था, सत्ताधारी पार्टियों का हित था या परिवार का हित था, यह जनता के विवेक पर है। यह तब तक छः साल रहा जब तक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5-6 अगस्त, 2019 को विधेयक लाए। बताइए इसका क्या उत्तर है?

महोदय, इतना ही नहीं, कहा जाता है कि अनुच्छेद 370 हमारी शिनाख्त थी, हमारी पहचान थी, हमारी आइडेंटिटी थी, हमारी कश्मीरियत पर हमला हुआ है। अब आप मुझे बताएं क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान सारे हिंदुस्तान में लागू हुए। हमारे यहां इतनी महिला सदस्य हैं, इसी सरकार द्वारा महिला आरक्षण कानून लाया गया। हम एक के बाद एक महिला प्रधान कानून लाए। आपको क्या दिक्कत थी कि एक समुदाय विशेष को रिझाने के लिए, उसके तुष्टीकरण के लिए डॉउरी एक्ट जम्मू-कश्मीर में नहीं लगा सके? आपको क्या आपत्ति थी कि आप चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं लगा सके? ... (व्यवधान) 1928 का आईन अलग है। ... (व्यवधान) महाराजा का आपने खत्म कर दिया था। ... (व्यवधान) मेरे पास उसका उत्तर है।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, are you yielding?

DR. JITENDRA SINGH: I am not yielding. ... (*Interruptions*)

Dada, you do not know the subject, so please do not intervene. मैं आपको बताता हूं कि क्या सच है। Again and again, this is attributed to the Maharaja Act of 1928, which is not so. सेम सब्जेक्ट माननीय गृह मंत्री जी के प्रावधान लाने के बाद, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद समाप्त हुआ है। ... (व्यवधान) इसके बारे में कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह का स्टेट्स है, जबकि यह नहीं है। ... (व्यवधान) यह इसलिए नहीं है कि इसमें अलग-अलग क्लाज़ेज थीं। क्लाज़ नंबर 1, सन् से जो कट ऑफ था, जम्मू – कश्मीर में रहने वाला बाशिंदा है, वह यहां का नागरिक होगा। क्लाज़ नंबर 2, जो जम्मू-कश्मीर में आता है, तिज़ारत करता है, उद्योग करता है, शिक्षा में योगदान करता है, उसे आरज़ी रेजिडेंटशिप देंगे जिसका नाम इज़ाजतनामा होगा। उन दिनों उर्दू चलती थी। दस साल बाद अगर लगे कि वाकई उससे राज्य को फायदा हो रहा है तो उसे मुस्तकिल परमानेंट सिटिजनशिप देंगे यानी इकरारनामा होगा। तीसरी क्लाज़, जहां – जहां भी महाराजा या उसकी निज़ाम को लगता है कि इस नागरिक का रहना जम्मू-कश्मीर के हित में है, तो उसे सिटिजनशिप दे दी जाएगी।

There was no blanket barrier. कृपया मुझे टोकिएगा नहीं। Sir Ram Nath Chopra, one of the founders of CSIR, जिनको अंग्रेजों ने नाइटहुड दिया था, वह कोलकाता में एक लेबोरेट्री से रिटायर हुए। Col. Ram Nath Chopra was Knighted as 'Sir'. वर्ष 1942 में, महाराजा उन्हें जम्मू लाए। डूंग रिसर्च लेबोरेट्री कायम की, जो आज ट्रिपल आईएम, सीएसआईआर कही जाती है। हिंदुस्तान की सीएसआईआर की पहली तीन लैब्स में से वह एक है। इसके अलावा एक नैशनल फिजिकल लैबोरेट्री दिल्ली की है। उनको सिटिजनशिप दी, उनको जमीन का बहुत बड़ा रकबा दिया और उनके परिवार को वहां सेटल किया। आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी वहां रह रही है। मैं यह बता रहा हूं कि how this is being sought to be misinterpreted to camouflage your own pitfalls. यह एक्ट वह नहीं है।

दूसरी मिसाल, फिल्म जगत की बहुत सारी हस्तियां श्रीनगर में रहती थीं। पंजाब के बहुत सारे परिवार वहां सेटल हुए। रामानंद सागर, विधु विनोद चोपड़ा, जो मेरे मित्र हैं, कॉलेज में वह मेरे सीनियर भी रहे। उन्होंने अभी '12th Fail' फिल्म भी बनाई है। वह भी वहां जाकर बसे। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जम्मू-कश्मीर का पहला सिनेमा हरि टॉकीज, हरि प्रसाद नंदा के नाम पर है। बहुत से लोग समझते हैं कि वह टॉकीज महाराजा हरि सिंह के नाम पर है। हरि प्रसाद नंदा राजीव कपूर के समधी और राजन नंदा के पिता थे। वह वहां पर नंदा क्लॉथ हाउस चलाते थे और वहां के कॉन्ट्रैक्टर थे। जहां जम्मू का एयरपोर्ट है, वह सारा कैंटोनमेंट उन्होंने बनाया था। वह भी वहां के बाशिंदे थे। वर्ष 1947 के बाद वह दिल्ली आ गए। अगर मैं उनके बारे में बताने लगा, तो पूरा दिन निकल जाएगा, do not try to mix the two. एक्ट में कभी ब्लैकट बैन नहीं रहा, लेकिन अनुच्छेद-370 में था। अनुच्छेद-370 में बैरियर भी था। Rather, I would say that it created artificial barriers. It created mutual scepticism. इससे सभी समुदायों को नुकसान हुआ। कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीरी मुसलमानों को भी नुकसान हुआ। वह बाहर जाता, तो उसे शक की नजर से देखा जाता। उसे लगता कि मैं शायद बाकी लोगों से मुख्तलिफ हूं। So, abrogation of 370 gave a sense of esteem, a sense of belonging, and a sense of being a

part of this huge Indian peninsula. सेपरेटिज्म की भावना उसी से आई और उसके बाद a long nightmare of militancy. उसमें हम यह तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? उसने तो कभी इस बात से समझौता किया ही नहीं कि जम्मू-कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। उसने जंग भी की, कन्वेंशनल वॉर भी की, प्रॉक्सी वॉर भी की। But we are here not to discuss about what Pakistan did. Let us introspect on what we did. जो पाकिस्तान से शरारत हुई, उसको हमने अपने छोटे-छोटे मफाद के लिए हवा दी, to keep our political interests alive.

सन् 1989-1990 से यह सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि केवल 10 प्रतिशत वोटिंग कश्मीर घाटी में हुआ करती थी और हमारे यहां एमपी चुनकर आ जाते थे। सरकारें बनती थीं। Who were the beneficiaries of this arrangement?

आतंक के साए में चुनाव होना और उसी के साये में अपने कुछ विधायकों को जीत दिला देना, इस तरह आप पुश्त दर पुश्त अपना राज चलाते रहे। अगर फिज़ा तब खुल जाती तो ऐसा न होता। So, militancy became a vested interest, and I have no hesitation in saying this. It became a vested interest for the polity. It became a vested interest for the industry. एक रिच तबका उठकर आया। 20-25 सालों में नए अमीर वहां पर दिखने लगे। There is a huge transaction happening. उसका साइड इफेक्ट सोसायटी को झेलना पड़ा। ड्रग एडिक्शन भी हुआ, आतंक भी हुआ, कश्मीर की 3 पीढ़ियां आपने कुर्बान कर दीं। मैं किसी जाति या मजहब की बात नहीं कर रहा। The Kashmiri Muslim also suffered equally. हमें क्या हासिल हुआ? यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। जो सोपोर के शायर थे, उन्होंने लिखा था कि-

‘मेरे बुजुर्गों ने जन्नत जिसे बनाया था, उस जन्नत को दोजख बना दिया इसने।’

उसने तत्कालीन शासकों को कोसा। बशीर बद्र आपके मेरठ वाले ने लिखा है,

‘कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से,
ये नए मिज़ाज का शहर है ज़रा फ़ासले से मिला करो।’

यानी, हम किस समुदाय के पक्ष में बात कर रहे हैं, किस कश्मीर क्षेत्र के पक्ष में बात कर रहे हैं और किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? हम केवल अपने और अपने परिवार तथा चंद एक जमात को आगे बढ़ाए रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए हमने इन सारी अफरा-तफरी के माहौल का फायदा लिया। Now, the time has come not only for redemption but also for retrospection and making up for what we have lost or we have done. अगर जज साहब आज इस सदन में आईन की बात करते हैं तो मुझे एक तरह से खुशी होती है। उन्होंने विस्तार से हिन्दुस्तान के संविधान को हमें समझाया। वे खुद एक न्यायाधीश हैं और एक कोर्ट के जज रहे हैं। हालांकि मैंने एक शेर कहा कि ‘मेरे कत्ल के बाद उनको समझ आई’। लेकिन, चलिए भारतीय जनता पार्टी का कुर्बानियां देने में इतिहास है। कम से कम समझ तो आया। We have served the purpose of bringing about the change of thinking in that section of polity which never took the name of the Indian Constitution.

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): It is not the people who are responsible for what happened or the party that was in power. It was our neighbour. The neighbour has not accepted the accession of Jammu and Kashmir to India.

Secondly, the biggest *qurbani* was given by the National Conference. Our leaders, our Ministers, and our small workers were killed, let us not forget, for what? It was for holding the flag of India high. We have never denied that we are part of this nation, and we will remain part of this nation. Do justice to us! Do not point fingers at people who have suffered for this nation and who continue to suffer for this nation.

DR. JITENDRA SINGH: I do not have to disagree to what you say. I think it is known to all. It is hardly any guarded secret that Pakistan never reconciled to Jammu and Kashmir being part of India. I said it right in the beginning. But we are here not to discuss what Pakistan is doing, but what we are doing. एक बार एक सेमिनार हुआ था, के.एफ रूस्तम, जो बीएसएफ के सबसे पहले डीजी थे, वे आए थे और वहां पर भी यही बातें की गईं।

DR. FAROOQ ABDULLAH: I was the Chief Minister and I wanted a unified command because every intelligence, whether it is BSF, Army, local police, CRPF, was separate. I wanted a unified command where one command would be there so that these intelligence agencies could be put together and we could attack those areas firmly. What happened? The first Chief of the Army Staff did not want it. It was with great difficulty that I convinced the Government of India that we should have a unified command. Today, if your successors are

there, it is because of a unified command that I created for saving the nation; not only the State but the prestige of the nation.

DR. JITENDRA SINGH: Shri K. F. Rustamji was given all these inputs and he said, "Gentlemen, I have travelled all the way from Pune – he was settled in there after retirement – not to listen to what Pakistan is doing, but to understand what you are doing". So, that is what I am saying. Let us introspect on our roles and confess to ourselves. I have not blamed any individual but these are the facts. Dr. Sahab is a very senior person. He has been inspired to give a thought to what was said.

17.00 hrs

The question of what has happened in four or five years is repeatedly asked by everybody. साहब, पहले क्या था? वर्ष 2019 के बाद से अब क्या फर्क आया है? अब आप मुझे बताइए कि जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियां वही हैं, टोपोग्राफी भी कठिन है, जो उसकी नेचुरल कंसट्रेंट्स हैं, वे भी वैसी ही हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, फिर कुछ न कुछ तो हुआ होगा, जो कल और आज में अंतर है। आप सिक््योरिटी की बात करते हैं। स्टोन-पेल्टिंग जीरो प्रतिशत हो गई। इसका मतलब है कि यूनिफाइड कमांड में भी कहीं न कहीं उस तरह से अमल नहीं हुआ करता था, जिस तरह से होना चाहिए था। जैसा राज्यपाल शासन लगने के बाद हुआ, तब सीधे-सीधे कमान गृह मंत्रालय के हाथ में आई। इसका कुछ न कुछ तो जवाब देना होगा। ये तो एक स्टडी बनेगा कि ऐसा क्या कारण है? चार सालों में ऐसा कौन-सा जादू हो गया? सिविलियन और ओवर ऑल किलिंग्स में 80-90 प्रतिशत की कमी हुई है।

अभी आप कह रहे थे कि हम कश्मीर जाते हैं, पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन अगर आप अभी जाते हैं, तो वहां पर सवा दो करोड़ टूरिस्ट्स हैं। जम्मू-कश्मीर में पहली बार होम टूरिज्म शुरू हुआ है। मैं सात साल पूर्वोत्तर में रहा हूं। हमने मेघालय में होम टूरिज्म शुरू करवाया

था, क्योंकि होटल्स नहीं थे। जम्मू-कश्मीर में होम टूरिज्म का कल्चर कभी नहीं था। डॉक्टर साहब तो इतने सालों से जानते हैं। इस बार वहां इतना टूरिस्ट आया कि लोगों ने अपने दरवाजे-किवाड़ खोल दिए, फिर भी उसकी कमी पड़ गई। ये अंतर आया है। ये लोग इसीलिए आए, क्योंकि उन्हें लगा कि वहां भ्रमण करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

वहां पर जी-20 का समिट हुआ। वह सबसे ज्यादा कामयाब हुआ, यह मैं नहीं कह रहा हूं, जो विदेशी डेलीगेशन आए थे, उन्होंने कहा है। डीडीसी के चुनाव हुए। वहां भारी संख्या में मतदान हुआ। वह जमाना चला गया, जब 10 प्रतिशत मतदान होता था। अब ये तो सामने हैं, ये आंकड़े हैं, ऑन रिकॉर्ड है। इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं और मैं कहना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरी क्या मजाल कि मैं इतने सीनियर लोगों को खफ़ा करूं?

I am just reading out the facts which are registered in the records. अभी सेंट्रल की स्कीम्स लागू हुई हैं। J&K is the first Union Territory or the first State in the country which has implemented 100 per cent universal Ayushman Bharat. अब मैं उन स्कीम्स के विस्तार में नहीं जाऊंगा। गृह मंत्री जी के जवाब में आपको वह मिल जाएगा। आप कश्मीरी गवर्नेंस की बात करते हैं। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। कश्मीर की छवि का कुछ नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मोदी जी ने देश भर में 1 जनवरी, 2016 में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी, ताकि सरकारी नियुक्तियों में लेवल प्लेइंग फ़िल्ड रहे, क्योंकि यह शिकायत आया करती थी कि किसी को रिटन में 100 अंक मिलते थे, तो उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता था। जम्मू-कश्मीर में ये कानून राज्यपाल शासन लगने के बाद लागू हुआ है। धारा 370 की आड़ में नहीं लगाया गया, ताकि अपने लोगों को हम कैसे नियुक्तियां दे सकें। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूं। वहां पर अभी सेल्फ अटेस्टेशन लागू हुआ।

अब तो खैर और भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधित्व को लेकर यह बात है। I think after the partition of India, after the creation of Pakistan, the biggest exodus which has ever happened is in Kashmir, and that too within the

country. It does not have the equal parallel with 1947 because that was the partition resulting from the creation of a separate State. Here within the country, you had displacement of such a huge population, leaving their homes and hearths overnight.

अगर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो क्या यह हमारी सामूहिक जिम्मेवारी नहीं है? कोई भी राजनैतिक दल क्यों न हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों न हो, भारतीय जनता पार्टी क्यों न हो, कांग्रेस क्यों न हो, is it not our collective responsibility to restore that sanctity, their culture and tradition of Kashmir for which Kashmir is known over all the world? And is that possible in the absence of Kashmiri Pandits? कश्मीरी पंडित की अनुपस्थिति में क्या वह कश्मीर की रिवायत, कश्मीर की तहजीब और संस्कृति के लिए कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता था, भूल गए। अगर यह किया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें आपत्ति क्या है?

अभी लद्दाख की बात आई। जामयांग जी ने बहुत सारी स्कीम्स की बात की, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण बात भूल गए। मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि सन् 1948 में सबसे पहली बार यूनियन टेरिटरी की मांग को लेकर लद्दाख का एक डेलीगेशन दिल्ली आया था। वह तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से मिला था। तब से लेकर आज तक 70 साल हो गए हैं, कई प्रधानमंत्री आए, गए, कई सरकारें आईं, गईं, शायद यह हमारी किस्मत में था, लद्दाख की किस्मत में था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना।

This is a fact of history. This can be checked. This is the political sequence which makes us believe otherwise. इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। अभी दादा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद वहां पर जंग हुई। जैसा मैंने कहा कि there was a series of Nehruvian acts of omission and commission. अगर आकाशवाणी भवन जाकर नेहरू जी बिना अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए

हुए यूनीलेट्रल सीजफायर डिक्लेयर न करते तो आज यह पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, भारत का हिस्सा होता, जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता, लेकिन पीओके अलग न होता। आज गृह मंत्री को उनके लिए नोमिनेशन ही नहीं लानी पड़ती।

SHRI MANISH TEWARI: Mr. Minister, I personally have a lot of respect for you. But the archival documents which have been unveiled very clearly say that the military advice which Prime Minister Jawaharlal Nehru was receiving from his Commander-in-Chief and the General Staff was that the war had reached a stalemate. Therefore, there was no possibility of making any further gain. That is why the ceasefire happened. If you do not have faith in me, you can Google a *Guardian* article which was published just a couple of months back citing the Nehru archives and citing the advice of the Commander-in-Chief of the Indian Army who said that a stalemate had been reached and no further progress was possible. That is why a ceasefire was called.

DR. JITENDRA SINGH: I fully trust you. ... (*Interruptions*) Dada, I am not yielding. आप एक मिनट बात होने दीजिए, ऐसा नहीं है। Manish ji, I fully trust you but I will not allow myself to get distracted by this tilted argument. The fact is that the head of Government is the Prime Minister. So, it is the responsibility of the Prime Minister. हमें तो यही कहना है कि प्रधान मंत्री ने जाकर सीजफायर की घोषणा की, हमें यह नहीं कहना है कि उनको रसोई घर में किसी ने सलाह दी थी या किसी और ने सलाह दी थी तो उसको कसूरवार ठहराएंगे। The ultimate responsibility will lie on the Head of the State and the first Minister of the country. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The entire country is watching this debate. We should not shift the blame here and there. This all happened in the British rule.

DR. JITENDRA SINGH: This matter will come up for discussion. If tomorrow somebody decides to hold an investigation into why Prime Minister Nehru went and declared ceasefire, we can give this argument: "So and so advised him; he was misguided", etc. etc. But the fact of the matter is, as the whole world saw, it was the Prime Minister speaking on the Akashvani. So, that is what the entire world knows. ... (*Interruptions*)

Therefore, not taking much time, अब यह बात आ रही है कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? शुरू से ही यह वाक्य शुरू हुआ। मुझे लगा कि यह सवाल ट्रेजरी बैंच से पूछा जा रहा है या इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है? You can ask the Election Commission but not here. हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24x7x365 कोई भी चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, विधान सभा का चुनाव हो, लोक सभा का चुनाव हो, इस तरह से सक्षम है कि उसको रात को सोते हुए भी जगा लें तो उठकर भारत माता की जय कहकर निकल पड़ता है। हमारी तरफ से इनकार नहीं है। एक उचित प्रणाली है। हम संवैधानिक संस्थाओं में दखल नहीं देते हैं। Possibly your thought is conditioned by what the UPA was doing, what the Congress was doing. You were dictating the constitutional bodies. We do not ... (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: Mr. Minister, the Election Commission said that there is a void and this void has to be filled quickly to hold election. Why do you not hold elections? ... (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: Absolutely, Sir. Whenever the Election Commission announces, we are ready. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I think, tomorrow the Home Minister is going to reply.

... (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: I am going to conclude. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Legitimate questions were asked by Manish and you. I think, the answer will be given by the Home Minister tomorrow.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I would like to know whether there is any provision, or anything from this Government, that the Government would not be able to persuade the Election Commission until such a situation has come that election needs to be held. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adhir, hon. Minister is participating in the debate. The reply has to be given by the hon. Home Minister. Questions have already been raised.

DR. JITENDRA SINGH: The Election Commission has its own mechanism of gathering inputs as per its requirement and then it takes a final call. So, let us all trust the wisdom of the Election Commission and not appear to be interfering in its functioning. Maybe, UPA was doing it, Congress was doing it. They think that we also do it but we do not do it.... (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: Then, why are you not holding elections? ... (*Interruptions*)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अब यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, संविधान लागू नहीं हो रहा है, लोकतंत्र लागू नहीं हो रहा है। But we were the Party which introduced the three-

tier system. I am now concluding. डीडीसी का चुनाव पहली बार, 65-70 साल के बाद, जम्मू-कश्मीर में हुआ तो अब हुआ, आज से तीन साल पहले, तो उसमें क्या रुकावट थी। ...

(Interruptions) No, Sir, that is a fact. You did not have Zila Parishads earlier.

Why is it so? And the Parties which were ruling were swearing by autonomy

and self-rule. ... *(Interruptions)* So, how can autonomy be conceivable unless it

is autonomy at the ground. To me and to any student of democracy, self-rule

means the rule of the ground, rule of the grassroots. Autonomy has to be born

of the grassroots. It should not be the autonomy of the family or self-rule of the

family. We have given true self-rule to Jammu and Kashmir. We have given

true autonomy to Jammu and Kashmir. And therefore, please trust us. What

happens in future also, will be in the best interests of the people of Jammu and

Kashmir.

We are now heading to a very crucial 25 years before we end up in

2047, and Jammu and Kashmir has started discovering its unexplored

resources. Today, we have a huge lithium store which has been discovered in

Reasi. We have the world's highest railway bridge in Jammu and Kashmir. We

have also the longest road tunnel in Asia, in Jammu and Kashmir, Chenani-

Nashri which is named after Dr. Syama Prasad Mookerjee. We have the

'Purple Revolution' -- which is being talked all over the world -- from Gulmarg

and Baderwah (Jammu and Kashmir), which is lavender. So many new

avenues and resources had remained unexplored earlier. Now, thanks to

Prime Minister Modi's drive and push, and also the technology, we are

discovering that. And I am sure that in the next 25 years when India reaches

that pedestal, which you have envisaged, Jammu and Kashmir is going to add maximum value to achieve that target. So, we have a very critical role. I call upon all of us to become a party of that journey of ascent of India of which Jammu and Kashmir is going to play a lead role.

Thank you, hon. Chairperson, Sir.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक, 2023 पर अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से मैं बात रख रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त करने के चार साल बाद केन्द्र सरकार ने सामाजिक बदलाव लाने का एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वंचित और पिछड़े वर्गों को दूसरे राज्यों की तरह संवैधानिक अधिकार देने की दिशा की ओर कदम बढ़ाए हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूँ।

माननीय सभापति जी, 5-6 अगस्त, 2019 में भारतीय संसद में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को रद्द किया था, जो कि केन्द्र सरकार का बहुत सराहनीय कदम था। जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी ऐसा नहीं लगता था कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में जो पीड़ित हैं, उनकी हालत को देखा जाए तो जम्मू संशोधन विधेयक के जरिए केन्द्र सरकार ने प्रदेश की एसटी की सूची में पहाड़ी, गड्डा, ब्राह्मण, पदारी जनजाति और कोली समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया है।

यह बहुत ही सराहनीय कदम है। जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए थे, तब दिल्ली, बंगलुरु और पुणे जाने का विकल्प जम्मू कश्मीर के पीड़ितों ने अपनाया था। जम्मू कश्मीर सरकार

के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्तमान में 46,517 परिवार हैं, जिनमें 1,58,976 व्यक्ति जम्मू कश्मीर सरकार के राहत संगठन के साथ पंजीकृत हैं, जिन्होंने पिछले तीन दशकों में पंजीकरण किया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो पीड़ित व्यक्ति है, खासकर जम्मू कश्मीर में रह रही जो पीड़ित जनजाति है, उसमें से ज्यादातर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई और कश्मीरी हिंदुओं को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ा। ऐसे कई सारे परिवार हैं, जिनके कुछ लोग भी आज बचे नहीं हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि कई पार्टियों को ऐसा नहीं लग रहा था कि धारा 370 हटा दी जाएगी और जम्मू कश्मीर के परिवारों और लोगों को राहत मिलेगी। आज केवल यह राहत ही नहीं, बल्कि आगे चलकर वहां के लोगों को राजनीतिक रिजर्वेशन भी मिलेगा। आज अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो लोग माननीय मोदी जी को बधाई देते हैं, क्योंकि वहां पर आज तक लोग बंदूक की नौक पर जी रहे थे। आज वहां पर लोग पूरी शांति से जी रहे हैं। जिन लोगों ने अपने हाथों में पत्थर लिए थे, उनको काम देने का प्रयास माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है।

इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहां पर यह बात भी रखूंगा कि जब सन् 1990 में यह सब हुआ, उसके बाद वर्ष 1995 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की सरकार बनी थी, तब बाला साहेब के नेतृत्व में पीड़ित पंडितों को, खासकर महाराष्ट्र में एजुकेशन रिजर्वेशन देने का प्रयास किया गया था। आज भी महाराष्ट्र में जितने भी पीड़ित पंडित रहते हैं, उनके घरों में बाला साहेब ठाकरे जी की फोटो है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन देने का काम किया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे कई राज्य हैं, जहां पर जाति के आधार पर आंदोलन होते हैं, जाति के आधार पर कोई बँटवारा चाहता है। मैं खासकर महाराष्ट्र की एक बात कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में मराठा समाज काफी बड़ी संख्या में है। आज मराठा समाज वहां पर

आंदोलन कर रहा है। ओबीसी समाज भारी मात्रा में आंदोलन कर रहा है। इसलिए समाज-समाज में दूरी न हो, उसके लिए केन्द्र सरकार को, माननीय प्रधान मंत्री जी को उस पर ध्यान देकर समझौता करवाना चाहिए। किसी का भी रिजर्वेशन कम नहीं करके पूरी तरह से मराठा समाज के जितने भी पीड़ित लोग हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जिनको आरक्षण देने की आवश्यकता है, उसमें राज्य सरकार से मिलकर, समझौता करके मराठा समाज और ओबीसी समाज को न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी पर लोगों को भरोसा है। वे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें केन्द्र की तरफ से सहायता होनी आवश्यक है। मैं फिर से माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने का प्रयास माननीय प्रधान मंत्री जी ने ही किया है। विपक्ष के लोगों को कुछ भी कहने दीजिए, लेकिन मैं एक साल पहले जम्मू कश्मीर में गया था, तब मैंने देखा कि लोगों के दिलों का डर हट गया है। लोगों के दिल में पूरी तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा सहायता करने जैसा माहौल है और जैसा कि देश से या विदेशों से जितने पर्यटक आए हैं, उतने पर्यटक इतने सालों में नहीं आए हैं। आज विदेशों से पर्यटक जम्मू कश्मीर में आते हैं और जब पर्यटक आते हैं तो पूरे देश की आर्थिक रूप से भी सहायता होती है। मैं फिर से माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इन दोनों विधेयकों पर मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से सहमति देना चाहता हूँ।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reservation and Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 to express the views of CPI(M) Party.

These Bills are nothing but an attempt by this Government to keep alive the Kashmir issue ahead of coming parliamentary elections. We have no objection in providing reservation to the communities or nominating members of unrepresented communities. But that should not be for skewed political interests.

Sir, I wish to draw your attention as to how this Government has treated the Anglo-Indian community in this country by taking away the nominated seats from them in Lok Sabha as well as State Assemblies including Kerala a few years ago, which existed there since 1951. Regarding nomination, giving the power to the Lieutenant Governor to nominate members is nothing but giving the BJP power to nominate members.

Now, I am coming to the reservation for Scheduled Tribes. We know about the double standards of the BJP Government. We have seen the Government boasting about electing the President from the Scheduled Tribe community and, at the same time, keeping her away from the inaugural ceremony of this new building of Parliament. The President is the sole custodian of the Parliament. The President gives assent to the Bills, sends summon to the Members and addresses both the Houses. So, she is the first and the most eligible person to inaugurate the new building of Parliament. But you purposely kept her away from the inaugural ceremony. Now, you are

speaking about the reservation given to the Scheduled Tribes! Giving reservation to SCs and STs is nothing but a ceremonial piece like a cherry on top of the cake. But the core of it is still hatred towards the downtrodden sections. This kind of discussion was necessitated by the BJP Government's out-of-the way decision to take away the special status of the State of Jammu and Kashmir by virtue of Article 370 of our Constitution and reorganise it into two Union Territories. We all should understand one thing. It was against the wishes of our constitutional forefathers, who had promised to keep high the aspirations of the people of Jammu and Kashmir while agreeing to join the Dominion of India.

Our ancestors have regarded Jammu and Kashmir as the crown of India at the top. But this Government has downgraded Jammu and Kashmir to the status of a clown. Only because the majority of the people are Muslims whom RSS oppose ideologically, the special status of Jammu and Kashmir was abolished, which itself shows the intolerance of the BJP Government.

I wish to remind the Government that they had also not kept the promise of holding the election of the Jammu and Kashmir Assembly as hon. Amit Shahji had promised on the floor of this House many times. I wonder when the 'appropriate time' comes. Will it come at the end of this century? This Government including its Ministers is repeating the rhetoric that it has successfully conducted the elections to the local government bodies. But what is the reality? I had been in Jammu and Kashmir as a Member of Parliament to participate in the study tour of the Standing Committee on Housing and Urban

Affairs a few months back. How can this Government claim it a success with the turnout of just 15 to 20 per cent voters? About 80 per cent of the voters did not participate in the local body elections. I could not also witness any kind of development revolution in Kashmir as claimed by this Government and Member of Ladakh excepting implementing the schemes like Jal Jeevan Mission, PMAY, Make in India etc. etc.

Sir, even after the abrogation of Article 370, the Union Government could not control the incidents of terrorism in the Valley. The terrorist activities are still continuing there. We all know that RSS has put forward four political agendas as its declared goals. The first one is the abolition of Special Status of Kashmir. The other one is the demolition of Babri Masjid alongwith the enactment of Citizenship Act to deny citizenship to Muslims on the basis of religion and finally, the Uniform Civil Code. In all respects, the BJP Government is preparing to transform India into a Hindu-religious State. We have just seen the portrayal of Dhanwantri, a Hindu God, replacing the national symbol in the logo of the National Medical Commission. It is just a beginning, Sir. The BJP Government is portraying the victory in the recently held assembly elections in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh as a license to act according to its whims and fancies. I wish to remind that they still they do not have the mandate. If half of the voters of India stand united, the opposition parties have a strong chance to win.

At the end, on behalf of the family members of great martyrs of Pulwama, I urge upon the Government to conduct a free and fair judicial

enquiry upon the truth revealed by the former Jammu and Kashmir Governor Shri Satya Pal Malik on the Pulwama incident.

With these words, I conclude my speech.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. I rise to support the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 but to oppose the Jammu and Kashmir State Reorganisation (Amendment) Bill, 2023.

Sir, when Jitendra Singh ji was speaking and Sougata Ray ji was rightly commenting from this side also, he was specifically narrating the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, the architect of a new India. He used a phrase 'Nehruvian blunders'. I am not going into the details of wonderful achievements made by Pandit Jawaharlal Nehru, the secular fabric and the secular symbol of India. India is the Union of India only because of Pandit Jawaharlal Nehru and Kashmir is still an integral part of India just because of the policy enunciated by Pandit Jawaharlal Nehru. It is just because of his diplomatic policies that Kashmir is with us; otherwise, the situation of India would have been different. The present position would not have been there as far as Kashmir is concerned.

So, I urge upon the hon. Minister to kindly withdraw that word 'Nehruvian blunders' as far as this Kashmir issue is concerned. Such type of observation is not expected from a responsible Cabinet Minister.

Sir, as far as the first Bill is concerned, Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, it is absolutely a harmless Bill. The socially and

educationally backward classes, definitely, have to be substituted from weak and under-privileged classes. I fully agree with it. That should be passed. There is no doubt about it.

As far as the Jammu and Kashmir State Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 is concerned, we are all well aware that on 5th and 6th of August 2019, elaborate discussion took place regarding Article 370 and the Jammu and Kashmir State Reorganisation Bill. At that time, we had made our reservations.

Sir, I would like to know from the hon. Home Minister what the constitutional propriety of this Government is, as it is going for an amendment to a Bill which has already been made by the Parliament and is pending before the Supreme Court for final verdict? To my limited information, the hearing of the matter is already over. The matter is pending before the Supreme Court. We all know that a matter which is pending before the Supreme Court can never be discussed even in the House. That is the rule which is being observed by us. But here, what the Government is doing is this. The Government is moving an amendment to a Bill which is pending before the Supreme Court for final verdict. The hearing is over. Why do the Government not wait for the final verdict where the constitutional validity of the Bill is being questioned? It is a five-member Constitution Bench which is looking after this issue. When that matter is pending, you are bringing an amendment. This means, it is not the *bona fide* intention to give reservation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also not the intention to give reservation to

the Kashmiri migrants and the displaced persons. The intention of the second Bill, that is, the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill is lacking bona fides. Hence, I oppose the Bill on that ground itself because it is a matter pending before the Judiciary. We know the Rules of Practice and Procedure. As per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, no matter which is pending before the Supreme Court can be discussed in the House. That is the precedent; that is the convention. At the same time, the Government is coming with an Amendment Bill so as to amend a Bill which is pending before the Supreme Court. It is not good as the five-member Constitution Bench is looking into the constitutional validity of the Bill. That is the first point I would like to make.

Sir, coming to the Bill, there are two Sections – Section 15A and Section 15B through which two new provisions are to be incorporated other than ‘reservation’. Section 15A states:

“Notwithstanding anything contained in sub-section (3) of section 14, the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir may nominate not more than two members, one of whom shall be a woman, from the community of Kashmiri Migrants, to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly.”

By virtue of Section 15B, the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir may nominate one member from displaced persons from Pakistan occupied Jammu and Kashmir to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly. My question is, what is this nomination? You have not

reconstituted the Legislative Assembly; you are not ready for an election process; you know that the delimitation process is already complete; and almost all the formalities have already been completed. Why is there an inordinate delay in having the elections? Why is there an inordinate delay in reconstituting the State Legislative Assembly? Why are you providing this unfettered authority to nominate a particular person from a particular community to the Lieutenant Governor? It is inferring the fact that you are not going to conduct the elections. You have no proposal and no intention to have proper elections so as to put up a populist Government in the State of Jammu and Kashmir. That is why, you are giving the authority of nomination to the Lieutenant Government. It means, you do not believe in a populist Government. This nomination process has to be taken back. At least, the nomination of a particular person should be on the advice of the elected Government or that of the State Legislative Assembly. Unfortunately, that is not being done and this unfettered authority discretion is being provided to the Lieutenant Governor by virtue of Section 15A and Section 15B. That is totally undemocratic, which is to be opposed. I urge upon the Government to kindly review the position of nomination by the Lieutenant Governor. Instead, you may give the authority to the State Legislative Assembly so as to elect two representatives – one from the 'Displaced Persons' category and another from the 'Kashmiri Migrants' category. That is the proper democratic way by which two persons from these two categories have to be elected. That is the second point I would like to make.

Sir, my third point is this. During the general discussion on the Kashmir issue on 5th and 6th August, 2019, an assurance was given by the hon. Home Minister, Shri Amit Shah ji that the elections will be conducted at the earliest and the populist Government would be put in place.

I still remember he had used the words 'at the earliest'. Also, there was a genuine demand from all the corners, from all walks of life. Everybody was demanding to get back the Statehood status. That should also be considered. These were the two promises being made by the hon. Home Minister. I think the first is, at the earliest the election would be conducted and a populist Government would be put in place in place of the governance by the Lieutenant Governor. That would be done was the promise. But unfortunately - - this is at the fag end of 2023 calendar year -- even after five years of gap, the Union Government is not able to reconstitute the State Legislative Assembly and conduct the election. Then, how can you win the confidence of the people of Jammu and Kashmir? That is the question.

Why is the Government not able to conduct the election? Why are you not able to reconstitute the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir Union Territory? Why? That itself shows that you are not able to bring back normalcy in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Is this not the reason why the election could not be held? Is this not the reason why the Legislative Assembly could not be constituted? That is why, we are suggesting that normalcy has to be brought back. ... (*Interruptions*) Sir, I am concluding.

Almost all the Members have already spoken about this. Recently, a Commanding Officer of a battalion was killed. A Major was killed. Three Captains were killed. So many police and security personnel have already been killed. But you are claiming that the normalcy has come back. ... *(Interruptions)* Sir, this is my last point.

At the same time, a new term has been spelt out by the security forces that there is hybrid militancy. Yes, I do agree that there is no stone pelting in the Union Territory of Jammu and Kashmir but hybrid militancy is there and it is being admitted by the security personnel of Jammu and Kashmir. So, that is the reason why you are not able to hold the election and bring back normalcy in the Union Territory. My suggestion is, first you have to take the people of Jammu and Kashmir into confidence. Without taking the people of Jammu and Kashmir into confidence, you can never win over in the political and turbulent situations in the Union Territory of Jammu and Kashmir. But that is still lacking.

You are trying to take political advantage out of the Kashmir situation but not trying to win the minds and the hearts of the people of Jammu and Kashmir. Once you do that, then only you can win over the situation in the Union Territory of Jammu and Kashmir and bring back normalcy. The Government has to take positive steps or initiatives for that.

First, of the major steps to be taken to bring back normalcy is to hold the election, and the second is to give back the Statehood status to the Union Territory of Jammu and Kashmir.

With these points, I conclude. Thank you very much.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : मोहतरम चेयरमैन साहब, शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं, The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 और The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 की मुखालिफत में खड़ा हूँ।

सर, ये दोनों बिल हमारे आईन के खिलाफ हैं। The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023, जो कि दूसरा बिल है, यह न सिर्फ हमारे आईन के खिलाफ है, बल्कि The Representation of People Act, 1951 के भी खिलाफ है।

सर, चूंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूँ कि डिसप्लेस्ड पर्सन्स की जो डेफिनेशन दी गई है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सच नहीं है कि 1989 में करण में, करना में, पुंछ में, राजौरी में, जब हमारी फौज वहां गई थी, तो 28 गांवों के लोग हमारे वतन-ए-अजीज़ की सरजमीं छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए? आज तक 2001 का सेंसेस, 2011 का सेंसेस यह कहता है कि ये अनइनहैबिटेटेड गांव हैं। आप उनके लिए इसमें प्रोविजन क्यों नहीं रख रहे हैं? प्रोविजन रखना जरूरी है।

जितने लोग वहां गए हैं, वे मुजफ्फराबाद में रहते हैं। ये 40,000 के करीब हैं, जिनमें से सिर्फ तीन फीसद कश्मीरी हैं, बाकी सब गुज्जर और पहाड़ी हैं। इन्होंने हमारी फौज को जमीन दी और आप उनको भूल रहे हैं? आप केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रोविजन रख रहे हैं? इन लोगों को आप नजरंदाज कर रहे हैं।

सर, दूसरी बात यह है कि आप नॉमिनेशन करेंगे, नामज़द करेंगे। कौन नामज़द करेगा? क्या आवाम की मुंतखिब-शुदा हुकूमत की सिफारिश पर एलजी नामज़द करेगा या दिल्ली से नामज़द करेंगे? आप यहां से कंट्रोल कर रहे हैं। यह तो आईन के खिलाफ है। आप जम्हूरियत को सबवर्ट कर रहे हैं। आवाम का जो मैन्डेट है, जो फैसला है, उसे आप सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

सर, तीसरी बात मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है कि आप कश्मीरी पंडितों के लिए यह रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं? आप कश्मीरी पंडित का नाम तो लीजिए। अगर आप यह करना चाह रहे हैं, तो यह बताइए कि कश्मीर में सिक्कोरिटी थ्रेट है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्कोरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्कोरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आपके आर्टिकल 370 निकालने के बाद वहाँ पर हर महीने पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं? हर महीने 5-5 लोग मरते हैं। कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो क्या आपने नॉर्मलसी रिस्टोर किया है? आप लोगों ने कुछ रिस्टोर नहीं किया? हमारे सिपाही मर रहे हैं, मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि आर्टिकल 370 को निकालकर हमने अमन कायम कर दिया।

जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल्स थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल्स बचे हुए हैं। बताइए आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया आर्टिकल 370 निकालकर? पूरे पंजाब से लोग आकर जम्मू को टेकओवर कर रहे हैं। वहाँ का पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब करके रख दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोग, आप विंटर में सेक्रेटेरिएट मुख्तलिफ करते थे। पूरी जम्मू की इंडस्ट्री को आपने बर्बाद कर दिया है। सारे होटल खाली हैं। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूँ कि आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट में क्या आपने एक कमरा भी बनाया है? अंबानी साहब हैं, अडाणी साहब हैं, टाटा साहब हैं, सब हैं, लेकिन आपने वहाँ पर एक कमरा नहीं बनाया। एमओयूज तो करोड़ों रुपये के हो गए, आपने ख्वाब तो इतने दिखाए, लेकिन बेचारे कश्मीर के लोगों के वे ख्वाब तो पूरे नहीं होते हैं। आप जम्मू में करके दिखाइए, श्रीनगर तो दूर की बात है। आखिर में मैं हुकूमत से जानना चाहता हूँ कि आप इलेक्शन कब करवाएंगे? 2024 का इलेक्शन तो आप करवा लेंगे। आपने जरीमैंडरिंग करके वहाँ पर कांस्टीट्यूएन्सी तो बना दीं, लेकिन अब भी आपको डर हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जम्मू में नहीं जीत पाओगे, वैली तो दूर की बात है। वैली में तो मुझे यकीन है कि नेशनल कांफ्रेंस और सब लोग निकाल लेंगे। आप जम्मू भी लूज करेंगे... (व्यवधान)

ڈॉ. نیشیکاंत دُبے : آپ نہیں لڈینگے! آپ جम्मू-کشمیر مین نہیں لڈینگے!

شری اَساَدُذین اَوَیسی : آپکی ہماری ڈیل نہیں ہڈی ہاے! یے بول دینگے کی ڈیل ہو گڈی! ہمارا ہال تو لایلا کا ہو چوکا ہاے!

سر، ہم نہیں گے تو بھی آپ لوگ مڈھ پردهس جیت گے! آپ مےرے بگےر مڈھ پردهس کسے جیت گے? ... (بڈبڈان)

سر، مین اپنی بات سمان کر رہا ہوں! نیشیکاंत جی کو ڈےڈرخانی کرنے کی آدات ہاے! اب انکو جوا ب میل گیا ہاے!

مین ہوکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کی آپ اَسبلی کے اِنڈتِا باات کب کرواینگے? آپ کڈوں لڈاخ مین انکو سبڈی دے رہے ہاے! آپنے آرٹیکل 370 نکالا کڈوں? لڈاخ کا لوکل بڈڈی کا اِلکشن تو آپ ہار چوکے ہاے! آپ فڈرن اِنڈتِا باات کرواڈے تاکہ وہاں پر جمڈھریت بھال ہو سکے! آپ کب تک دِللی سے ہوکومت کرینگے? اِسلیے مین اِن دونوں بِلس کی مڈخالفت کرتا ہوں! شُکریا!

[جناب اسدالدين اویسی (حیدرآباد): محترم چیرمین صاحب، شکر یہ آپ نے

مجھے بولنے کا موقع دیا میں، The Jammu and Kashmir Reservation

(Amendment) Bill, 2023 and The Jammu and Kashmir Reorganisation

(Amendment) Bill, 2023 کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔

سر، یہ دونوں بِل ہمارے اِنین کے خلاف ہیں، The Jammu and Kashmir

Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 جو کہ دوسرا بِل ہے، یہ نہ صرف

ہمارے اِنی کے خلاف ہے، بلکہ The Representation of People Act, 1951 کے

بھی خلاف ہے۔

سر، چونکہ وقت بہت کم ہے، اس لئے میں اس کم وقت میں اس ایوان

کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ڈسپلینڈ پرسنس

کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، اس میں، میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 1989 میں کرن میں کرنا میں، پونچھ میں راجوری میں جب ہماری فوج وہاں گئی تھی، 28 گاؤں کے لوگ ہمارے وطن عزیز کی سر زمین چھوڑ کر پڑوسی ملک چلے گئے؟ آج تک 2001 کی مردم شماری، 2011 کی مردم شماری یہ کہتی ہے کہ یہ ان انہیبیٹیڈ گاؤں ہیں۔ آپ ان کے لئے اس میں پروویزن کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ پروویزن رکھنا ضروری ہے۔

جتے لوگ وہاں گئے ہیں، وہ مظفرآباد میں رہتے ہیں۔ یہ 40000 کے قریب ہیں، جب میں سے صرف 3 فیصدی کشمیری ہیں، باقی سب گجر اور پہاڑی ہیں۔ انہوں نے ہماری فوج کو زمین دی اور آپ ان کو بھول رہے ہیں؟ آپ صرف انہیں لوگوں کے لئے پروویزن رکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔

سر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نومینیشن کریں گے، نامزد کریں گے۔ کون نامزد کرے گا؟ کیا عوام کی منتخب شدہ حکومت کی سفارش پر ایل-جی۔ نامزد کریں گے۔ یا دہلی سے نامزد کریں گے؟ آپ یہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ تو آئین کے خلاف ہے۔ آپ جمہوریت کو سبورٹ کر رہے ہیں۔ عوام کا جو مینڈیٹ ہے، جو فیصلہ ہے، اسے آپ سبورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

جناب، تیسری بات میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کشمیری پنڈتوں کے لئے یہ ریزرویشن کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کشمیری پنڈتوں کا نام تو لیجیئے۔ اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کشمیر میں سیکیوریٹی تھریٹ ہے یا نہیں ہے؟

آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیکیوریٹی تھریٹ نہیں ہے۔ جب سیکیوریٹی تھریٹ نہیں ہے تو پھر آپ نومینیشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آخر کیوں آپ

کے آرٹیکل 370 نکالنے کے بعد وہاں پر ہر مہینے پاکستان سے دہشت گرد آکر سری نگر میں گولی مارتے ہیں، راجوری میں مارتے ہیں؟ ہر مہینے 5-5 لوگ مرتے ہیں۔ کیپٹن مرتا ہے حوالدار مرتا ہے، لیفٹیننٹ کرنل مرتا ہے، تو کیا آپ نے نارملسی ری اسٹور کیا ہے؟ آپ نو کچھ ری اسٹور نہیں کیا ہے؟ ہمارے سپاہی مر رہے ہیں، مگر آپ باجا بجا رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 نکال کر ہم نے امن قائم کر دیا۔

جموں کے ڈوگرا لوگوں کا آپ نے بہت بڑا نقصان کر دیا۔ 112 رانس ملس تھیں، اب صرف 6 رانس ملس بچی ہیں، بتائیے آپ نے کونسا بڑا تیر مار دیا آرٹیکل 370 نکال کر؟ پورے پنجاب سے لوگ آکر جموں کو ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ وہاں کا پولیٹیکل اکیویٹی بریم آپ نے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے۔ چیمبر آف کامرس لوگ، آپ ونٹر میں سیکریٹیریٹ مختلف کرتے تھے۔ پوری جموں کی انڈسٹری کو آپ نے برباد کر دیا ہے۔ سارے ہوٹل خالی ہیں۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں کیا آپ نے ایک کمرہ بھی بنایا ہے؟ ایم۔ او۔ یوز۔ تو کروڑوں روپے کے ہو گئے ہیں، آپ نے خواب تو اتنے دکھائے، لیکن بے چارے کشمیر کے لوگوں کے وہ خواب تو پورے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ جموں میں کر کے دکھائیے، سری نگر تو دور کی بات ہے۔ آخر میں، میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن کب کروائیں گے؟ 2024 کا الیکشن تو آپ کروا لیں گے۔ آپ نے جری مینڈرنگ کر کے وہاں پر کانسٹی ٹیونسی تو بنا دی، لیکن اب بھی آپ کو ڈر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جموں میں نہیں جیت پاؤ گے، ویلی تو دور کی بات ہے۔ ویلی میں تو مجھے یقین ہے کہ نیشنل کانفرنس اور سب لوگ نکال لیں گے۔ آپ جموں بھی لوز کریں گے۔

آپ کی ہماری ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ یہ بول دیں گے کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ ہمارا حال تو لیلیٰ کا ہو چکا ہے۔

سر، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ نشی کانت جی کو چھیڑ خانی کرنے کی عادت ہے اب ان کو جواب مل گیا ہے۔

میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسمبلی کے انتخابات کب کروائیں گے؟ آپ کیوں لداخ میں ان کو سیفٹی دے رہے ہیں، آپ نے آرٹیکل 370 نکالا کیوں؟ لداخ کا لوکل بوڈی کا الیکشن تو آپ ہا رچکے ہیں۔ آپ فوراً انتخابات کروائیے تاکہ وہاں پر جمہوریت بحال ہو سکے۔ آپ کب تک دہلی سے حکومت کریں گے؟ اسی لئے میں ان دونوں بل کی مخالفت کرتا ہوں۔ شکریم]

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): चेयरमैन साहब, आपने मुझे दी जम्मू एंड कश्मीर रीआर्गनाइजेशन एक्ट एंड दी जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

जो लोगों में कन्फ्यूजन है, जो अथॉरिटीज़ में कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने में ये एक्ट काफी मददगार सिद्ध होंगे। हम कश्मीर और कश्मीरियत की बेहतरी के लिए, वहां जम्हूरियत की स्थापना के लिए, कश्मीर की तरक्की और खुशी के लिए जितना साथ सरकार दे, हम उनका साथ देने को तैयार हैं। मगर, कश्मीर की जो जम्हूरियत है, जम्हूरी कदरें कीमतें हैं, उसको पहले सरकार को उस स्टेट को देनी चाहिए, उन लोगों को देनी चाहिए, जिसके वे हकदार हैं।

सर, कश्मीर के लोग कब से उम्मीद कर रहे हैं कब हमारे यहां चुनाव हों, हम अपनी सरकार चुन सकें। जैसे मेरे से पहले मनीष जी ने कहा था कि बिना देरी के इसकी टाइमलाइन सरकार को देनी चाहिए। सरकार की ओर से जितने लोग बोले हैं, उन सबने कश्मीर में एक शांति, पीस और तरक्की के दौर की बात कही है। अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं समझता हूं कि वहां चुनाव कराने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए।

महोदय, बैकवर्ड क्लास की जो नई लिस्ट है उसमें वागे, गिराथ, भट्टी, चंग, जाट, सैनी, मार्कवंस, सोची क्रिश्चियन बिरादरी में कंवर्ट होकर हिंदू वाल्मिकि से गए हैं, सुनार, तेली, हिंदू और मुस्लिम आदि जातियों को इसमें इन्क्लूड किया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पंजाब का कश्मीर के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आज भी जब कश्मीर में कोई बम या गोली की आवाज आती है तो पंजाब के किसी न किसी घर में, किसी न किसी गांव में रोने और विलाप की आवाज आती है। पंजाब का कोई न कोई सपूत बहादुरी से कश्मीर के लिए लड़ता हुआ शहीद हो जाता है। हमारे जो जट सिख हैं, सैनी सिख हैं, जो सिख स्वर्णकार हैं, उन्हें इस लिस्ट से वंचित किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए।

महोदय, एक बहुत अच्छे राज्य को राज्यों की श्रेणी से हटाकर यूटी में कंवर्ट किया है उसके लिए हमने देश को बताया कि इससे आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा और कश्मीर में तरक्की का नया दौर आ जाएगा। यह बहुत अफसोस की बात है कि जब से ऐसा हुआ है, कश्मीर की इकोनॉमी बुरी तरह मुरझा चुकी है और लॉ एंड आर्डर की स्थिति बहुत बुरी शेष में है। आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह से कश्मीर में करप्शन बढ़ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने देश के लोगों को वहां प्रोजेक्ट लगाने के लिए कहा और लोग आए भी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जो लोग इनवेस्ट करने के लिए गए, उन्हें जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए एसडीएम दस-दस लाख रुपये मांग रहे हैं। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका अभी से सिर कुचलेंगे तो कश्मीर के लिए अच्छा होगा।

महोदय, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर में उद्योग की बहुत बड़ी जरूरत है। कश्मीर में बड़ी ब्राह्मणा ऐसी जगह थी, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, यह जगह इनके संसदीय क्षेत्र में है, यह एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन आज यह खत्म हो गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने जो दो सीटें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आरक्षित की हैं। एक सीट मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए की है। आपको वर्ष 2000 का मंजर याद होगा, जब हमारे 43 सिखों को चित्तीसिंह पुरा में मार दिया गया था। मेरी गुजारिश है कि यह जो माइक्रो माइनोरिटी है, कम से कम इसके लिए एक सीट रिजर्व की जाए। मुझसे पहले माननीय सदस्य ने कहा था कि आपने जो सीटें आरक्षित की हैं या भविष्य में जो भी सीट आरक्षित की जाएगी, उसे कौन नामजद करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम लिखा है। इसका मतलब यह है कि आपके मनसूबे यह हैं कि वहां स्टेट गवर्नमेंट ही न आ जाए। जैसे राज्य सभा में भी कुछ सीटें रिजर्वेशन के लिए रहती हैं, जिसे प्रधान मंत्री रिक्मेंड करते हैं, कैबिनेट रिक्मेंड करती है और प्रेजीडेंट नामजद करते हैं। ऐसा एक प्रोसस उसमें भी बनाकर रखना चाहिए कि कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार होगी, वह रिक्मेंड करे और उन्हें ही नामजद किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक्रो माइनोरिटी के लिए आरक्षित सीट की

बात कही और जट सिख, सिख सुनार तथा सिख सैनीज हैं, उन्हें भी बैकवर्ड क्लास की लिस्ट का लाभ दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। भारत के गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023; और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, इन दोनों संशोधन विधेयकों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? वर्ष 2019 में, जब हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, उस पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक इतिहास रचने का काम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री जी ने किया था और पूरे देश ने उसका स्वागत किया था। मुझे लगता है कि आज भारत के इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी फिर जम्मू-कश्मीर के लिए एक नया इतिहास रचने का काम करने जा रहे हैं।

आज ये लोग इतनी बातें कह रहे हैं। आखिर लोग यह सवाल पूछेंगे कि इतने दिनों तक वहां असेम्बली थी, ये लोग वहां इतने दिनों तक हुकूमत में थे, बरसरे-इक्तिदार थे, सत्तारूढ़ थे, आखिर इसके बावजूद भी वहां जो बड़ी तादाद में लोग हैं, बड़ी जनसंख्या में हैं, जिन्हें आदिवासी कहते हैं, उन आदिवासियों को आरक्षण मिलने का काम क्यों नहीं हुआ था? इसका जवाब कौन देगा? आज ये नए सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसका जवाब हमारे माननीय जितेन्द्र सिंह जी ने दिया, हमारे अनुराग जी ने दिया, लद्दाख के हमारे साथी ने दिया और हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने दिया। इस संशोधन बिल के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाए, राजनीतिक आरक्षण दिया जाए, जिससे ओवरऑल उनका सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। इस उद्देश्य के साथ मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं। यह कितना पवित्र उद्देश्य है। जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, उनके लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। यह शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी है।... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सर, क्या ये माइग्रेंट्स हैं या डिस्प्लेस्ड हैं?

श्री जगदम्बिका पाल: महताब जी, ये तीन हैं - कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, और तीसरे शिड्यूलड ट्राइब्स हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इन तीनों के लिए यह संशोधन बिल है। आपने तो इस बात का समर्थन किया था, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, जिस दिन जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 की समाप्ति हुई थी, उस दिन 5-6 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर के लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने यह माना कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अटूट हिस्सा है। उस दिन दीवाली जैसी मनाई गयी थी। लेकिन, मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर में एक जो बड़ी जनसंख्या बकरवाल की है, गुजरवाल की है, आदिवासियों की है, तो वर्ष 2019 के बाद आज जब फिर से गृह मंत्री जी यह संशोधन विधेयक लेकर आए हैं और जब हम इस बिल को पास करेंगे तो यह केवल एक बिल पास नहीं होगा, बल्कि निश्चित तौर पर जम्मू-कश्मीर के आदिवासियों के घरों में दीवाली मनाई जाएगी कि भारत के पार्लियामेंट ने एक नया इतिहास रचने का काम किया है। क्या ये लोग सवाल करेंगे? ये लोग गरीबों की बात करेंगे, खेत-खलिहान की बात करेंगे, आदिवासियों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, ये बस गरीबी की बात ही करेंगे, गरीबी हटाने की बात नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि देश वर्ष 1947 में आज़ाद हुआ और हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद जब श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत के प्रधान मंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी - एनडीए की सरकार बनी तो पहली बार देश के सुदूर ओडिशा की एक आदिवासी महिला को देश के महामहिम राष्ट्रपति बनाने का हमने काम किया। हम केवल कहते नहीं हैं। हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला को जब प्रतिस्थापित किया तो यह पूरे देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ट्राइबल्स के लिए एक संदेश गया कि भारत इतना प्रगतिशील देश है। दुनिया में हर देश में ट्राइबल्स हैं। जो बड़े-बड़े विकासशील देश हैं, उन देशों में भी ट्राइबल्स हैं।

उन ट्राइबल्स को लगा कि भारत तो यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़, चाहे साऊथ एशिया हो, इनसे फार अहेड है कि आज भारत का सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद आदिवासी महिला को दिया

जा रहा है। यह उसी पुराने सदन ने किया था। आज फिर इसी नए सदन में जम्मू-कश्मीर में जो पहाड़ियों पर रहने वाले जानवरों को चराते थे, खानाबदोश जिंदगी जीते थे, न उनके पास आवास था, उनको शासन, गवर्नेंस और पॉलिटिकल रिज़र्वेशन मिले, उनको वहां की यूनियन टेरिटरीज़ की असेंबली में रिज़र्वेशन मिले। आज़ादी के बाद शायद यह कल्पना रहती। यहां जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे इस बात का जबाब दे दें कि आखिर इतनी बड़ी तादाद आदिवासियों की थी, क्यों नहीं आपने आरक्षण दिया? चाहे आप कितने दिनों तक ही हुकूमत में रहे हों। आप यूनिफाइड कमाण्ड की बात करते हैं। जब यह बिल पास होगा, वहां के तमाम लोगों को लगेगा कि मोदी जी की सरकार एक ऐसा काम कर रही है कि जो हमारे भले के लिए है।

महोदय, यहां पर आज बहुत से सवाल उठाए गए कि आज कौन सा नया इतिहास इसमें रच रहा है। अरे! नया इतिहास? आपने देखा नहीं, यह वही जम्मू-कश्मीर है, जो अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के पहले डिस्टर्ब रहता था। जम्मू-कश्मीर से सांसद उधर बैठे हुए हैं और वहां से आने वाले मंत्री जी भी हैं। महोदय, मैं वहां कई बार गया हूँ। पहले भी और बाद में भी जम्मू-कश्मीर जाता रहता हूँ। मुझे स्पीकर साहब ने भी वहां भेजा था। जब वहां लोकल बॉडीज़ का चुनाव हुआ, पंचायतों का चुनाव हुआ, स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ, उसके बाद चुने हुए लोगों के प्रशिक्षण के लिए एक ओरिएंटेशन कैंप था। वहां पर भी हमें हजारों लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला था। उन्होंने बताया कि वहां का जो हाई कोर्ट था, वहां भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारा तिरंगा झण्डा या राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था। आज अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के हर गांव की पंचायतों पर तिरंगा फहराने का काम हुआ है। यह नया इतिहास रचने की बात हो रही है। महोदय, पिछले दिनों जब 'मेरा माटी-मेरा देश' का एक अभियान चला और फिर तिरंगा यात्रा वहां पर निकली, यह अभी अगस्त 2023 की बात है, वहां जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकली तब वहां देश के अन्य राज्यों से कोई नौजवान नहीं गया, उस पूरे कश्मीर का युवा-युवतियों का जो हुजूम निकला, उसने पूरे देश को यह साबित कर दिया कि इससे लगता है कि अब कश्मीर में शांति हो रही है, जहां अतीत के उग्रवाद की परछाइयां थीं, वे विकास की रोशनी में तब्दीली हो रही हैं।

महोदय, आज कश्मीर किस तरफ बढ़ रहा है? ये लोग उद्योग, किसान और बिजली की बात करेंगे? अरे! किसी चीज़ को तो आप ध्यान से देखो? हमने यहां से बजट दिया और वहां उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में क्या विकास हो रहा है, यह आप देखिए। आप किसानों की बात कर लीजिए। जब मैं बात करता हूँ तो हमेशा रिकॉर्ड्स पर करता हूँ, आंकड़ों पर करता हूँ पहले ऐसा लगता था कि जिस तरीके 70 प्रतिशत ज़मीनें वहां बोई ही नहीं जाती थीं। वहां उग्रवाद की इतनी बड़ी परछाई थी। लोग अपनी ज़िंदगी की हिफ़ाज़त और सलामती की दुआ ईश्वर-अल्लाह से करते थे, प्रार्थना करते थे कि हमारी ज़िंदगी सही सलामत रहे। किसी औरत का पति अगर बाहर गया तो सूरज ढलने के पहले वह अपने सुहाग की थाली सज़ाए इंतज़ार करती थी कि हमारा सुहाग सही-सलामत लाल-चौक से लौट आए। जम्मू-कश्मीर की यह स्थिति थी। आज अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जिस तरीके से पिछले रबी सीज़न में कश्मीर डिविज़न में पहली बार वहां पर सरसों की 1.43 लाख हैक्टेयर में खेती हुई है। समझिए कि जम्मू-कश्मीर में येलो रेवोल्यूशन आया है। किसानों के लिए यह काम हुआ है। यहां जस्टिस मसूदी साहब बैठे हुए हैं और पूर्व मुख्य मंत्री साहब भी बैठे हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही, एग्रीकल्चर में यह भी रिकॉर्ड है कि आज कश्मीर के जो किसान हैं, वे देश में 5th लार्जैस्ट इनकम अर्निंग फार्मर्स हो गए हैं। इसके लिए तो आपको तालियां बजानी चाहिए।

हम स्वागत करते हैं कि जम्मू-कश्मीर का किसान आज इस तरीके से देश के साथ तुलना कर रहा है। आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, पहले लोग अपने घरों में कैद रहते थे, बिजली की कोई खपत नहीं थी, शाम के पहले दुकानें बंद हो जाती थीं, इस बात का सबूत है कि वहां शाम के बाद दुकानें नहीं चलती थीं। आज जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, it is already six o'clock, you can continue tomorrow. The House stands adjourned till 11 o'clock tomorrow.

18.00 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Wednesday, December 06, 2023/Agrahayana 15, 1945 (Saka).*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)
